द्वितीय माला, खण्ड १३—अंक २९

२१ मार्च, १९५८ (शुक्रवार)

लोक-सभा
वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(Fourth Session)

सत्यमेव जयते

(खण्ड १३ में अंक २१ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

412 LSD

विषय-सूची

पृष्ठ

द्वितीय माला, खण्ड १३—अंक २१ से ३०— ११ मार्च से २४ मार्च, १९५८

अंक २१—मंगलावार, ११ मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८३७, ८३८, ८४१, ८४२, ८४४, ८४५, ८४८, ८५० से ८५३, ८५५, ८५७, ८५९ और ८६१ से ८६७ . २०२५–५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८३९, ८४०, ८४३, ८४६, ८४७, ८४९, ८५४, ८५६, ८५८, ८६०, ८६८, ८६९ और ८७१ से ८८२ . २०५१–६०

अतारांकित प्रश्न संख्या ११२७ से ११८४ . . . २०६०–८३

सभा पटल पर रखे गये पत्र २०८३–८४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सोलहवां प्रतिवेदन २०८४

विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक—पुरस्थापित किया गया . २०८४

कार्य मंत्रणा समिति

बारहवां प्रतिवेदन २०८४–८५

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक

विचार का प्रस्ताव २०८५–८७

पारित करने का प्रस्ताव २०८७

सामान्य आय-व्ययक—सामान्य चर्चा . . . २०८८–२११२

दैनिक संक्षेपिका २११३–१७

अंक २२—बुधवार, १२ मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८८३ से ८८९, ८९२ से ९०० और ९०२ से ९०५ २११९–४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८९०, ८९१, ९०१ और ९०६ से ९१५ . २१४३–४७

अतारांकित प्रश्न संख्या ११८५ से १२२० . . २१४७–६२

स्थगन प्रस्ताव

हवालात में एक व्यक्ति की मृत्यु २१६२

पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र २१६२–६३

सभा का कार्य २१६४

विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक, १९५८–

विचार का प्रस्ताव २१६५–६७

खण्ड १ से ५ तथा अनुसूची २१६७

पारित करने का प्रस्ताव २१६७

सामान्य आय-व्ययक, १९५८-५९—सामान्य चर्चा . . २१६७—९७

दैनिक संक्षेपिका २१९८–२२०१

अंक २३—गुरुवार, १३ मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९१६ से ९२३, ९२६, ९२७, ९२९, ९४९, ९३०, ९३२ से ९३५, ९३८, ९४० और ९४२ से ९४५ . . २२०३–२८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ और ६ . . . . २२२८–३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९२४, ९२५, ९२८, ९३१, ९३६, ९३७, ९३९, ९४१, ९४६ से ९४८ और ९५० से ९५२ . . . २२३२–३७

अतारांकित प्रश्न संख्या १२२१ से १२६३ . . . २२३८–५६

सभा पटल पर रखे गये पत्र २२५७–५९

प्राक्कलन समिति

चौथा प्रतिवेदन २२५९

भारतीय रेलवे अधिनियम के बारे में याचिका . . २२५९

भारत सरकार की वैज्ञानिक नीति के बारे में . . . २२६०

सामान्य आय व्ययक—सामान्य चर्चा . . . २२६०–८३

१९५६-५७ के लिए संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . २२८३–२३०५

दैनिक संक्षेपिका २३०६–०९

अंक २४—शुक्रवार, १४ मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९५४, ९५६, ९५८, ९६०, ९६३ से ९८५, ९६८ से ९७० और ९७२ से ९७८ . . . . . २३११–३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९५३, ९५५, ९५७, ९५९, ९६१, ९६२, ९६६, ९६७ ९७१ और ९७९ से ९८५ . . . . २३३४–३९

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६४ से १३०१ और १३०३ से १३२४ . २३३९–६३

स्थगन प्रस्ताव—

रेलवे डाक सेवा के तीन कर्मचारियों की हत्या . . . २३६४–६५

सभा पटल पर रखे गये पत्र २३६५–६६

राज्य-सभा से संदेश २३६६–६७

सभा का कार्य २३६७

सामान्य आय–व्ययक, १९५८–५९ सामान्य चर्चा . . २३६७–८६

गैर-सराकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति सोलहवां प्रतिवेदन २३८६

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये विधान मण्डलों में स्थान रक्षण की अवधि बढ़ाने के बारे में संकल्प . २३८६–२४१२

संकल्प वापस लिया गया . . . २४१२

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे में संकल्प २४१२

दैनिक संक्षेपिका २४१३–१७

अंक २५—सोमवार, १७ मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८६, ९८८ से ९९४, ९९६ से ९९८ और १००१ से १००६ . . . . . २४१९–४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८७, ९९५, ९९९, १००० और १००७ से १०१६ . . . . . २४४३–४८

अतारांकित प्रश्न संख्या १३२५ से १३४६ और १३४८ से १३७९ . २४४८–७१

सभा पटल पर रखे गये पत्र २४७१–७२

राज्य-सभा से संदेश २४७२

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति २४७२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना .

लंका में भारतीय उद्भव के राज्यहीन व्यक्ति २४७२–७३

सामान्य आय व्ययक—सामान्य चर्चा . . . २४७३–२५११

कार्य मंत्रणा समिति—

इक्कीसवां प्रतिवेदन २५११

दैनिक संक्षेपिका २५१२–१६

पृष्ठ

अंक २६—मंगलवार, १८ मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर :

तारांकित प्रश्न संख्या १०१७, १०१९ से १०२५, १०२९, १०३१, १०३२, १०३४ से १०४०, १०४२ और १०४३ . . २५१७–४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १०१८, १०२६ से १०२८, १०३०, १०३३, १०४१ और १०४४ से १०५१ . . . . . २५४२–४८

अतारांकित प्रश्न संख्या १३८० से १४२३ . . . २५४८–६९

सभा पटल पर रखे गये पत्र २५६९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना .

रोडेशिया के एक यूरोपीय होटल से एक भारतीय राजनयाधिकारी का निकाला जाना २५६९–७०

कार्य मंत्रणा समिति .

इक्कीसवां प्रतिवेदन २५७०

सामान्य आय व्ययक, १९५८–५९—सामान्य चर्चा . . २५७१–८८

सरकारी भू गृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक संयुक्त समिति को सौंपने के लिए सहमति का प्रस्ताव २५८८–२६१९

दैनिक संक्षेपिका २६२०–२३

अंक २७—बुधवार, १९ मार्च १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५२ से १०५८, १०६० से १०६२, १०६४ १०६६ से १०६८ और १०७२ से १०७४ . . २६२५–४९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६५, १०६९ से १०७१ और १०७५ से १०८८ २६४९–५६

अतारांकित प्रश्न संख्या १४२४ से १४७०, १४७२ और १४७३ . २६५६–७५

स्थगन प्रस्ताव —

२० मार्च को छुट्टी घोषित न करना . . . २६७५–७७

सभा–पटल पर रखे गये पत्र . . . २६७७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

आकाशवाणी में कलाकारों की कथित छंटनी . . २६७७–७९

रेलवे डाक सेवा के तीन कर्मचारियों की हत्या के बारे म वक्तव्य . २६७९–८०

पृष्ठ

सरकारी भू गृहादी (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक—
सहमति के लिये प्रस्ताव २६८०–८६

अनुदानों के लिये मांगें

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय २६८६–२७३०

दैनिक संक्षेपिका २७३१–३४

अंक २८—गुरुवार, २० मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०९० से १०९५, १०९७, से ११०१, ११०४, ११०५, ११०७ से १११९, १११३ और १११५ से १११८ . २७३५–६०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०८९, १०९६, ११०२, ११०३, ११०६, १११२ और १११४ . . . . . २७६१–६३

अतारांकित प्रश्न संख्या १४७४ से १५२७ . . . २७६४–८७

सभा–पटल पर रखे गये पत्र २७८८

गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति सत्रहवां प्रतिवेदन २७८८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

डीमापुर क्षेत्र में नागा विद्रोहियों का धावा . . २७८८–८९

अनुदानों की मांगें २७८९–२८३८

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . . . २७८९–२८०२

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय . . . २८०३–३८

दैनिक संक्षेपिका २८३९–४२

अंक २९—शुक्रवार, २१ मार्च, १९५८—

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११९ से ११२३, ११२६, ११२७, ११२९ से ११३१, ११३४, ११३६, ११३८ से ११४१ और ११४३ . २८४३–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११२५, ११२८, ११३२, ११३३, ११३५, ११३७ ११४२ और ११४४ से ११४९, ११५१ से ११५३, ११५५ और ११५६. . . . . २८६८–७४

अतारांकित प्रश्न संख्या १५२८ से १५७४ . २८७४–९५

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव —

सदर बाजार में अग्निकांड . . . २८९५

सभा पटल पर रखा गया पत्र . . . २८९६

प्राक्कलन समिति

दूसरा प्रतिवेदन २८९६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

हिन्दुस्तान एयर–क्राफ्ट लिमिटेड में उत्पन्न स्थिति . २८९६–९७

सभा का कार्य २८९७

अनुदानों की मांगें—

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय . . . २८९७–२९२८

गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति .

सत्रहवां प्रतिवेदन २९२८

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (धारा ५५क, ८२ और ११६ का संशोधन)—पुरःस्थापित २९२८

राज्य पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक (धारा ५१ का संशोधन)—पुरः–स्थापित २९२९

सामाजिक प्रथाएं (व्यय में कटौती) विधेयक) (धारा २० का संशो–धन और नई धारा २१ निविष्ट करना)—पुरःस्थापित २९२९–३०

खाद्य अपमिश्रण रोक (संशोधन) विधेयक (धारा २० का संशोधन और नई धारा २१ क का रखा जाना)—पुरःस्थापित . २९३०

मिरजापुर पाषाण महल (संशोधन) विधेयक (धारा ३ का संशोधन)—पुरःस्थापित २९३०

संघ राज्य–क्षेत्र (विधियां) संशोधन विधेयक—(धारा ३ का संशोधन) पुरःस्थापित . . . २९३१

दहेज रोक विधेयक—पुरःस्थापित २९३१

दहेज पर रोक विधेयक–; पुरःस्थापित . . . २९३१

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधक) विधेयक (नई धारा १२४ ख का रखा जाना)—वापस लिया गया २९३२

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४९७ का लोप) — विचार करने के लिए प्रस्ताव २९३२–४४

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

विचार करने के लिए प्रस्ताव . . २९४४–५६

दैनिक संक्षेपिका २९५७–६१

पृष्ठ

अंक ३०—सोमवार, २४ मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११५७ से ११६१, ११६३, ११७०, ११७१, ११७४, ११७५, ११७७ से ११८३, १०६३, ११६७, ११६८, ११६६ और ११७३ . २९६३–८७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ . . . . २९८८–९१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६२, ११६४, ११६५, ११६९, ११७२ और ११७६ . . . . २९९२–९३

अतारांकित प्रश्न संख्या १५७५ से १६२३ . २९९३–३०१५

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . ३०१६

प्राक्कलन समिति

तीसरा प्रतिवेदन ३०१६

लोक-लेखा समिति

तीसरा प्रतिवेदन ३०१६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

अणुशक्ति आयोग ३०१६–१७

भारतीय शपथ (संशोधन) विधेयक

पुरस्थापित ३०१७

अनुदानों की मांगें—

स्वास्थ्य मंत्रालय ३०१८–७१

भाखड़ा नंगल की विद्युत् परियोजनाओं के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . ३०७१–७६

दैनिक संक्षेपिका ३०७७–७९

नोट: मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

शुक्रवार, २१ मार्च, १९५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्टरी, बंगलौर

+

†*१११९. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्टरी, बंगलौर, की वर्तमान अधिष्ठापित उत्पादन-क्षमता कितनी है ;

(ख) १९५७–५८ में अब तक कारखाने में कुल कितनी मशीनें निर्मित की गई हैं ;

(ग) किस प्रकार की मशीन तैयार की गई हैं ;

(घ) क्या वहां पर निर्मित मशीनों अथवा औजारों की कोई मात्रा निर्यात भी की गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी मात्रा निर्यात की गई है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) अनुमान है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, बंगलौर, को वर्तमान अधिष्ठापित उत्पादन-क्षमता लगभग १५६ करोड़ रुपये के मूल्य के मशीनी औजार बनाने की है ।

(ख) १ अप्रैल, १९५७ से २८ फरवरी, १९५८ तक, ग्यारह महीनों में, कारखाने में कुल १.३१ करोड़ रुपये के मूल्य की मशीनें निर्मित की गई थीं ।

(ग) (१) १००० मिलीमीटर की बीच की दूरी के खराद ।

(२) १५०० मिलीमीटर की बीच की दूरी के खराद ।

---

† मूल अंग्रेजी में

(३) हौरीज़ंटल मिलिंग मशीन (क्षैतिज पेषण मशीन), आकार २

(४) वर्टिकल मिलिंग (उदग्र पेषण मशीन), आकार २

(५) यूनिवर्सल मिलिंग मशीन (सार्वत्रिक पेषण मशीन), आकार २

(६) हौरिज़ंटल मिलिंग मशीन (क्षैतिज पेषण मशीन), आकार ३

(७) वर्टिकल मिलिंग मशीन (उदग्र पेषण मशीन), आकार ३

(८) यूनिवर्सल मिलिंग मशीन (सार्वत्रिक पेषण मशीन), आकार ३ ।

(घ) तथा (ङ). अभी तक नहीं ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि इस फैक्टरी के द्वारा हमारे देश की जितनी आवश्यकतायें हैं उन की पूर्ति हो रही है या नहीं। और यदि नहीं हो सक रही है तो इस फैक्टरी को और बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री मनुभाई शाह : फिलहाल जो हमारी रिक्वायरमैंट है, उस का सिर्फ १० फी सदी यह पैदा करती है और उस को डबल करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी आशा है कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को मिला कर जो १९ फैक्ट्रीज हैं वह सन् १९६० तक हमारी रिक्वायरमैंट का ५० फी सदी पूरा करेंगी ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमट स बात का आश्वासन देने को तैयार है कि इस समय जो प्रोग्राम हाथ में लिया गया है, या पंचवर्षीय योजना में जो नये कारखाने खुल रहे हैं, उन के द्वारा हमारी आवश्यकता की पूर्ति पूरी तरह से हो सकेगी या फिर भी कुछ कमी रह जायेगी ?

श्री मनुभाई शाह : यह तो मैंने बताया कि जहां तक इस फैक्ट्री का ताल्लुक है, उस का जो टार्गेट सेकेन्ड फाइव इअर प्लैन में था वह हम ने इस साल पूरा कर दिया और हम उस को दोगुणा करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो १९ फैक्ट्रियां पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को मिला कर बनी हैं वह सन् १९६० तक जो हमारी रिक्वायरमैंट है उस का ५० फी सदी पैदा कर सकेंगी।

†**श्री वें० प० नायर :** जो मशीनें निर्मित की जायेंगी माननीय मंत्री ने उनकी विभिन्न किस्में तथा लक्ष्य बताये हैं। क्या यूनिवर्सल बिल्डिग मशीनों के लिये कोई पृथक लक्ष्य है, और यदि हां, तो वह लक्ष्य क्या है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जी, हां। यूनिवर्सल बिल्डिग मशीन का भी एक लक्ष्य है परन्तु उनकी ठीक संख्या अभी निर्धारित नहीं की गई है। एक समिति ने इस पर विचार किया था और इनका लक्ष्य १९६०–६१ तक १,००० नियत किया था ।

†**श्री जोकीम आल्वा :** : सरकारी क्षेत्र में इस कारखाने की कार्यदक्षता, कार्य प्रबन्ध तथा उत्पादन की स्थिति क्या है ? क्या इस कारखाने को इस बात पर गर्व है कि उसे सरकारी क्षेत्र के कारखानों में स्थान प्राप्त है ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह :** क्योंकि इस मंत्रालय के अधीन बहुत से कारखाने हैं इस लिये मैं किसी कारखाने को किसी पर वरीयता नहीं देना चाहता हूं । लेकिन यह हमारे अच्छे कारखानों में से एक कारखाना है । जैसा कि मैं ने परसों सदन में कहा था, जहा तक उत्पादिता का सम्बन्ध है लगभग १८० श्रमिकों के सम्बन्ध में अनुपात ०.९ भारतीय तथा १ स्विस श्रमिक है । लगभग ३५० श्रमिकों के सम्बन्ध में यह अनुपात २.४ भारतीय तथा १ स्विस श्रमिक है । वास्तव में यह किसी भी प्रमाप की दृष्टि से प्रशंसनीय कार्य है ।

भारत-पाकिस्तान सीमा

\+

†*११२०. { **श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अमर सिंह डामर :
श्री बांगशी ठाकुर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-पाकिस्तान सीमा के सीमांकन के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) यह कार्य कब तक पूरा होने की आशा है ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ९८]**

(ख) सीमाओं का सीमांकन कार्य अत्यन्त जटिल होता है और इसे दोनों देशों द्वारा मिल कर कार्यवाही करके पूरा करना होता है । इसलिये स बात का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है कि इस कार्य को पूरा करने के लिये कितनो अवधि अपेक्षित है ।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** विवरण से मुझे मालूम हुआ है कि त्रिपुरा की अपेक्षा पश्चिमी बंगाल —पूर्वी पाकिस्तान के मामले अधिक प्रगति पर है । इसका क्या कारण है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** अन्य दो क्षेत्रों के बारे में कुछ कठिनाइयां हैं—त्रिपुरा-पूर्वी पाकिस्तान और आसाम–पूर्वी पाकिस्तान में रेडार्कलफ पञ्चाट के गलत अर्थ लगाने के कारण कुछ क्षेत्रों में कार्य रोक दिया गया है ।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** क्या सीमा निर्धारण के परिणामस्वरुप सीमावर्ती छापों में कोई कमी हुई है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह निर्धारित अथवा गैर-निर्धारित सीमा से सम्बन्धित है ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** वस्तुतः जहां आवश्यक रूप में विवाद नहीं है वहां सीमा निर्धारित कर दी गई है । विवादग्रस्त क्षेत्रों को निर्णय-हेतु छोड़ दिया गया है । अतः लड़ाई-झगड़े वाले स्थान अभी भी यथावत् हैं ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि २१ दिसम्बर, १९५७ को सीमावर्ती क्षेत्र में संयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण कार्य में सलग्न हमारे तीन अधिकारी पाकिस्तान सेना द्वारा

---

† मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा के समीप गिरफ्तार कर लिये गये और यदि हां, तो सवक्षण कार्य में जुटे हुए हमारे कर्मचारियों की सुरक्षा के लिये अभी तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न सीमानिर्धारण से सम्बन्धित है। सुरक्षा आदि अन्य प्रश्न भिन्न विषय हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू:** मुझे स्मरण है कि इसी आशय का एक प्रश्न रखा गया था और उसका संक्षिप्त उत्तर दे दिया गया था। हम इस घटना से अवगत हैं और पाकिस्तान सरकार ने इसके तुरन्त पश्चात् खेद प्रकट किया था। किन्तु इससे वहां कार्य में कुछ विलम्ब हो गया।

†**श्री तंगामणि :** विवरण से प्रतीत होता है कि जहां तक पाकिस्तान और भारत का विभाजन करने वाले पूर्वी जोन का सम्बन्ध है—त्रिपुरा-पूर्वी पाकिस्तान के बारे में —वहां यद्यपि सीमा की लम्बाई ५२२ मील है, सीमा की लम्बाई केवल ५५ मील है और आसाम की सीमा पर ६०९ मील में से केवल १८० मील पर ही सीमा निर्धारण किया गया है . . . . .

†**उपाध्यक्ष महोदय :** विवरण में उल्लिखित प्रत्येक बात मंत्री महोदय को मालूम है। माननीय सदस्य सीधा प्रश्न पूछें।

†**श्री तंगामणि :** आसाम के सम्बन्ध में केवल दिसम्बर, १९५७ तक ही आंकड़े हैं। फरवरी, १९५७ तक वहां कितनी प्रगति हुई है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** वह पिछले दो महीने की प्रगति चाहते हैं।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** विवरण में जो कुछ बताया गया है वह फरवरी, १९५८ तक की प्रगति से सम्बन्धित है।

†**श्री तंगामणि :** आसाम के सम्बन्ध में नहीं।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** जी हां। आसाम के सम्बन्ध में यह दिसम्बर, १९५७ तक है। मैं ने बता दिया है कि सीमा पर विवादों के परिणामस्वरूप आसाम में काम रोक दिया गया है।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या सीमा निर्धारण करने वाले व्यक्यिों की संख्या बढ़ाई जायेगी ताकि सीमा निर्धारण शीघ्र सम्पन्न की जा सके ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** विवाद से पृथक, यह अत्यन्त जटिल प्रश्न है। यह दोनों पक्षों में त्रिकोण मितीय सर्वेक्षण है एक इस ओर और एक दूसरी ओर। पूर्ण सहमति होने पर भी यह जटिल कार्य है। यह कोई इधर-उधर खूंटियां गाड़ने की बात नहीं है। अतः इसमें समय लगेगा और सम्भव है कि हमें कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाना पड़े। किन्तु उस स्थिति में उस ओर की संख्या बढ़ाना पड़ेगी।

†**श्री बांगशी ठाकुर :** क्या यह सच है कि कई बार त्रिपुरा, भारत की सीमा के परिचायक कुछ खम्भे हटा लिये जाते हैं तदनन्तर इन खम्भों के अभाव में त्रिपुरा से सम्बन्धित कुछ क्षेत्र पाकिस्तान के अन्तर्गत दिखाई देने लगते हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** रेडक्लिफ पञ्चाट के अनुसार भारतीय राज्य क्षेत्र के अधीनस्थ कुछ चाय बागान पाकिस्तान में मिलना चाहिये तथा पाकिस्तान अधिकृत कुछ भाग हमें मिलना चाहिये। उक्त क्षेत्र को छोड़ने में पाकिस्तान की अनिश्चय के कारण ही सीमा निर्धारण के सम्बन्ध में कठिनाई हो गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी :** पश्चिमी सीमा प्रदेश में सीमानिर्धारण रेखा का आधार रेडाकंलफ पञ्चाट है अथवा जलस्त्रोत मध्य पद्धति है किवां मौजूदा अधिकार ही इसका आधार है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू:** स्पष्टत: यह रेडकिलफ पञ्चाट पर आधारित है । यदि नदी मार्ग में परिवर्तन के परिणामस्वरूप साधारण परिवर्तन करना हो तो उस पर सहमति ली जाती है । जलस्त्रोत में मध्य प्रश्न वहां उत्पन्न होता है जहां अन्य संकेत न हों । यह विचार लागू नहीं होगा ।

अल्प आय वाले वर्ग के लिये आवास योजना

***११२१. श्री नवल प्रभाकर :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अल्प आय वाले वर्ग के लिये आवास योजना के अन्तर्गत दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को ऋण देना चाहती है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चंदा) : (क)से (ग).कम आमदनी वालों के लिये मकान योजना के अन्तर्गत गांवों में रहने वालों को कर्ज़ देना मना नहीं है । धन के अच्छे उपयोग के विचार से दिल्ली के विकसित भागों में मकान बनाने के लिये कर्ज़ दिया जाता है जहां आवश्यक सेवायें जैसे पानी, सड़कों पर रोशनी, नालियां, सिवरेज और सड़कें आदि उपलब्ध होने की सम्भावना है । यमुना में बारबार बाढ़ आने से त्रस्त कुछ गांवों को सुरक्षित स्थानों में हटाने के सम्बन्ध में दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ जमीन का अधिग्रहण और विकास करने का सुझाव सरकार के विचाराधीन है ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि आप केवल यमुना के क्षेत्र के बाढ़ से प्रभावित होने वाले गावों को ही ले रहे हैं या कि इनके अतिरिक्त जो और गांवों के लोग मकान बनाना चाहेंगे उनको भी ऋण दिया जायेगा ?

†**श्री अनिल कु० चंदा :** यथार्थ योजना का संचालन वस्तु राज्य सरकार—दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र ही करती है । अभी तक वे केवल दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को ही ऋण दे रहे हैं जहां पानी और मलप्रवाह इत्यादि कुछ सुविधायें उपलब्ध हैं । अब इन निधियों से ऋण लेकर उपयुक्त भूमि अधिग्रहण करने के प्रश्न पर वे विचार कर रहे हैं ताकि यमुना की बाढ़ से बारबार प्रभावित होने वाले गांवों को हटा दिया जाये ।

श्री नवल प्रभाकर : मैं तो यह जानना चाहता हूं कि जो और गांवों के लोग हैं उनको आप ऋण देना चाहते हैं या नहीं । यमुना के क्षेत्र के सात आठ गांवों को छोड़कर जो कि बाढ़ एरिया में आते हैं, क्या आप दूसरे गांवों को भी यह ऋण देना चाहते हैं ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को ये ऋण देने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है मैंने उत्तर में बताया था कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में अभी ग्रामीण जनता को ऋण नहीं दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : पिछले वर्ष माननीय मंत्री जी ने इस सदन में यह घोषणा की थी कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिये एक रूरल हाउसिंग स्कीम को प्रारम्भ किया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि उस स्कीम के अन्दर दिल्ली वालों को क्यों नहीं लाभ उठाने दिया जाता ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** यह सर्वथा भिन्न योजना है। यह अल्प आय वर्ग गृह निर्माण योजना के बारे में है। माननीय सदस्य जिस की ओर निर्देश कर रहे हैं वह ग्राम्य गृह-निर्माण योजना के नाम से सुपरिचित है। वह पृथक योजना है।

†**श्री सूपाकर :** क्या अल्प आय वर्ग गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत ग्रामीण जनता को कहीं पर भी कोई ऋण दिया गया है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** मैं फिर दोहरा दूं कि यह ग्रामीण गृह-निर्माण योजना नहीं है। यह अल्प आय वर्ग गृह-निर्माण योजना के नाम से परिचित है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ऋण देने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। अनेक राज्यों में मुझे यह प्रतीत होता है कि यह ऋण नगरपालिका क्षेत्रों में रहने वाली जनता को दिया जा रहा है। मैं पंजाब और भूतपूर्व पेप्सू सदृश कुछ राज्यों को जानता हूं जहां ऋण के रूप में पर्याप्त रकम ग्रामीण जनता को दी गई है।

†**श्री कासलीवाल :** यह प्रश्न ग्राम्य क्षेत्रों की अल्प आय वर्ग गृह-निर्माण योजना से सम्बन्धित है। क्या सरकार ने गृह-निर्माण योजनाओं के सम्बन्ध में ग्रामीण क्षेत्रों की अल्प आय जनता और शहरी क्षेत्रों की अल्प आय वाली जनता में कोई भेद किया है और यदि हां तो यह किस बारे में है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** जी हां। जहां तक इस योजना का सम्बन्ध है सरकार किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। यह निर्णय राज्य सरकार करेगी कि ऋण किसे दिया जाये—नगर प्रवासी को अथवा ग्रामवासी को।

†**श्री तंगामणि :** जब अल्प आय वर्ग गृह-निर्माण योजना पहले बनाई गई थी तो गांवों में रहने वाले लोग इस से पृथक् नहीं थे। तब फिर दिल्ली के समीपवर्ती गांवों में रहने वाले व्यक्तियों को ऋण क्यों नहीं दिये गये ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** हम केवल इन योजनाओं के बारे में ऋण स्वीकार कर सकते हैं जो राज्य सरकार ने हमारे पास भेजे हैं। जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है यह रकम राज्य सरकार को दे दी जाती है। राज्य सरकार इसका वितरण करती है। योजनाएं और वैयक्तिक कार्यक्रम राज्य सरकार के समक्ष रखे जाते हैं। इनकी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति राज्य सरकार का कार्य है। हम केवल रकम देने वाले हैं।

बर्मा में लोकमान्य तिलक का स्मारक

+

*११२२. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** ११ नवम्बर १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्मा में मांडले के बंदी-गृह में लोकमान्य तिलक की स्मृति में कक्षा व भाषण हाल के निर्माण में इस बीच क्या प्रगति हुई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस पर कितना धन व्यय होने का अनुमान है ; और

(ग) इसका निर्माण कब तक पूरा हो जायगा ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) नींव खोदने का काम पूरा हो चुका है और ६ मार्च १९५८ को नींव भरी जाने का काम शुरू किया गया था ।

(ख) अनुमान है कि स्मारक पर ४७,८२७ रुपये खर्च होंगे ।

(ग) आशा है कि स्मारक बनाने का काम जून १९५८ के अन्त तक पूरा हो जायेगा ।

श्री भक्त दर्शन : क्या इस हाल को बनाने में कुछ खर्चा लग रहा है वह सारा भारत सरकार दे रही है, या बरमा सरकार भी इस में कुछ खर्चा दे रही है, या बर्मा में रहने वाले भारतीय लोग भी कुछ हाथ बंटा रहे हैं ।

श्री सादत अली खां : बर्मा से दस हजार रुपये के करीब डोनेशन वहां रहने वाले हिन्दुस्तानियों से मिला है ।

श्री भक्त दर्शन : लोकमान्य तिलक के अतिरिक्त लाला लाजपत राय, श्री सुभाष चन्द्र बोस, सरदार अजित सिंह और दूसरे हमारे भारतीय सेनानी भी ब्रिटिश सरकार के मेहमान के रूप में मांडले जेल में रह चुके हैं । क्या इस हाल में उन के नाम भी सम्मिलित किये जा रहे हैं या बाद में जा कर वहां उन के चित्र टांगे जायेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो बर्मा में उन की याद को पैदा करने के लिये कुछ चीज़ बनाने का सवाल था । आप जनरल सवाल पर चले गये ।

†**श्री वी० चं० शर्मा :** यह हाल कक्षा एवं भाषण के लिये है । उस महान् विभूति के नाम को सार्थिक करने के लिये क्या प्रयत्न किये जायेंगे ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** सब कुछ बर्मी सरकार के परामर्श से तय किया गया है । स्वभावतः मांडले बर्मा में है और जेल मांडले में है । बर्मा सरकार इस के प्रभारी हैं । हम केवल सुझाव दे सकते हैं । उन्हों ने जो सुझाव दिये थे, हम ने इन पर उन के साथ चर्चा की और वे सहमत हो गये । मुझे याद नहीं रहा कि मूल प्रस्ताव क्या था । किन्तु उन्हों ने स्वयं ही सुझाव दिया कि किसी प्रकार का सम्मानसूचक पट लगाने के स्थान पर हॉल बनाना श्रेयस्कर है । यह उपयोगी भी सिद्ध होगा । अतः हम ने यह स्वीकार कर लिया और यही इस के नामकरण का कारण है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट ने इस सुझाव पर विचार किया है या वह करेगी कि जब यह हाल बन जाये तो इस में अगर उन के चित्र न भी टांगे जा सकें तो कम से कम वे तिथियां ही अंकित कर दी जायें जब कि हमारे महान नेता उस जेल में रहे थे ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल ठीक नहीं होगा, दो मानों से । एक तो हमारे विचार करने का सवाल नहीं आता । यह बर्मा के जेल में हो रहा है, हम चित्र नहीं टांगेंग । जो बर्मीज़ हकूमत चाहेगी या जेल अधिकारी चाहेंगे वह चित्र वहां टेगेंगे । दूसरे विशेषकर यह चीज़ लोकमान्य तिलक के लिये बनाई जा रही है । कुछ और चीज़ कर के आप उस को फीका न कीजिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

द्वितीय पंच वर्षीय योजना

†*११२३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **योजना** मंत्री २७ नवम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ५४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में कार्यकरण के सम्बन्ध में जिस विस्तृत पुनरीक्षण का वचन दिया गया था वह पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या पुनरीक्षण की एक प्रति लोक-सभा के पटल पर रखी जायेगी ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा सचिव (श्री ल० ना० मिश्र):** (क) और (ख). "१९५६-५७ का प्रगति प्रतिवेदन और १९५७-५८ के लिये योजना" नामक विवरण तैयार किया जा रहा है । आशा है कि इसे अप्रैल में प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** इस में विलम्ब का कारण क्या है : योजना आयोग अथवा राज्य सरकारें ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** योजना आयोग की ओर से कोई गलती नहीं हुई है । योजना आयोग इसे फरवरी, १९५७ में करने के लिये उत्सुक था । आयोग ने सम्पूर्ण राज्य सरकारों को मई के मध्य तक आंकड़े एवं प्रगति प्रतिवेदन भेजने के लिये कहा था । आंकड़े अगस्त में ही मिलना प्रारम्भ हुए और अभी भी आ रहे हैं । फिर, ये अलग-अलग प्राप्त हुए । अतः अभी तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सम्भव नहीं हुआ । हमें आशा है कि यह अप्रैल में प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में किन राज्यों ने अधिक समय लिया है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** यह कहना कठिन है कि किन राज्यों ने अधिक समय लिया है । राज्यों की कठिनाइयां वास्तविक हैं । राज्यों का पुनर्गठन और उस से उत्पन्न समस्यायें हैं । इसलिये इस में कुछ समय लग ही गया ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को रोजगार मिला ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रतिवेदन प्राप्त न होने तक उत्तर देना कठिन है ।

भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पाद

†*११२६. **श्री विश्वनाथ राय :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशी प्रदर्शनियों में भारत द्वारा भाग लेने के अतिरिक्त क्या भारत के हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को बाह्य देशों में प्रज्ञापन करने की दिशा में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र):** कई देशों में भारत सरकार के व्यापार-केन्द्र, प्रज्ञापन कक्ष और प्रज्ञापन वातायन (शो विन्डो) हैं इन में हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पाद सहित अन्य भारतीय वस्तुओं के निरन्तर प्रदर्शन की व्यवस्था है ।

कुछ विभागीय स्टोर्स के साथ की गई व्यवस्था के फलस्वरूप लन्दन और पेरिस में भी भारतीय हस्तशिल्प प्रदर्शित किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री विश्वनाथ राय :** क्या इन वस्तुओं के प्रज्ञापन की व्यवस्था के परिणामस्वरूप उक्त देशों में इन वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हुई है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** ये व्यापार-केन्द्र, प्रज्ञापन-कक्ष आदि मुख्यत: व्यापार की समुन्नति के लिये ही रखे जाते हैं। व्यापार तो गैर-सरकारी आयात और निर्यातकर्ताओं के माध्यम से ही होता है। हथकरघे से बने कपड़े और हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात में कुछ वृद्धि हुई है।

†**श्री विश्वनाथ राय :** किन-किन देशों में इन वस्तुओं के प्रज्ञापन की व्यवस्था की गई है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** ३७ व्यापार-केन्द्र, ११ प्रज्ञापन-कक्ष और ५ प्रज्ञापन वातायन हैं। अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति के भी ६ डिपो हैं। मैं माननीय सदस्य को इन की सूची दे देता हूं। यह बहुत लम्बी है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य को देशों के नाम चाहियें।

†**श्री सतीश चन्द्र :** ये ३५ देश हैं। क्या इन्हें पढ़ दूं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** उन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रघुनाथ सिंह : साउथ ईस्ट एशिया में किन-किन स्थानों पर हैंडलूम शो रूम स्थापित हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** हैंडलूम के शोरूम तो सिंगापुर, बैंकाक, क्वाला लाम्पुर और कोलम्बो में हैं और रंगून में एक एजेन्सी है।

†**श्री रंगा :** क्या हमें अभी या बाद में यह जानकारी मिल सकती है कि वे देश कौन-कौन से हैं जहां हमारे राजदूतावास हैं और जहां हम ने इन प्रदर्शनियों में एवं प्रज्ञापन सम्बन्धी अन्य अवसरों पर भाग लिया है तथा जहां हमारे राजदौत्यालयों में ही प्रज्ञापन कक्ष हैं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यदि विवरण लोक सभा के पटल पर रखा गया है तो उस में यह जानकारी हो सकती है।

†**श्री सतीश चन्द्र :** मैं यह सभा पटल पर रख दूंगा। दस देश ऐसे हैं जहां हमारे राजदौत्यालयों में प्रज्ञापन व्यवस्था है।

†**श्री जोकीम आल्वा :** जब भारतीय विदेशों में जाते हैं तो उन की इन छोटी-छोटी वस्तुओं को खरीदने की इच्छा होती है और फिर अकिंचन मूल्य की इन वस्तुओं को भेंट स्वरूप दे देते हैं। क्या मंत्रालय के अन्तर्गत ऐसी सुविधायें हैं कि हमारे देशवासी इन वस्तुओं को विदेशों में खरीदते समय भारत में उन का मूल्य चुकाने की गारण्टी दे दें ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** प्रज्ञापन कक्ष की अवस्था में वे ऐसा कर सकते हैं ; किन्तु प्रज्ञापन-वातायन और ऐसी ही अन्य व्यवस्था में वस्तुएं नहीं बिकती हैं।

नारियल जटा उद्योग

†***११२७. श्री वें० प० नायर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जटा बोर्ड की स्थापना के पश्चात् नारियल-जटा उद्योग ने प्रगति की है ; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: नारियल-जटा उद्योग विकास सम्बन्धी कार्यक्रम दो भागों में विभक्त किया जा सकता है अर्थात् केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित कार्य और नारियल जटा बोर्ड द्वारा क्रियान्वित किया जाने वाला कार्य। राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किया जाने वाला मुख्य कार्यक्रम यह है कि उद्योग का सहकारिता के आधार पर संगठन किया जाय ; नारियल-जटा बोर्ड गवेषणा संचालन, आन्तरिक और बाह्य विपणन संवर्द्धन एवं उत्पादन स्तर में सुधार का प्रयत्न कर रहा है।

इन कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप जटा उद्योग को सारभूत लाभ प्राप्त हुआ है।

†**श्री वें० प० नायर** : नारियल-जटा बोर्ड के कार्य-संचालन के परिणामस्वरूप क्या जटा उद्योग के किसी श्रमिक-क्षेत्र में प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि हुई है ?

†**श्री मनुभाई शाह**: मैं ने सदन को कुछ दिनों पहले बताया था कि एक मूल्यांकन समिति नियुक्त की गई है और इस का प्रतिवेदन १९५८ तक प्राप्त होने की आशा है किन्तु अभी तक हमें जो सामान्य जानकारी प्राप्त हुई है उस के अनुसार यह कहा जा सकता है कि नारियल-जटा उद्योग के श्रमिकों की आय में पर्याप्त वृद्धि हुई है। उत्पादन भी बढ़ गया है। इन सब के अतिरिक्त इस उद्योग में एक प्रकार की स्थिरता आ गई है जो अन्यथा विनाश की ओर उन्मुख हो रहा था।

†**श्री वें० प० नायर**: माननीय मंत्री ने कहा कि राज्य कुछ योजनायें क्रियान्वित कर रहा है। क्या केरल ने अतिरिक्त रकम की मांग की है और यदि हां, तो केरल सरकार द्वारा मांगी गई सम्पूर्ण रकम दे दी गई है ?

†**श्री मनुभाई शाह**: इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्य सरकारों से पत्र-व्यवहार किया जा रहा है और सभा को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि जटा विकास के लिये सारे भारत के लिये आवंटन १ करोड़ रुपये से बढ़ा कर २.३ करोड़ रुपये कर दिये गये हैं और केरल राज्य सरकार की राशि में पर्याप्त वृद्धि कर दी गई है।

†**श्री वें० प० नायर**: मेरा प्रश्न यह नहीं था। मेरा प्रश्न यह था कि क्या केरल सरकार द्वारा मांगी गई राशि पूरी पूरी दे दी गई है और यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह**: उन्हों ने जो कुछ मांगा था उस में ३० प्रतिशत कटौती की गई है। उन्हों ने ६० लाख रुपये की मांग की थी, हम ने लगभग ६५ लाख रुपये दिये हैं।

†**श्री कुमारन**: क्या जटा उद्योग के पुनर्संगठन और समुन्नत कार्य संचालन के लिये भारत सरकार को केरल सरकार से कोई योजना प्राप्त हुई है ; और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री मनुभाई शाह**: जी, नहीं।

†**श्री बि० दास गुप्त**: क्या जटा उद्योग के सम्बन्ध में पश्चिमी बंगाल से कोई योजना प्राप्त हुई है और यदि हां, तो जटा बोर्ड ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री मनुभाई शाह**: प्रत्येक राज्य में विशेष रूप से समुद्र के तटवर्ती राज्यों में रुचि जाग्रत करने में हमें सफलता मिली है। हाल ही में पश्चिमी बंगाल सरकार भी इस में काफी रुचि लेने लगी है। अतः केरल की एलप्पी संस्था की एक द्वितीय शाखा पश्चिमी बंगाल में प्रारम्भ करने का विचार है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वें० प० नायर :** माननीय मंत्री ने कहा कि केरल सरकार की मांग में ३० प्रतिशत कटौती की गई है। यह कटौती भारत सरकार के कहने पर की गई है अथवा जटा बोर्ड की सिफारिश पर ?

†**श्री मनुभाई शाह :** माननीय सदस्य जानते हैं कि विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से केन्द्र के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली मांगें सदा ही पूरी करना सम्भव नहीं है। संसाधनों की मर्यादा के अन्तर्गत ही यह किया जाता है। माननीय सदस्यों को यह बात स्मरण रखना चाहिये कि द्वितीय योजना में सम्पूर्ण आवंटन १ करोड़ रुपये से बढ़ा कर २.३ करोड़ रुपये कर दिया गया है। आज की विषम अर्थ-व्यवस्था की स्थिति में यह वृद्धि महत्वहीन नहीं है।

नागा क्षेत्र के लिये चिकित्सक दल

†*११२९. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागा क्षेत्र में एक चिकित्सक दल भेजा गया था ;

(ख) यदि हां, तो नागाओं की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) यह उक्त क्षत्र में किस प्रकार कार्य कर रहा है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग). जिस थोड़े समय तक यह चिकित्सक दल वहां है उस में यह जोनहोटो सब डिवीजन में चिकित्सा सर्वेक्षण कार्य में संलग्न रहा है तथा मरीजों का इलाज भी कर रहा है। इस क्षेत्र में नागाओं की प्रतिक्रिया अच्छी है और अनेक व्यक्ति चिकित्सा सहायता प्राप्त करने के लिये आ रहे हैं।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** दल के क्या निष्कर्ष हैं ?

†**श्री जो० ना० हजारिका :** चिकित्सा दल का निष्कर्ष यह है कि इन्हों ने वहां ४०० मरीजों की जांच की जिन में सब उम्र के स्त्री और पुरुष दोनों ही सम्मिलित थे। चिकित्सकों को मालूम हुआ है कि उक्त क्षेत्रों में गण्डमाल एवं मलेरिया व्यापक रूप में हैं और पच्चीस प्रतिशत जनसंख्या कुपोषण एवं रक्ताभाव से ग्रस्त है तथा ३५ प्रतिशत व्यक्ति चर्मरोग के शिकार हैं।

†**श्रीमती मफीदा अहमद :** क्या चिकित्सा सेवा के चिकित्सक भी इस दल में सम्मिलित थे?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** हमारे पास जानकारी नहीं है किन्तु इस दल को दिल्ली से भेजा गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे भेजा है ; उन्हें यह अनुदेश दिया गया था कि आसाम में उपलब्ध होने वाले चिकित्सकों तथा अन्य व्यक्तियों को अपने साथ ले लें।

†**श्री हेम बरुआ :** इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नागाओं में जादू-टोना, मंत्र-तंत्र और देवी-देवताओं के सामने बलिदान द्वारा रोगोपचार की परम्परागत विधियां प्रचलित हैं उस स्थिति में आधुनिक चिकित्सा का उन के जीवन से समायोजन करने के लिये सरकार ने कौन-कौन से प्रभावक कदम उठाये हैं कि नागाओं को यह आभास न होने पाये कि परम्परा से चले आ रहे उन की रूढ़ियों में व्यतिक्रमण हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : कदाचित् हमें दिल्ली में ही इस का श्रीगणेश करना चाहिये और वह भी सभा के सदस्यों से ही !

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या इस दल में कोई महिला चिकित्सक सम्मिलित थी ? क्या उन्हों ने अपनी सेवाएं अर्पित की हैं और क्या उन्हें स्वीकार किया गया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: मेरा विचार है कि उस में एक नर्स सम्मिलित है ।

†**श्री रंगा** : जिन असामान्य परिस्थितियों में इन्हें वहां रहना पड़ता है उन्हें देखते हुए क्या भरती किये जाने वाले इन व्यक्तियों को समुचित अतिरिक्त भत्ते दिये गये हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरु** : किन्हें ?

†**श्री रंगा** : वहां भेजे जाने वाले चिकित्सक स्त्री-पुरुषों को ।

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : जी, हां । हम उस क्षेत्र के लिये विशेष भत्ते का उपबन्ध कर रहे हैं ।

लघु उद्योग

***११३०. डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में लघु उद्योगों के विकास के लिये विदेशों से अब तक कोई वित्तीय सहायता मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी और यह किन-किन देशों से प्राप्त हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) संयुक्त राज्य अमेरिका के फोर्ड फाउन्डेशन ने अभी तक ४२,८५,१७८ डालर देने के प्रस्ताव किये और उन्हें स्वीकार कर लिया गया है ।

मशीनों तथा प्रविधिक विशेषज्ञों की सेवाओं के रूप में सहायता देने के प्रस्ताव भी आये हैं । इन में से सं० रा० अमेरिका के टैक्नीकल कोआपरेशन मिशन और जर्मन संघीय गणराज्य ने दो प्रोटोटाइप वर्कशापें तथा जापान सरकार ने लघु उद्योगों के लिए एक इन्स्टीट्यूट खोलने का प्रस्ताव किया है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या फ़ोर्ड प्रतिष्ठान से प्राप्त निधियों का तथा प्रविधिक सहयोग मिशन योजना के अधीन प्राप्त निधियों का उपयोग किसी विशिष्ट परियोजना के लिये किया जाता है या सामान्य प्रयोजनों के लिये उन का उपयोग किया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वे सभी विशिष्ट प्रयोजनों के लिये निर्धारित की गई हैं । फ़ोर्ड प्रतिष्ठान निधि सामान्यतः विस्तार केन्द्रों के लिये है—हम ने प्रत्येक राज्य में लघु उद्योगों के लिये एक प्रमुख संस्था स्थापित की है और वह उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों तथा अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये भी है । प्रविधिक सहयोग मिशन सहायता आद्यरूप वर्कशाप के लिये है और केवल इसी प्रयोजन के लिये है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या अभी तक कोई उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया है, और यदि हां, तो कहां ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जैसाकि मैं ने कहा था आजकल १४ संस्थायें काम कर रही हैं और लगभग १५ उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों का कार्यक्रम बनाया गया है जिन में से चार पहिले ही उत्पादन प्रारम्भ कर चुके हैं और शेष उत्पादन प्रारम्भ करेंगे ।

†**श्री पाणिग्रही** : इस विदेशी सहायता में से कितनी सहायता भारत में विभिन्न राज्यों को दी गई है और उस में से उड़ीसा राज्य को कितनी सहायता मिली है ?

†**श्री मनुभाई शाह**: इन्हें राज्य-वार आवंटित नहीं किया जाता है । यह वास्तव में उन भिन्न उद्योगपतियों को प्रोत्साहन देने तथा उन की एक प्रकार से सेवा करने के लिये है जो लघु उद्योग क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं । उड़ीसा को अपने अंश के रूप में लघु उद्योग सेवा के लिये एक संस्था का आवंटन किया गया है ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या इस वित्तीय सहायता के साथ साथ हमें विभिन्न विदेशों से एक कार्यक्रम भी प्राप्त होता है कि हमें लघु उद्योगों के भिन्न वर्गों में किस प्रकार रकम खर्च करनी चाहिये ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं ने मुख्य प्रश्न का जो उत्तर पढ़ा था उस में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है कि किसी विशिष्ट देश से सहायता का उपयोग किस प्रकार किया जाना है । मैं बता ही चुका हूं कि फ़ोर्ड प्रतिष्ठान सहायता विस्तार सेवाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये है, प्रविधिक सहयोग मिशन सहायता तथा हमारे प्रधान मंत्री के पश्चिमी जर्मनी जाने पर जिस सहायता का उस देश ने प्रस्ताव किया था, पश्चिमी जर्मनी की वह सहायता एक आद्य रूप मशीन उपकरण केन्द्र के लिये थी जिसे दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है । एक और का प्रविधिक सहयोग मिशन द्वारा प्रस्ताव किया गया है और जापान सरकार ने कलकत्ता में एक लघु उद्योग विकास संस्था के लिये विशिष्ट रूप से प्रस्ताव किया है ।

†**श्री शंकरय्या** : इस बात को देखते हुए कि लघु उद्योग उत्पाद के अच्छी किस्म के निर्माण के लिये नवीनतम प्रकार के औज़ार तथा उपकरण आवश्यक हैं क्या मैं जान सकता हूं कि यह देखने के लिय कि नये प्रकार के औज़ार तथा उपकरण आयात किये जाते हैं और भारत में लघु उद्योगों को उन का सम्भरण किया जाता है, क्या कार्यवाहियां की गई हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हम कहीं भी अप्रचलित मशीनों का उपयोग नहीं करेंगे । हम यथा-सम्भव सदैव आधुनिकतम वस्तुयें खरीदने का प्रयत्न करते हैं ।

†**श्री तंगामणि** : मंत्री महोदय ने कहा है कि फ़ोर्ड प्रतिष्ठान निधि में से चालीस लाख डालर से अधिक राशि का उपयोग लघु उद्योगों तथा विशेष रूप से उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों के लिये किया जा रहा है । क्या मैं जान सकता हूं कि उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों के स्वरूप के सम्बन्ध में हाल ही में कोयम्बटूर में हुई गोष्ठी में दिये गये सुझावों पर क्या विचार किया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : गोष्ठी में बहुत सी बातों पर विचार किया गया था और यह गोष्ठी लघु उद्योगों तक ही सीमित न थी । इस का सम्बन्ध ग्रामोद्योगों, हस्तशिल्प उद्योग, कुटीर उद्योग तथा विशिष्ट रूप से ग्राम्य क्षेत्र के उद्योगों से था, परन्तु हम कार्यवाही करते समय विभिन्न गोष्ठियों द्वारा दिये जाने वाले सभी सुझावों पर सदैव विचार करते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्य देशों से पत्र व्यवहार

***११३१. श्री क० भे० मालवीय :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन देशों की राज्य-भाषा अंग्रेज़ी नहीं है, वे हमारे साथ पत्र व्यवहार में किस भाषा का प्रयोग करते हैं ;

(ख) उन से प्राप्त पत्रों के उत्तर भारत द्वारा किस भाषा में दिये जाते हैं ; और

(ग) क्या ग़ैर-अंग्रेज़ी राज्यों के साथ पत्र-व्यवहार में उन राज्यों की भाषायें प्रयोग करने के लिये कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां): (क) अधिकांश देश हम से अंग्रेज़ी में पत्र-व्यवहार करते हैं। यों कुछ देश ऐसे भी हैं जो अपनी राष्ट्रभाषा में पत्र लिखते हैं लेकिन आम तौर से वे अपने पत्रों के साथ उन का अंग्रेज़ी अनुवाद भी लगा देते हैं।

(ख) भारत सरकार तथा विदेश-स्थित भारतीय मिशनों के उत्तर अंग्रेज़ी भाषा में भेजे जाते हैं। कुछेक मामलों में हमारे मिशन, संबद्ध देशों की राष्ट्रभाषा में अपने पत्र का ग़ैर-सरकारी (अन-आफ़ीशल) अनुवाद भी भेजते हैं।

(ग) जी, नहीं।

[इस के पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

†**श्री भक्त दर्शन :** क्या यह सत्य है कि कुछ सरकारों ने और खास तौर पर रूस और चीन सरकारों ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें जो भी राजकीय पत्र भेजे जायें, वे हिन्दी भाषा में ही भेजे जायें ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जहां तक मुझे इल्म है, कोई ऐसा अनुरोध नहीं हुआ है।

†**श्री जोकाम आल्वा :** हमारे हां कुछ ऐसे बहुत अच्छे युवक तथा युवतियां हैं जिन्हों ने दो बार भारतीय डिग्रियां प्राप्त की हुई हैं और जिन्हों ने उन भाषाओं में दक्षता प्राप्त करने के लिये विदेशी विश्वविद्यालयों में तीन वर्ष का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है। क्या वैदेशिक-कार्य मंत्रालय ने उन की सेवाओं को अधिगृहीत अथवा पंजीबद्ध किया है या उस ने यह कह कर पारिभाषिक आपत्ति की है कि क्योंकि उन्हों ने परीक्षा पास नहीं की है इसलिये केवल इसी कारण उन्हें नहीं रखा जा सकता है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यह बात इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं रखती है।

श्री रघुनाथ सिंह : जहां तक भाषा का ताल्लुक है पाकिस्तान और हिन्दुस्तान की भाषा एक है। मैं जानना चाहता हूं कि जो पत्र-व्यवहार उस के साथ होता है हिन्दी में होता है, हिन्दुस्तानी में होता है या उर्दू में होता है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : पाकिस्तान की भाषा और उत्तर भारत की भाषा तो एक है। लेकिन पाकिस्तान में भी जो सरकारी दफ्तरी काम होता है और जो भारत में होता है तथा ए० आई० आर० का काम होता है, उस में बहुत फर्क आ गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

उपाध्यक्ष महोदय : नेकस्ट क्वैश्चन । श्री अनिरुद्ध सिंह ।

श्री क० भे० मालवीय : क्या मैं जान सकता हूं कि इन पत्रों के साथ क्या हिन्दी अनुवाद .

उपाध्यक्ष महोदय: आप बहुत लेट हो गये हैं । जब मैं ने आप को बुलाया था तब आप खड़े नहीं हुए । अब जब मैं अगले सवाल पर चला गया तो आप सवाल पूछने लगे हैं । अगला प्रश्न ।

उद्योग सम्बन्धी केन्द्रीय मंत्रणा परिषद्

\+

†*११३४. { **श्री राम कृष्ण :**
श्री तंगामणि :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि नई दिल्ली में १० फ़रवरी, १९५८ को उद्योग सम्बन्धी केन्द्रीय मंत्रणा परिषद् की स्थायी समिति की बैठक में क्या निर्णय किये गये थे ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** स्थायी समिति एक मंत्रणा निकाय है। लोक-सभा पटल पर विवरण रखा जाता है जिसमें १० फरवरी, १९५८ को हुई स्थायी समिति की बैठक में की गई मुख्य सिफ़ारिशें दी गई हैं । **देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ९९]**

†**श्री राम कृष्ण :** विवरण में मैं ने देखा है कि कुछ राज्य सरकारों ने सीमेंट के वितरण के लिये परमिट व्यवस्था खत्म कर दी है । क्या मैं उन राज्यों के नाम जान सकता हूं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** अब तक संकेत ये हैं कि मैसूर सरकार परमिट व्यवस्था खत्म करने के लिये कार्यवाहियां कर रही है । सम्भवत: राजस्थान सरकार भी ऐसा ही करेगी परन्तु राज्य सरकारों के सभी प्रतिनिधियों की एक हाल ही की बैठक में सामान्य रूप से यह बात स्वीकार की गई थी कि ७५ प्रतिशत स्टाक बिना परमिट के दिया जायगा और शेष २५ प्रतिशत परमिट पर दिया जा सकता है ।

†**श्री रंगा :** क्या इस परिषद् में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस जैसी श्रम संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी कोई प्रतिनिधान दिया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जी, हां । श्रम सम्बन्धी सभी प्रतिनिधियों को प्रतिनिधान दिया जाता है ।

†**श्री तंगामणि :** विवरण में सीमेंट उद्योग तथा मोटर गाड़ी उद्योग की ओर निर्देश किया गया है । ८ फ़रवरी, १९५८ को आयात मंत्रणा परिषद् की बैठक में जो सुझाव दिये गये थे और जिन्हें २७ फ़रवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ५३९ के उत्तर के सम्बन्ध में बताया गया था और जिन का सम्बन्ध मोटर गाड़ी उद्योग के लिये अपेक्षित इस्पात की प्लेटों तथा नरम इस्पात की चादरों आदि जैसे कच्चे सामान के आयात से है, क्या उन सुझावों पर भी विचार किया गया है, और यदि हां, तो उन वस्तुओं के आयात को सुविधाजनक बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : यदि माननीय सदस्य विवरण के पृष्ठ संख्या २ को देखें तो सिफारिश संख्या ९ में कहा गया है कि :

> "एक सुझाव दिया गया था कि १२ महीने की आवश्यकताओं के आधार पर मोटर गाड़ियों के निर्माताओं को आयात लाइसेंस प्रदान किये जायें।" } भारत सरकार प्रस्ताव पर विचार करेगी ।

†**श्री ब्रजराज सिंह**: सीमेंट के वितरण के सम्बन्ध में परमिट व्यवस्था समाप्त करने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : न्यूनाधिक सभी इस बात से सहमत हैं कि एक ऐसी स्थिति आ गई है कि जब काफ़ी पाबन्दियां हटा ली जानी चाहियें, लेकिन क्योंकि बीते दिनों में हमारे सामने महान दुर्लभता की स्थितियां आई हैं इसलिय सभी जगह सावधानी बरतने का संकेत किया गया है । परन्तु मुझे आशा है कि सम्भरण में वृद्धि होने से काफ़ी सीमा तक पाबन्दियां हटा ली जायेंगी और सम्भवतः इन्हें पूरी तरह से हटा दिया जायेगा ।

†**श्री हेम बरुआ** : जैसाकि केन्द्रीय मंत्रणा परिषद् द्वारा सिफ़ारिश की गई है क्या सरकार का इस देश में सीमेंट उत्पादन संयंत्र बनाने का प्रस्ताव है, और यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार ने इस सम्बन्ध में पहिले ही कुछ विदेशो से बातचीत की है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जैसाकि सदन को ज्ञात है ऐसी बात नहीं है कि देश में सीमेंट उत्पादन संयंत्र बिल्कुल ही नहीं बनाया जाता है बल्कि काफ़ी मात्रा में उस का निर्माण किया जाता है। निःसंदेह जब हम प्रमुख इकाइयों को लेते हैं तो उन के सम्बन्ध में अधिक निर्माण नहीं किया जाता है। हाल ही में एक योजना अनुमोदित की गई है जिस के द्वारा पूरा उत्पादन प्रारम्भ किये जाने पर प्रति वर्ष लगभग दो से तीन सीमेंट के पूरे संयंत्र तैयार होने लगेंगे । ये मशीनें इस देश में अधिकाधिक बनाई जाती हैं यह देखने के लिये हमारे प्रयत्न जारी हैं ।

†**श्री विमल घोष** : सीमेंट के वितरण के सम्बन्ध गें राज्य सरकारों को भारत सरकार की मंत्रणा क्या है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जैसाकि में सदन में कई बार संकेत कर चुका हूं हम ने राज्य सरकारों से यह कहा है कि वे परमिट व्यवस्था पूर्णतः खत्म कर सकते हैं लेकिन दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है और राज्य सरकारें इस कारण यह व्यवस्था खत्म नहीं करना चाहेंगी क्योंकि उन्हें परिवहन स्थिति, प्राप्यता, स्कन्ध स्थिति, माल छोड़ने की स्थिति, विभिन्न परियोजनाओं की पूर्ववर्तिता सम्बन्धी अपेक्षा आदि को देखना पड़ता है और सम्भरण स्थिति को देखते हुए अपेक्षित कार्यवाहियां उन्हें ही करनी हैं ।

†**श्री तंगामणि** : जैसाकि आयात मंत्रणा परिषद् ने सुझाव दिया है क्या सूती उद्योग तथा मोटर स्टार्टर आदि जैसी तैयार वस्तुओं पर भी पाबन्दियां लगाई गई हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह बात इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होती है । परन्तु में माननीय सदस्य को सदैव यह आश्वासन दे सकता हूं कि ये निकाय हमें जो कुछ बताते हैं उस का वस्तुतः लाभ उठाने के लिये ही हम उन से मिलते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजः में

†श्री सोनावाने : क्या चमड़ा उद्योग के प्रतिनिधि को भी केन्द्रीय मंत्रणा परिषद् में तथा उस की स्थायी समिति में लिया गया है ?

श्री मनुभाई शाह : जहां तक स्थायी समिति का सम्बन्ध है यह नियमों के अधीन हाल ही का एक नवप्रवर्तन है । हम ने यह सोचा था कि एक बड़ा निकाय, अर्थात् उद्योग संबंधी केन्द्रीय मंत्रणा परिषद्,की काफ़ी बार बैठक नहीं हो सकेगी । इसलिये छोटे समूह की बैठकें हो रही हैं और जब कभी भी कार्यावलि में कोई विशिष्ट उद्योग आता है तो उस उद्योग के प्रतिनिधियों से समस्याओं पर बात-चीत करने के लिये उन्हें बुलाया जाता है ।

†श्री सोनावाने : मैं निश्चित रूप से यह जानना चाहता था . . . .

†उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

औद्योगिक बस्ती

+

†*११३६. { श्री घोषाल :
श्री सुबिमन घोष :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में औद्योगिक बस्ती की स्थापना की दिशा में कोई प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रगति हुई है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १००]**.

†श्री घोषाल : क्या सामान्य सेवा सुविधा केन्द्र का औद्योगिक बस्ती से कोई सम्बन्ध है ?

†श्री मनुभाई शाह : अब इन सभी विस्तार केन्द्रों को औद्योगिक बस्ती में ही स्थापित किया जायेगा ताकि वे कार्य के एक संकेन्द्रित क्षेत्र की सेवा कर सकें ।

†श्री घोषाल : 'सामान्य सेवा सुविधा केन्द्र' शीर्ष के अधीन कितनी रकम आवंटित की गई है ?

†श्री मनुभाई शाह : वे पृथक शीर्ष नहीं हैं । मैं कुल ख़र्च बता चुका हूं । यदि माननीय सदस्य विवरण को देखें तो प्रथम के सम्बन्ध में यह ५४.२० लाख रुपये है, द्वितीय के लिये ५.४५ लाख रुपये और फिर क्रमशः प्रत्येक के सम्बन्ध में आंकड़े दिये गये हैं ।

†श्री मनायन : क्या सिलीगुरी में एक औद्योगिक बस्ती स्थापित करने के लिये कोई प्रस्ताव है ? यदि हां, तो इस का स्वरूप क्या है तथा वह कितनी बड़ी होगी ?

†श्री मनुभाई शाह : जैसाकि विवरण में कहा गया है सिलिगुरी में एक औद्योगिक बस्ती के लिये भूमि का चुनाव पहिले ही से किया जा चुका है और चालू वर्ष में भूमि के विकास के लिये व्यवस्था की गई है । इस कार्यक्रम को शीघ्रता से पूरा करने की महान आवश्यकता के सम्बन्ध में हम राज्य सरकारों को सदैव ज़ोर देते रहते हैं । जबकि पिछले वर्ष बस्तियों की संख्या केवल ११ थी इस वर्ष ५१ बस्तियां स्थापित करने का कार्य पूरा हो जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

संघों को मान्यता

+

†*११३८. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री प्रभात कार :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री सरजू पांडे :

क्या **श्रम और रोज़गार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघों को मान्यता देने के सम्बन्ध में कोई विधि अधिनियमित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस समस्या के समाधान के लिये क्या कार्यवाहियां की जा रही हैं ; और

(ग) क्या इस मामले पर बातचीत करने के लिये एक त्रिपक्षीय सम्मेलन बुलाये जाने की संभावना है ?

†**श्री उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) तथा (ख). कार्मिक संघों को मान्यता देने के सम्बन्ध में इस समय कोई विधान अधिनियमित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) औद्योगिक सम्बन्धों के समस्त प्रश्न को अगले भारतीय श्रम सम्मेलन में वाद-विवाद के लिये सम्मिलित करने का प्रस्ताव है ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि मान्यता देने के लिये विधान अधिनियमित करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं है । क्या उन्हें मालूम है कि सरकारी कर्मचारियों के आचार नियमों में खण्ड ४(ख) की पुरःस्थापना से, जिस में यह कहा गया है कि कोई कार्मिक ऐसे किसी कार्मिक संघ का सदस्य नहीं बन सकता है जो अपने पंजीयन के लिये छः मास के भीतर मान्यता के लिये आवेदित नहीं करता है, किसी संघ के लिये मान्यता प्राप्त करना संभव नहीं है ? यदि हां, तो उस संशोधन को निकालने के लिये श्रम मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाहियां की जा रही हैं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वह यह जानना चाहते थे कि क्या विधान अधिनियमित करने का प्रस्ताव है और उत्तर था 'नहीं' । अब वह यह तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं कि इस की ज़रूरत है और इसे अवश्य अधिनियमित करना चाहिये ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : यह कोई तर्क नहीं है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह और क्या है ?

†**श्री स० म० बनर्जी** : सीधी सी बात है कि नए संशोधन की पुरःस्थापना से .....

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब वह इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि यह आवश्यक है और उन्हें विधान अधिनिमिन करना चाहिये ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : तो मैं अपना दूसरा प्रश्न पूछूंगा । क्या कुछ केन्द्रीय कार्मिक संघ संस्थाओं ने विभिन्न संघों के प्रतिनिधि स्वरूप तथा बाद में उन के अभिज्ञान के सम्बन्ध में निर्णय करने के लिये जननिर्देश का सुझाव दिया है ? यदि हां, तो वे संस्थायें कौन सी हैं और क्या सरकार इस सब से अधिक लोकतंत्रात्मक ढंग से सहमत है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आबिद अली** : यदि माननीय सदस्य उन संस्थाओं की एक सूची चाहते हैं तो उन्हें इस सम्बन्ध में पूर्व सूचना देनी होगी। लेकिन स्थिति यह है कि विधान द्वारा संघों को केवल पारिभाषिक मान्यता मिल सकेगी। हम चाहते हैं कि अभिज्ञान मान्यता का कोई प्रयोजन हो। इस समय अधिकांश संघ मान्यता प्राप्त हैं। शायद पारिभाषिक दृष्टि से ऐसा न हो लेकिन यह मान्यता सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिये है।

†**श्री स० म० बनर्जी** : विभिन्न संघों ने यह सुझाव दिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय कार्मिक संघ संस्थाओं ने यह सुझाव दिया है कि किसी विशिष्ट संघ की प्रतिनिधि क्षमता का निर्णय करने के लिये तथा बाद में उस को मान्यता देने के लिये जननिर्देश होना चाहिये। क्या अखिल भारतीय कार्मिक संघ कांग्रेस ने यह सुझाव दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने यह सुझाव स्वीकार किया है ? यदि नहीं, तो इस का क्या कारण है ?

†**श्री आबिद अली** : व्यवहार रूप में जो संघ मान्यता का पात्र होता है उसे मान्यता दे दी जाती है।

†**श्री स० म० बनर्जी** : मैं जानता हूं कि माननीय उपमंत्री श्रमिक समस्याओं के सम्बन्ध में एक चलते फिरते विश्व कोष समझे जाते हैं। परन्तु उन्हों ने कहा है कि . . .

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह टीका क्यों ? वह एक ऐसी कल्पना कर रहे हैं जो उस पक्ष को स्वीकार नहीं है।

†**श्री स० म० बनर्जी** : यह तो उन का अभिनन्दन है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : उन्हें सीधा प्रश्न पूछना चाहिये। प्रश्न-काल के दौरान प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं है। हमें जानकारी प्राप्त करनी है। प्रश्न संक्षिप्त होना चाहिये और उत्तर तुरन्त दिया जाना चाहिये।

†**श्री स० म० बनर्जी** : माननीय उपमंत्री ने कहा है कि जो संघ मान्यता के पात्र हैं उन्हें मान्यता मिल जाती है। क्या मैं 'पात्र' शब्द की परिभाषा जान सकता हुं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : परिभाषा यहां नहीं बताई जायेगी।

†**श्री तंगामणि** : जैसा कि द्वितीय योजना की श्रम नीति में सूचित किया गया है, क्या सरकार ने कार्मिक संघों को मान्यता देने के लिए विधान अधिनियमित करने की यह नीति त्याग दी है ? क्या इस प्रकार का विधान अधिनियमित करने के लिये कम से कम राज्य सरकारों को एक निदेश जारी किया जायेगा ?

†**श्री आबिद अली** : कुछ राज्यों में ऐसे अधिनियम हैं जिनके द्वारा मान्यता के पात्र संघ मान्यता प्राप्त कर लेते हैं, जैसा कि मैं पहिले कह चुका हूं, सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिये बहुत से कार्मिक संघों को मान्यता प्राप्त है। इस समय इस प्रयोजन के लिये कोई विधान अधिनियमित करने का विचार नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

केरल में भूमि का समुद्र द्वारा कटाव रोकने का कार्य

†*११३९. **श्री कोडियान** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में भूमि का समुद्र द्वारा कटाव रोकने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक कुल कितना व्यय हुआ है ; और

(ग) इस कार्य के आरम्भ के बाद से केन्द्र ने केरल राज्य को किस रूप में कितनी वित्तीय सहायता दी है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) कोचीन बन्दरगाह के निकट उद्बन्धों सहित एक एक मील लम्बी प्रयोगात्मक समुद्री दीवार का निर्माण १९५६-५७ में पूरा हो गया था। त्रिचूर और अन्य जिलों में ६ मील लम्बी समुद्री दीवारों का निर्माण चल रहा है और ४ मील की लम्बाई तक दीवार लगभग बन गयी है।

(ख) प्रथम योजना काल में हुआ व्यय ९.१७ लाख रुपये है। द्वितीय योजना के अधीन जनवरी, १९५८ तक हुआ व्यय लगभग ३७ लाख रुपये है।

(ग) प्रथम योजना-काल में लगभग ९ लाख रुपये की सहायता दी गयी। द्वितीय योजना काल में इस योजना के लिये उतनी ही सहायता दी जा सकती है जितनी कि विविध विकास योजनाओं के लिये प्रत्येक वर्ष में उपलब्ध आवंटन में से दी जा सके।

†**श्री कोडियान** : इस कार्य को क्रियान्वित करने के लिये केरल राज्य ने किस प्रकार की वित्तीय सहायता मांगी थी ?

†**श्री ल० ना० मिश्र**: केरल सरकार से हाल में मिले एक सन्देश से पता चला है कि वह २०० मील लम्बी समुद्री-दीवार चाहते हैं और प्रत्येक दीवार की लागत लगभग १० लाख रुपये है। मूलतः योजना में २५८ लाख रुपयों का उपबन्ध किया था उसे घटा कर १८५ लाख रुपये कर दिया गया गया है।

†**श्री कोडियान** : क्या केरल सरकार ने इस आशय की कोई नयी योजना दी है कि इस समय भूमि का समुद्र द्वारा कटाव रोकने के लिये जो कार्यवाही तट के चुने हुए भागों में की जा रही है उसे तट के किनारे के अन्य पीड़ित क्षेत्रों में भी बढ़ा दिया जायगा ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : नयी योजना के सम्बन्ध में, जो इससे बड़ी है, इसका उत्तर दे दिया गया था ?

†**श्री वें० प० नायर** : माननीय सभा सचिव ने कहा है कि प्रयोग के प्रयोजन के लिये एक-एक मील समुद्री-दीवार का निर्माण किया गया है। क्या केरल में भूमिका के समुद्र-द्वारा कटाव के सम्बन्ध में विशेष रूप से इस बात का पता लगाने के लिये कोई गवेषणा की गयी है कि तट पर लहरों के लगातार थपेड़ों को रोकने के लिये सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रंगा** : क्या सरकार को पूर्वी तट पर, विशेष रूप से उड़ीसा में और आंध्र के उत्तरी भाग में श्रीकाकुलम् जिले में होने वाली इसी कठिनाई का पता है ? और यदि हां, क्या सरकार पूर्वी तट पर भी इसी प्रकार के प्रयोग शुरू करने वाली है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : इसका कार्यक्रम तो होना ही चाहिये । लेकिन बेहतर हो कि यह प्रश्न सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय से पूछा जाये ।

लौह अयस्क का निर्यात

†*११४०. **श्री हेडा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड ने जुलाई, १९५७ से जून, १९५८ तक की अवधियों में कुल कितनी लौह-अयस्क के निर्यात का ठेका किया था ;

(ख) वास्तव में कितना निर्यात किया गया है ; और

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम कार्यक्रम से अधिक आयात कर चुका है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) राज्य व्यापार निगम ने जुलाई, १९५७ से जून १९५८ के बीच की अवधि में २३, ४३,९६० टन लौह-अयस्क के निर्यात का ठेका किया था ।

(ख) जनवरी, १९५८ के अन्त तक १०,७१,९७३ टन का वास्तव में निर्यात किया जा चुका है ।

(ग) जी नहीं । लेकिन राज्य व्यापार निगम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है ।

†**श्री हेडा** : राज्य व्यापार निगम को संभरण कैसे होता है ? क्या वह खनकों के संघों से खरीदते हैं या खनकों से व्यक्तिगत रूप से ?

†**श्री कानूनगो** : राज्य-व्यापार निगम खनकों, नौवहन कर्ताओं और व्यापारियों से, जिनसे भी सुविधानुसार संभरण प्राप्त होता है खरीद लेता है ।

†**श्री हेडा** : मेरा प्रश्न यह था कि क्या यह संघों से या खनकों से व्यक्तिगत रूप से खरीदे जाते हैं ?

†**श्री कानूनगो**: यह संघों से खरीदना अच्छा समझता है लेकिन यह सुविधाजनक होने पर खनकों या नौवहनकर्त्ताओं से भी खरीद लेता है ।

†**श्री आयंगर** : यह अयस्क किन देशों को निर्यात किया जाता है ? क्या उनमें इटली भी शामिल है ?

†**श्री कानूनगो** : जी हां, उनमें इटली शामिल है ।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी**: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राज्य व्यापार निगम को इस २३ लाख टन में से अधिकांश लौह अयस्क का निर्यात विशेष रूप से पश्चिमी ओर के छोटे-छोटे बन्दरगाहों से करना होता है, इसलिये एक ओर तो इन छोटे बन्दरगाहों का विकास करने के लिये परिवहन मंत्रालय से और दूसरी ओर राज्य सरकारों से, जिन्हें सड़कों को विकसित करना होता है, क्या समन्वय स्थापित किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो** : बराबर परामर्श चलता रहता है और बोर्ड में परिवहन मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय का एक-एक प्रतिनिधि मौजूद है ।

†**श्री पाणिग्रही** : भारत सरकार ने उड़ीसा खनन निगम में कितनी पूंजी लगायी है और जहां तक लौह-अयस्क का सम्बन्ध है, उसके जरिये से कितना निर्यात किया गया है ?

†**श्री कानूनगो** : यह प्रश्न यदि खान और तेल मंत्रालय से पूछा जाये तो ज्यादा सहूलियत होगी ।

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिंन्हा** : हाल हीं में जापान से लौह-अयस्क के निर्यात के लिये नया समझौता हुआ है । क्या कम लौह वाले अयस्क के निर्यात के लिये भी कोई समझौता हुआ है ?

†**श्री कानूनगो** : जी हां, कम लोहे वाले अयस्क का भी निर्यात किया जाता है और यह ठेके में शामिल हैं ।

†**श्री वें०पे० नायर**: क्या सरकार ने जापान को लौह-अयस्क का निर्यात करने के लिये कोचीन के बन्दरगाह की सामान उतारने चढ़ाने की क्षमता बढ़ाने की संभावनायें पर विचार किया है, और यदि हां, तो इसका कुछ अंश कोचीन के बन्दरगाह से होकर भेजने के लिये क्या विशिष्ट कार्यवाही की गयी है ?

†**श्री कानूनगो** : कोचीन पत्तन के विषय में कठिनाई यह है कि वह स्थान जहां से अयस्क प्राप्त होता है वहां से दूर है । वहां क्षमता तो मौजूद है लेकिन प्रश्न अयस्क को वहां ले जाने का रह जाता है ।

†**श्री तिरुमल राव** : देश के किस भाग से इस ठेके का अधिक अंश अब तक पूरा किया गया और आगे भी पूरा किया जायेगा ?

†**श्री कानूनगो** : बिहार और उड़ीसा क्षेत्र के लिये परम्पराजन्य स्रोत तो कलकत्ता ही है ।

†**श्री पाणिग्रही** : राज्य व्यापार निगम ने उड़ीसा से कितना लौह-अयस्क खरीदा है ?

†**श्री कानूनगो** : मेरे पास पृथक् आंकड़े नहीं हैं क्योंकि कलकत्ता पत्तन में सभी आंकड़े मिले-जुले रहते हैं ।

†**श्री त्यागी** : यह ठेके क्या जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य या लागत बीमा भाड़ा सहित मूल्य के आधार पर चलाये जाते हैं, और यदि आयात करने वाले देश अपने पोतों का प्रयोग न करते हों तो क्या राज्य व्यापार निगम विभिन्न नौवहन समवायों से टेंडर मांगता है और उन समवायों को नौवहन का शुल्क देता है जिनकी दरें बेहतर होती हैं ?

†**श्री कानूनगो** : सामान्यतया जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य होता है, लेकिन लागत-बीमा भाड़ा सहित मूल्य भी होता है । यह सब कुछ नौवहन की उपलब्धि और आयात करने वाले की सुविधा पर निर्भर करता है ।

†**श्री सोनावाने**: क्या लौह-अयस्क के निर्यात और जापान को दस वर्षों तक लौह-अयस्क का निर्यात करने के समझौते का हमारे अपने उद्योगों को लौह अयस्क के संभरण पर कोई असर पड़ेगा ?

†**श्री कानूनगो** : जी नहीं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री हेडा—यह अन्तिम प्रश्न है । हम लौह-अयस्क में ही नहीं फंसे रह जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेडा** : मन्त्री महोदय ने यह उत्तर दिया था कि राज्य व्यापार निगम जहां भी संघ होते हैं उनसे सभरण प्राप्त करता है। क्या यह बात सरकार के ध्यान में लायी गयी है कि जहां यह संघ होते हैं उन क्षेत्रों में इस बात को लेकर बड़ी ईर्ष्या होती है कि उन्हें पर्याप्त कोटा नहीं मिलता और संघ अपने व्यवहार में भेद-भाव करता है ?

†**श्री कानूनगो** : हमको किसी भी ठिकाने के संघ से ऐसी शिकायत नहीं मिली है।

उड़ीसा राज्य को केन्द्रीय सहायता

†*११४१. **श्री पाणिग्रही** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पहले और दूसरे वर्ष के लिये उड़ीसा राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गयी है;

(ख) क्या इन दो वर्षों में राज्य सरकार के योजना व्यय में किसी प्रकार की कमी रही है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र)**: (क) १९५६–५७ में उड़ीसा की योजना के लिये दी गई केन्द्रीय सहायता १२.७ करोड़ रुपये थी। १९५७–५८ के लिये भी इतनी ही राशि की केन्द्रीय सहायता देने की सूचना दी गयी थी।

(ख) और (ग). १९५६–५७ में उड़ीसा की योजना का व्यय १६.७ करोड़ रुपये था। आय व्ययक में २४.४ करोड़ रुपये व्यय करने का उपबन्ध था।

१९५७–५८ में आय व्ययक में १९.१ करोड़ रुपये का उपबन्ध था। इस समय उपलब्ध प्रारम्भिक प्राक्कलनों के अनुसार १९.४ करोड़ रुपये व्यय होंगे।

†**श्री पाणिग्रही** : उड़ीसा की किन किन योजनाओं के व्यय में कमी रही और इसने राज्य में खाद्य-उत्पादन और जल-सभरण की सुविधायें बढ़ाने के योजना आयोग के लक्ष्यों पर क्या असर डाला ?

†**श्री ल० ना० मिश्र**: १९५६–५७ में अधिकांश कमी—७.६४ करोड़ में से ४ करोड़ रुपयों की—कमी सिंचाई और विद्युत् सम्बन्धी व्यय में और २.३१ करोड़ रुपयों की कमी हीराकुड बहुप्रयोज-नीय परियोजनाओं में हुई। यह कमी मुख्यतः प्रविधिक कर्मचारियों की कमी और सिंचाई सम्बन्धी योजनाओं के प्रविधिक पहलुओं को अन्तिम रूप प्रदान न किये जा सकने की वजह से हुई।

†**श्री पाणिग्रही** : क्या १९५८–५९ के लिये आवंटन निर्धारित करने से पहले उड़ीसा सरकार के धन व्यय न कर सकने की शक्ति पर विचार कर लिया गया था ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)**: हालांकि मेरे माननीय मित्र ने कठिनाइयां स्पष्ट कर दी हैं फिर भी इनको विस्तार से स्पष्ट करने में कुछ समय लगेगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इसे इतना ही होना चाहिये जिसके लिये प्रश्न काल में अनुमति दी जा सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** जी, हां । एक बात तो यह है कि यह कमी वास्तविक नहीं वरन् प्रत्यक्ष रूप में प्रर्त त होने वाली है क्योंकि लेखों में जो घट-बढ़ की जानी चाहिये थी वह नहीं की जा सकी । यही मुश्किल है ।

भारत में मुसलमानों के पावन स्थान

†***११४३. श्री राधा रमण :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान भारत में मुसलमानों के पावन स्थानों और कब्र गाहों को अपवित्र करने और उन्हें नष्ट करने के सम्बन्ध में पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री के हाल में दिये गये इस उत्तर की ओर आकृष्ट हुआ है जिसमें उन्होंने यह बताया कि पंजाब और दिल्ली क्षेत्रों म यह कार्य विशिष्ट रूप में हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या पाकिस्तान सरकार ने भारत से कुछ विरोध प्रकट किया है ;

(घ) क्या उस विरोध का कोई उत्तर दिया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां):** (क) और (ख). सरकार ने अखबारों में इस उत्तर की खबर देखी हैं । उसमें लगाये गये आरोप सच नहीं हैं ।

(ग) पाकिस्तान के उच्चायुक्त ४ जनवरी, १९५८ को वैदेशिक कार्य मंत्रालय में आये थे और वहा राष्ट्र मण्डल-सचिव के पास एक टिप्पण छोड़ गये थे जिसमें भारत में मुसलमानों के पावन स्थानों और कब्रगाहों को अपवित्र करने की कथित आठ घटनाओं के विषय में जानकारी मांगी गयी थी । उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि यह आरोप अखबारी खबरों पर आधारित थे और वह केवल इन्हें भारत सरकार के ध्यान में ला रहे हैं और उ नका मंशा रस्मी या गैर रस्मी तौर पर विरोध प्रकट करने का नहीं है ।

(घ) और (ङ). जी,हां । पाकिस्तान के उच्चायुक्त को सूचित किया गया है कि मुसलमानों के सात पावन स्थानों और कब्रगाहों के सम्बन्ध में लगाये गये आरोप जांच करने पर निराधार पाये गये हैं और एक मामले की अभी जांच हो रही है ।

†**श्री राधा रमण :** पाकिस्तान की नेशनल असेम्बली में पूछे गये एक प्रश्न का पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री ने जो उत्तर दिया था क्या भारत सरकार ने उसकी अधिकृत प्रति प्राप्त कर ली है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** मुझे नहीं मालूम कि इसका भारत में मुसलमानों के पावन स्थानों से क्या ताल्लुक है । इस प्रश्न में कोई प्रासंगिकता नहीं है । वास्तव में काफी दिन पहले मुझ से इस सम्बन्ध में और प्रश्न पूछा गया था और मैंने उसका उत्तर दे दिया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य सिर्फ यही जानना चाहते थे कि क्या सरकार की जानकारी इस विवरण की अखबारी खबरों पर आधारित है या सरकार के पास पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री के वक्तव्य की अधिकृत प्रति मौजूद है। मेरे ख्याल से प्रश्न यही था।

†**श्री राधा रमण :** जी हां।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** कौनसा विवरण, किस के बारे में ? मुझे नहीं मालूम।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** उस उत्तर का जो पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री ने मुसलमानों के पावन स्थानों और कब्रोंगाहों के अपवित्र किये जाने और नष्ट किये जाने के सम्बन्ध में दिया था। माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार का ध्यान भारत के मुसलमानों के पत्रिव स्थानों और कब्र गाहों के अपवित्र किये जाने और नष्ट किये जाने के सम्बन्ध में पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री द्वारा हाल ही में दिये गये उस उत्तर की ओर गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसा पंजाब और दिल्ली में होता है।

†**श्री सादत अली खां :** हमारे पास कलकत्ते के स्टेट्समैन में प्रकाशित वक्तव्य है जो पावन स्थानों को नष्ट करने के बारे में श्री नून ने दिया था।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यही तो माननीय सदस्य पूछ रहे थे। क्या सरकार ने अखबार में प्रकाशित वक्तव्य पर ही विश्वास कर लिया ?

†**श्री सादत अली खां :** मैंने कहा था न कि उच्चायुक्त हमारे पास आये थे।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं वैस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट और सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने मास्क्स और ग्रेवयार्डस की बेहतरी और उनकी सम्भाल के लिये कितना रुपया खर्च किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह तो अलाहदा सवाल है। उस में नहीं आयेगा।

श्री रघुनाथ सिंह : इसी में है।

उपाध्यक्ष महोदय : : आप मेरी राय कबूल कर लीजिये।

श्री रघुनाथ सिंह : एक दूसरा सवाल मैं पूछता हूं। पाकिस्तानी अखबारों में यह बात शाया हुई थी कि हजरत फतेह अली शाह की मजार को, जो कि जालंधर में है, शहीद कर दिया गया, क्या यह ठीक है ?

श्री सादत अली खां : बिल्कुल ठीक नहीं है। हजरत फतेह अली शाह, जहां तक मुझे मालूम है सातवें गुरु के चेले थे और पार्टिशन से पहले भी उनकी बड़ी इज्जत होती थी और अब भी हर फिर्के की तरफ से उनकी इज्जत होती है। पिछली दिसम्बर में जो उन की खानकाह मजार से मुत्तसिल है उस पर चूना हुआ, उनकी मजार पर फिर से चादर चढ़ाई गई। जाहिर है कि यह खबर बिल्कुल गलत है।

†**श्री राधा रमण :** अखबारों की खबरों से ऐसा प्रतीत होता है कि पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री ने नेशनल असेम्बली में प्रश्न का जो उत्तर दिया था उसमें कहा था कि भारत में सैकड़ों कब्रगाहों को साफ कर उन पर इमारतें बनायी जा रही हैं। इसका काफी सामान्यीकरण किया गया है। क्या सरकार ने इस पर कुछ ध्यान दिया है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** इसका उत्तर तो दिया जा चुका है। यह भेज दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सेंट्रल इंडिया काटन एसोसियेशन लिमिटेड

*११२५. **श्री राधेलाल व्यास :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेंट्रल इंडिया काटन एसोसिएशन के उज्जैन के सदस्यों ने फार्वर्ड मार्केट कमीशन और केन्द्रीय सरकार को फार्वर्ड मार्केट कमीशन द्वारा निर्वाचित बोर्ड के स्थान पर एक और बोर्ड मनोनीत करने के विरोध स्वरूप अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में निष्क्राम्य बगीचे

†*११२८. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में निष्क्रम्य बगीचों पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त, सिन्ध के विस्थापितों और अन्य गैर-पंजाबियों को पंजाब में छट गये उनके बगीचों के बदले में दे दिये गये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि अब उनके नीलाम के आदेश जारी कर दिये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्यों ?

†**पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री पू० श० नास्कर):** (क) दिल्ली में पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त और सिन्ध के विस्थापितों और अन्य गैर-पंजाबियों को बगीचे दे दिये गये हैं । जिन लोगों को यह बगीचे दिये गये हैं उन सभी के पास बगीचों के सत्यापित दावे नहीं हैं ।

(ख) जी नहीं । केवल बेचे जा सकने वाले बगीचों को सार्वजनिक नीलाम में बेचा जा रहा है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रबड़ के टायरों के कारखाने

†*११३२. **श्री अनिरुद्ध सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी फैक्टरियां मोटर-उद्योग के लिये रबड़ के टायर बना रही हैं और उनका वार्षिक उत्पादन (टनों में) कितना है ;

(ख) देश में प्रत्येक प्रकार के टायरों की वार्षिक आवश्यकता कितनी है ;

(ग) देशी उत्पादन और उनकी मांगों में कितना अन्तर है और आन्तरिक मांगों को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(घ) क्या इस प्रयोजन के लिये देश में कोई नयी फैक्ट्रीयां खोली जाने वाली हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) इस समय देश में दो कारखाने मोटरों के टायर बनाने में लगे हैं और १९५७ में उनका उत्पादन ९९०,१४८ टायर (२५,२००टन) था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यात्री टायर . . ३,२०,००० टायर प्रतिवर्ष
बड़े टायर . ८,१०,००० टायर प्रतिवर्ष

(ग) आशा है कि जहां तक यात्री टायरों का सम्बन्ध है चालू वर्ष के उत्पादन से उनकी मांग पूरी हो जायेगी। लेकिन बड़े टायरों के सम्बन्ध में विस्तार होने तक ३०,००० टायरों की कमी रह जाने की आशा है और यह आयात द्वारा पूरी की जायेगी।

(घ) जी हां। मोटरों के टायर बनाने के कारखाने खोलने के लिये तीन फर्मों को लाइसेंस दिये जा चुके हैं।

सिगरेट और तम्बाकू उद्योग

†*११३३. **श्री कालिका सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में सिगरेट और तम्बाकू उद्योग में कितनी विदेशी पूंजी लगी है ;

(ख) इस समय इस उद्योग में भारतीय पूंजी कितनी है ; और

(ग) उपर्युक्त उद्योग में भारतीय पूंजी के विनियोग में वृद्धि के लिये क्या कार्यवाही की गयी या की जाने वाली है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) १९५६ के अन्त तक २५.८ करोड़ रुपये।

(ख) निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) उपयुक्त अवसर आने पर सरकार इस मामले पर विचार कर सकती है।

दामोदर जल संभरण योजना

†*११३५. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर जल संभरण योजना को क्रियान्वित करने के लिये धनबाद के झरिया जल-बोर्ड को कोयला खान श्रम कल्याण निधि से १५ लाख रुपये का सहायक अनुदान और ३० लाख रुपये का ऋण देने का अनुरोध सरकार ने मंजूर कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक योजना में कितनी प्रगति हुई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) १९५३ में बिहार सरकार को झरिया कोयला-खान क्षेत्र के लिये जल-संभरण योजना आरम्भ करने के लिये कोयला श्रमिक कल्याण निधि से १५ लाख रुपये का सहायक अनुदान और ३० लाख रुपये का ऋण मंजूर किया गया था। लेकिन इसका भुगतान करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि इस योजना को बाद में राष्ट्रीय जल संभरण और स्वच्छता कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया था और राज्य सरकार को इस कार्यक्रम के अधीन आवश्यक वित्तीय सहायता मिल रही थी।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस योजना से सम्बन्धित ७५ प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विभाजन सम्बन्धी विवादों का निबटारा

†*११३७. **श्री दामानी :** क्या **प्रधान मंत्री** ६ अगस्त, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ७२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विभाजन के फलस्वरूप जो विवाद उठ खड़े हुए थे और अब तक चल रहे थे वे किस हद तक निबटाये जा चुके हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** ३१ अगस्त, १९५६ को अतारांकित प्रश्न संख्या ११८४ के उत्तर में भारत और पाकिस्तान के प्रमुख शेष वित्तीय विवादों का विवरण लोक-सभा पटल पर रखा गया था । इन विवादों के निबटारे में अभी कोई प्रगति नहीं हुई है क्योंकि इनके बारे में दोनों देशों के वित्त मंत्रियों के बीच चर्चा का प्रस्ताव रखा गया है और अभी तक इनकी बैठक तय नहीं की जा सकी है ।

बन्दरों का निर्यात

†*११४२. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने ६ पौंड और उससे कम वज़न के बन्दरों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि लगभग ३,००० छोटे बन्दरों पर लगाये गये प्रतिबन्ध हाल ही में हटा लिये गये थे; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) जी, नहीं । केवल ६ पौंड से कम वज़न वाले बन्दरों पर प्रतिबन्ध लागू होता है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) प्रश्नाधीन बन्दर निर्यात करने वालों द्वारा पहले ही समुद्रपार क्रेताओं को भेजने के लिये दिल्ली लाये जा चुके थे और ६ पौंड से कम वज़न के बन्दरों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगने से पूर्व ही उनके निर्यात और भाड़े के बारे में करार हो चुका था ।

कोचीन पत्तन में सत्याग्रह

†*११४४. **डा० क० ब० मेनन :** क्या **श्रम और रोज़गार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो संस्पर्धी बन्दरगाह श्रमिक संघों में कुछ विवाद के सम्बन्ध में कोचीन पत्तन में सत्याग्रह चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो विवाद किन विषयों पर है; और

(ग) इस विषय में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, नहीं ; तथाकथित सत्याग्रह का बन्दरगाह श्रमिक संघों के विवाद से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

(ख)और(ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

नियोमोकोनियोसिस का आपात[1]

†*११४५. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १९ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खानों में नियोमोकोनियोसिस[1] के आपात का सर्वेक्षण कार्य किसको सौंपा गया है; और

(ख) इस सर्वेक्षण में क्या प्रक्रिया अपनायी जा रही है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) खान विभाग के मेडिकल इंस्पेक्टर ।

(ख) मैडिकल आफ़िसर ने एक प्रश्नावली जारी की थी । प्राप्त उत्तरों के आधार पर डाक्टरी परीक्षा के लिये विभिन्न कोयला खानों में विभिन्न वर्गों और कर्मचारियों की संख्या का चुनाव शुरू किया गया । जब भी यह पूरा हो जायेगा, आदमियों की अखिल भारतीय स्वास्थ्य प्रद और लोक स्वास्थ्य संस्था के सहयोग से परीक्षा की जायेगी ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सिंचाई योजनायें

†*११४६. **श्री पांगरकर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के हेतु केन्द्रीय सरकार को कोई नयी सिंचाई योजनायें भेजी हैं ;

(ख) यदि हां, तो योजनायें क्या हैं;

(ग) योजनाओं पर कितनी अनुमानित लागत आयेगी ; और

(घ) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) से (घ). सभापटल पर एक विवरण रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १०१]**

मलाया और पाकिस्तान के साथ व्यापार

†*११४७. **श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मलाया और पाकिस्तान के साथ भारत का व्यापार सन्तुलन प्रतिकूल जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Pneumoconiosis

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) जी, हां ।

(ख) जहां तक मलाया का सम्बन्ध है, हम नये उद्योगों के उत्पादों को निर्यात करने का प्रयत्न कर रहे हैं । जहां तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है, हम कच्चे जूट और नाशी खाद्य पदार्थों के उत्पादन को देश में बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं जो कि हम उस देश से अधिक आयात करते हैं ।

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी

*११४८. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी, दिल्ली का प्रबन्ध जब से सरकार ने अपने हाथ में लिया है तब से उसने क्या प्रगति की है; और

(ख) इस समय इस फैक्टरी की लाभ तथा हानि की स्थिति क्या है ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) जुलाई १९५७ में अन्त होने वाले वर्ष में फैक्ट्री ने ३८.२३ लाख रुपये कीमत का सामान बनाया जब कि जुलाई १९५६ में अन्त होने वाले वर्ष में ३० लाख रुपये का सामान बनाया था ।

सरकार ने फैक्ट्री के काम की जांच और इसका पुनर्संगठन करने के लिये जो विशेषज्ञ-समिति बनाई थी उसकी सिफ़ारिशों को ध्यान में रखते हुये फ़ैक्ट्री का पुनर्संगठन किया जा रहा है जो कि कुछ महीनों में पूरा हो जायेगा ।

(ख) १९५६–५७ में फैक्ट्री को ३८,९७१ रुपये का लाभ हुआ जब कि १९५५–५६ में ५८१३ रुपये का लाभ हुआ था ।

बेरोजगारी का सर्वेक्षण

†*११४९. **श्री दी० चं० शर्मा :**
सरदार इक़बाल सिंह :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गवेषणा कार्य-क्रम समिति के संरक्षण में किया गया बेरोजगारी का सर्वेक्षण पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन का स्वरूप क्या है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) :** (क) और (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १०२]**

---

†मूल अंग्रेजी में

काजू का तेल

†*११५१. **श्री वें० प० नायर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय काजू के तेल में क्या लागत आती है और इसका निर्यात मूल्य क्या है; और

(ख) इस तेल की देश में कितनी और किस रूप में खपत होती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) इस समय एक टन काजू के तेल की लागत लगभग ८०० रुपये होती है और इसका निर्यात मूल्य कोचीन नैतल पर्यन्त निशुल्क[१] लगभग ८४० रुपये प्रति टन है ।

(ख) देश में काजू के तेल का उपयोग किसी हद तक राल, वार्निस और 'स्टोविंग ब्लैम्स' के निर्माण में होता है । इसका तख्तों के बंधन में मछली पकड़ने के जाल, हल्के लकड़ी के काम, तख्तों और बल्लों के तलों पर रंग करने इत्यादि में भी उपयोग होता है । इसका देशीय उपयोग लगभग ४०० टन प्रति वर्ष है ।

रेयन कारखानों में श्रमिक

†*११५२. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १४ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेयन कारखानों में श्रमिकों के स्वास्थ्य पर विषैले प्रभाव का अध्ययन करने के लिये किये गये सर्वेक्षण के प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने में देरी के क्या कारण हैं ;

(ख) उसके कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है; और

(ग) इन कारखानों में कुल कितने श्रमिक नियोजित हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) संकलित सामग्री की जांच और व्यवस्था पर ध्यान पूर्वक विचार की आवश्यकता है और उस पर समय लगता है ।

(ख) लगभग चार महीनों में ।

(ग) सर्वेक्षण के समय लगभग ३,७०० ।

सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों को सहायता

†*११५३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि नाभिकीय विज्ञान में मूलभूत गवेषणा करने के लिये सेवानिवृत्त भारतीय वैज्ञानिकों को सहायता के रूप में अब तक कितनी धनराशि दी गयी है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** सेवानिवृत्त भारतीय वैज्ञानिकों ने नाभिकीय विज्ञान में मूलभूत गवेषणा के लिये कोई वित्तीय सहायता नहीं मांगी है । तथापि, तीन सेवा निवृत्त वैज्ञानिक विभाग में काम कर रहे हैं । वैज्ञानिक गवेषणा को प्रोत्साहन देने की सरकार की नीति है और जहां भी आवश्यक होगा, हर सम्भव सहायता दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[१]F.O.B.

प्लास्टिक उद्योग

†*११५५. **श्री वें० प० नायर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्लास्टिक उद्योग के लिये अपेक्षित संश्लेषित काल और अन्तर्वर्ती उत्पादों के देशीय निर्माण की क्या स्थिति है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसके अपेक्षित जानकारी दी हुई है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १०३]**

रघुपल्ली में बैराइटीज़[1] की खानें

†*११५६. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **श्रम और रोज़गार** मंत्री १४ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुडप्पा जिले में रघुपल्ली स्थित बैराइटीज़ खान में हुई दुर्घटना में मारे गये ११ श्रमिकों के आश्रितों को कुल कितनी धन राशि का प्रतिकर दिया गया; और

(ख) दुर्घटना के समय इस खान में कुल कितने श्रमिक थे ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) हैदराबाद के श्रमिक प्रतिकर आयुक्त ने खान के मालिक से प्रतिकर के रूप में ९,३६० रुपये जमा कराने को कहा है । मृत श्रमिकों के आश्रितों को अब तक दी गयी कुल धनराशि की जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) २१ .

असबस्टस सीमेंट की चादरें

१५२८. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असबस्टस सीमेंट की चादरों के विशेषज्ञ को बुलाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसे कहां नियुक्त किया गया था और क्या काम दिया गया था; और

(ग) सरकार द्वारा इस विशेषज्ञ पर कितनी राशि व्यय की गयी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) डालमियापुरम्, हैदराबाद तथा बम्बई के तीन कारखानों में उसे नियुक्त किया गया था । पहले दो कारखानों ने देश में ही उपलब्ध असवस्टस तंतु का प्रयोग करने, असबस्टस सीमेंट से बनी चीजों की किस्म सुधारने तथा इसके फलस्वरूप किसी भी निर्माण प्रणाली के नव निरूपण के बारे में प्रविधिक सलाह मांगी थी । तीसरे कारखाने ने असबस्टस सीमेंट की चादरें बनाने की एक प्रायोजना स्थापित करने के बारे में सामान्य प्रविधिक सलाह मांगी थी । विशेषज्ञ ने इन समस्याओं का अध्ययन किया और अपनी सिफारिशें पेश कर दी हैं ।

(ग) इस सिलसिले में २०,९४० रु० खर्च आया था जिसमें से २०,३०० रु० सम्बन्धित औद्योगिक कारखानों से वसूल कर लिया गया है । इस प्रकार भारत सरकार ने सिर्फ ६४८ रु० शुद्ध खर्च किया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Barytes

तेल का उत्पादन

१५२९. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खली घोल कर तेल निकालने के कारखाने चालू करने के लिये जो २२ लाइसेंस दिये गये थे उसके फलस्वरूप अब तक कितने कारखाने चालू हो चुके हैं;

(ख) अब तक दिये गये किसी लाइसेंस के अन्तर्गत क्या कोई कारखाना चालू होना शेष है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) खली घोल कर तेल निकालने के कारखाने स्थापित करने के लिये अभी तक उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन ४७ लाइसेंस दिये जा चुके हैं। इनमें से १३ कारखानों में काम चालू हो चुका है ।

(ख) और (ग). अभी जिन ३४ कारखानों में उत्पादन शुरू होना शेष है, उनमें से १२ ने संयंत्र और मशीनों की व्यवस्था कर ली है। शेष कारखाने अभी आयात लाइसेंस प्राप्त नहीं कर पाये हैं क्योंकि विदेशी मुद्रा की मौजूदा कठिनाइयों के कारण आवश्यक विलम्बित भुगतान की शर्तें शायद अंतिम रूप से तय नहीं हुई हैं। इस स्थिति में यह कहना मुश्किल है कि इनमें से कितनी योजनायें आखिर में क्रियान्वित हो सकेंगी ।

साइकिल के टायरों और ट्यूबों का आयात

१५३०. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष साइकिलों के टायरों तथा ट्यूबों के आयात के लिये कितने लाइसेंस दिये गये थे और उनसे कितना माल मंगाया गया ;

(ख) इस वर्ष उनके आयात की स्थिति क्या है ; और

(ग) ये किस देश से मंगाये गये थे और इन पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) से (ग). एक विवरण नीचे रखा जाता है जिसमें जनवरी-जून १९५७, जुलाई-सितम्बर, १९५७ तथा अक्टूबर ५७—मार्च ५८ (४–१–५८) तक की लाइसेंस अवधियों में साइकिल के टायरों और ट्यूबों के आयात के लिये दिये गये लाइसेंसों की संख्या और उनका मूल्य दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १०४]** इन लाइसेंसों के अधीन कितना माल आयात किया गया इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। हां, एक विवरण साथ में नत्थी है जिसमें १९५६ और १९५७ (जनवरी–जून १९५७) में साइकिल के न्यूमेटिक टायर और ट्यूब का देशानुसार आयात दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १०४]**

मोटर के टायर और ट्यूब

१५३१. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोटरों के टायर और ट्यूब बनाने के लिये प्रस्तावित नये कारखाने किन-किन स्थानों पर खोले जायेंगे ; और

(ख) इन कारखानों की उत्पादन क्षमता क्या होगी और इन में किस प्रकार की वस्तुयें बनेंगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). एक विवरण साथ में नत्थी है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अ ुबन्ध संख्या १०५]**

कागज का उत्पादन

१५३२. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, १९५५ से अब तक नेपा मिल्स में कागज का कुल कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) यह कागज किस भाव बेचा जा रहा है और आयात किये हुये कागज के मूल्य की तुलना में इसका मूल्य कैसा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) मार्च, १९५५ से नेपा मिल में अखबारी काग़ज का कुल उत्पादन निम्नानुसार हुआ :—

मार्च, १९५५	१७० टन
१ अप्रैल, १९५५ से ३१ मार्च १९५६ तक	३,४५५ टन
१ अप्रैल, १९५६ से ३१ मार्च १९५७ तक	१३,५३४ टन
१ अप्रैल, १९५७ से ३१ जनवरी १९५८ तक	११,२४३ टन
योग	२८,४०२ टन

(ख) नेपा मिल में बने अखबारी काग़ज को ९५२ रु० प्रति टन के भाव बेचा जाता है। यह भाव आयात किये हुये अखबारी काग़ज के भाव के करीब करीब बराबर ही है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

१५३३. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **श्रम और रोज़गार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य-बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा किये हुये व्यक्तियों के परिवारों को भी चिकित्सा सुविधायें दी जा रही हैं ;

(ख) इन बढ़ी हुई सुविधाओं के कारण कितना अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा; और

(ग) इस बढ़े हुये खर्च का कितना भाग मालिकों से मिलेगा और कितना सरकार देगी ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) बीमा किये गये व्यक्तियों के परिवारों को अभी कहीं भी चिकित्सा सुविधायें नहीं दी जा रही हैं ।

(ख) प्रतिवर्ष लगभग २४ रुपये प्रति बीमाकृत कर्मचारी ।

(ग) किसी राज्य में परिवारों को इस योजना में शामिल करन पर, उस राज्य की सरकार दूसरी पंच वर्षीय योजना की बाकी अवधि में बीमाकृत व्यक्तियों और उनके परिवारों की चिकित्सा के खर्च का आठवां भाग वहन करेगी। बाकी खर्च कर्मचारी राजकीय बीमा निधि से दिया जायगा जिसके लिये नियोजकों को ऐसे क्षेत्रों में जहां योजना लागू है और जहां लागू नहीं, वर्तमान दरों यानी वेतन का १$^{1}/_{4}$ प्रति शत और $^{3}/_{4}$ प्रतिशत के बदले क्रमशः बढ़ी हुई दरों ३।। प्रतिशत और १।।। प्रतिशत से अंशदान देना पड़ेगा ।

विस्थापित व्यक्तियों के लिये मकान और दुकानें

१५३४. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली और भारत के अन्य भागों में विस्थापित व्यक्तियों के लिये कितने मकान और दुकानें बन रही हैं; और

(ख) इनका निर्माण कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री पू० शे० नास्कर): (क) और (ख). एक विवरण सभा की मेज़ पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १०६।]**

सरकारी कार्यालयों का किराया

१५३५. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री मत्रालय की १९५६–५७ की रिपोर्ट के पृष्ठ २३ की अन्तिम कण्डिका के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५६ में दिल्ली में किन-किन स्थानों पर २८ मकान सरकारी कार्यालयों के लिये किराये पर लिये गये थे ;

(ख) १९५६ में सरकार द्वारा उनको कितना किराया दिया गया ;

(ग) सरकार इन मकानों को कब तक अपने अपने पास रखेगी ; और

(घ) इन मकानों का किराया किस आधार पर निर्धारित किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) ये मकान निम्नलिखित स्थानों में किराये पर लिये गये थे :

	मकानों की संख्या
(१) अजमेरी गेट के पास	७
(२) दक्षिणी पटेल नगर	१
(३) दरिया गज	१
(४) जोरबाग नर्सरी	२
(५) बाबर रोड	१
(६) मथुरा रोड	१
(७) वेस्टर्न एक्सटेन्शन एरिया करोलबाग़	१
(८) जन्गपुरा	३
(९) सुन्दरनगर	१

(ख) १७ मकानों के लिये १,८३,९०८ रूपये। एक मकान का किराया अभी तय नहीं हुआ

(ग) आजकल जगह की बहुत कमी के कारण यह निश्चित रूप से बता सकना कठिन है कि यह मकान कब तक सरकार के पास रहेंगे परन्तु इनमें से ३ मकान छोड़े जा चुके हैं।

(घ) किसी मकान को किराये पर लेने के समय उसके निकट जो कराये की दर प्रचलित थी उसी के आधार पर इन मकानों का किराया निर्धारित किया गया है।

बिजली लगाने के लिये विसंवाहक

१५३६. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिजली लगाने के लिये विसंवाहकों के उत्पादन की योजना को कार्यान्वित करने में क्या प्रगति हुई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : एक विवरण साथ में नत्थी है **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १०७]**

गोआ

†**१५३७. श्री वाजपेयी** : क्या **प्रधान मंत्री** सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें वर्ष १९५५, १९५६ और १९५७ में सीमावर्ती घटना और अन्य घटनाओं के सम्बन्ध में गोआ में पुर्तगाली अधिकारियों को भेजे गये विरोध पत्रों का ब्योरा दिखाया गया हो ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : सभा पटल पर दो विवरण एक भूमि सीमान्त घटनाओं के सम्बन्ध में और दूसरा भारतीय आकाश सीमा के अतिक्रमण के सम्बन्ध में —रखे जाते हैं जिनमें उन घटनाओं का उल्लेख है जिनके बारे में पुर्तगाली अधिकारियों को विरोध पत्र भेजे गये हैं। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १०८]**

---

†मूल अंग्रेजी में

सीमावर्ती घटनायें

†१५३८. **श्री वाजपेयी :**
श्री सुबिमन घोष :

क्या **प्रधान मंत्री** सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) वर्ष १९५७ में सीमावर्ती घटनाओं के बारे में पाकिस्तान सरकार को भेजे गये विरोध पत्रों का क्या ब्योरा है; और

(ख) कितनी बार ये विरोध पत्र क्रियाकारी सिद्ध हुये हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें सीमावर्ती घटनाओं के बारे में पाकिस्तान सरकार को भेजे गये विरोध-पत्रों का ब्योरा दिया हुआ है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १०९]**

(ख) विरोध-पत्रों का क्रियाकारी और अक्रियाकारी वर्गीकृत करना सम्भव नहीं है।

विरोध के परिणामस्वरूप कुछ मामलों में उपचारात्मक कार्यवाही की गई है। उन मामलों में भी जिनमें विशेष घटना के लिये दूसरी सरकार द्वारा जिम्मेदारी से इन्कार किया जाता है एसे विरोध-पत्र भेजने से भावी नीति पर प्रभाव पड़ता है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति का निवारण होता है।

पर्वतीय क्षेत्रों के लिये योजना समिति

†१५३९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई अभ्यावेदन भेजा गया है जिसमें यह मांग की गई हो कि योजना आयोग के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों को योजनाबद्ध करने के लिये एक पृथक् समिति बनाई जाये जिसमें पंजाब, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के संसद् सदस्य हों; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)**: (क) जी हां।

(ख) योजना आयोग शीघ्र ही उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के संसद् सदस्यों की एक बैठक बुला रहा है। उत्तर प्रदेश और पंजाब की सरकारों और हिमाचल प्रदेश प्रशासन से इस विषय से सम्बन्धित जानकारी मांगी गयी है।

फरीदाबाद प्रशासन

†१५४०. **श्री वें० प० नायर** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरीदावाद प्रशासन के पदाधिकारियों से मकान का किराया उनके वेतन के १० प्रतिशत या प्रामाणिक किराया इसमें जो भी कम हो लिया जाता है जब कि अधीनस्थ कर्मचारियों से वास्तविक किराया लिया जाता है जो सामान्यतः उनके वेतन के १० प्रतिशत से भी अधिक है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या पदाधिकारियों के मामले में प्रामाणिक किराया निर्धारित करने के लिये भूमि की लागत नहीं आंकी जाती है जब कि अधीनस्थ कर्मचारियों के लिये प्रमाणित किराया निर्धारित करने में यह लागत आंकी जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) बंगलों और 'निसन हट्स'[1] के सम्बन्ध में जो बोर्ड के कुछ अधीनस्थ कर्मचारियों के अधिपत्य में हैं प्रामाणिक किराया या वेतन का १० प्रतिशत जो भी कम हो लिया जाता है । तथापि 'निसन हट्स'[1] में रहने वाले कुछ कर्मचारियों से प्रामाणिक किराया लिया जाता है और उनके मामलों पर पुनर्विचार किया जा रहा है । बोर्ड के कुछ कर्मचारी विस्थापित व्यक्तियों के लिये बनाये गये मकानों में रहते हैं और उनसे वही किराया लिया जाता है जो साधारणत: विस्थापित व्यक्तियों पर लागू होता है ।

(ख) पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को आवंटित बंगलों और 'निसन हट्स'[1] का किराया मालूम करने में भूमि की लागत सम्मिलित नहीं की जाती है । तथापि मकानों का किराया मालूम करने में इस को सम्मिलित किया जाता है ।

(ग) मकानों को मूलत: कर्मचारियों को आवंटित नहीं किया जाना था क्योंकि उनको क्रयविक्रय आधार पर विस्थापित व्यक्तियों को बेचने के लिये बनाया गया था । तथापि जब कुछ बाकी मकान उपलब्ध ये और बोर्ड के कर्मचारियों से उनके आवंटन के लिये आवेदन पत्र प्राप्त हुये तो उनका आवंटन कर दिया गया और विस्थापित व्यक्तियों से किराया लेने की क्रिया अपनाई गयी । न मकानों के सम्बन्ध में बोर्ड के विस्थापित कर्मचारियों को प्रतिकर नियमों के अन्तर्गत उनके अधिपत्य में मकानों के स्वामी बनने का अधिकार दिया गया है । बोर्ड के उन पदाधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को जो जंगलों और 'निसन हट्स'[1] में रहते हैं यह रियायत उपलब्ध नहीं है ।

काम दिलाऊ दफ्तरों में पंजीबद्ध अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के स्नातक

†१५४१. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री प्रभात कार :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री सरजू पांडे :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रोजगार पाने के लिये सारे भारत के काम दिलाऊ दफ्तरों में अनुसूचित जातियों के और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने स्नातक पजीबद्ध हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

1 Nissen Huts.

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : जानकारी नीचे दी गयी है :—

स्नातक	३१ दिसम्बर, १९५७ के अन्त तक पंजीबद्ध संख्या
१. अनुसूचित जातियां	७९८
२. अनुसूचित आदिम जातियां	६३

तिब्बत में आयात किया गया दूध

†१५४२. श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५७–५८ में तिब्बत में भारत के रास्ते अब तक कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का दुग्ध-चूर्ण (मिल्क पाउडर) आयात किया गया ; और

(ख) इस कालावधि में इस प्रयोजन के लिये भारत सरकार ने कौन कौन से समवायों को "ट्रांजिट पर्मिट' दिये हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तिब्बत को भारत द्वारा या भारत के रास्ते निर्यात किये गये दुग्ध-चूर्ण (मिल्क पाउडर) के आंकड़े पृथक् पृथक् नहीं रखे जाते हैं ।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, केवल एक सार्थ, अर्थात् अर्थात मेसर्स परशाद ट्रेडिंग कारपोरेशन, दिल्ली, को तिब्बत भेजने के लिये भारत में १,५०,००० रुपये के मूल्य के दुग्ध-चूर्ण (मिल्क-पाउडर) का आयात करने के लिये 'कस्टम्स किलयरैंस पर्मिट' दिया गया था । यदि अन्य कोई एसे पर्मिट दिये गये हैं तो उनका ब्योरा पता नहीं है । इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा को बतला दी जावेगी ।

बम्बई राज्य में अम्बर चरखा कार्यक्रम

†१५४३. श्री आसर : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इसके प्रारम्भ होने की तिथि से अम्बर चरखा कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिये बम्बई राज्य को अनुदानों और ऋणों के रूप में कितनी धनराशि दी गयी है ;

(ख) अब तक कितना धन खर्च किया जा चुका है ;

(ग) इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) १९५६-५७ और १९५७–५८ में अब तक कितने केन्द्र खोले गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) बम्बई राज्य को अनुदानों और ऋणों के रूप में दी गयी धनराशि निम्न प्रकार है :

वर्ष	अनुदान	ऋण
१९५६–५७	१६,७६,५४५ रुपये	३१,२१,४०० रुपये
१९५७–५८ (३१–१–१९५८ तक)	५,९२,५४६ रुपये	६,९१,६०० रुपये

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) और (घ) एक विवरण संलग्न है जिसमें जानकारी दी गयी है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ११०]**

बम्बई राज्य में हथकरघा उद्योग

†१५४४. **श्री आसर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५७–५८ में बम्बई राज्य में हथकरघा उद्योग के विकास के लिये अब तक कितना धन व्यय किया जा चुका है ; और

(ख) किन मदों पर व्यय किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) ३१ जनवरी, १९५८ तक ३४,६७,७४९ रुपये ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १११]**

छोटे पैमाने के उद्योग

†१५४५. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री बि० दास गुप्त :
श्री घोषाल :
श्री सुबिमन घोष :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल में उन छोटे पैमाने के उद्योगों के क्या नाम हैं जिनको अब तक केन्द्रीय सरकार की वित्तीय सहायता से लाभ हुआ ;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में उस राज्य में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये कुछ और योजनायें मंजूर की हैं ; और

(ग) यदि हां तो उनका ब्योरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) खेल कूद का सामान, ताला उद्योग, पीतल और घंटी बनाने की धातु, छोटे इंजीनियरिंग उद्योग, बढ़ईगीरी, लोहार-गीरी, मिट्टी के वर्तन बनाने का उद्योग, लकड़ी उद्योग, शीशे का गुटका, बच्चों के जूते, कैंची, छुरी बनाना, मशीनी खिलौने, साइकिल के पुर्जे, जूते, चीरफाड़–उपकरण, हथकरघा उपसाधन, सुस्वच्छ पात्र (सैनिटरी वेयर) और बिजली का सामान ।

(ख) और (ग). वर्ष १९५७–५८ के अन्तर्गत छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास करने के लिये ३० योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये भारत सरकार ने पश्चिमी बंगाल सरकार को वित्तीय सहायता दी है। एक विवरण संलग्न है जिसमें योजनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा, मंजूर की गयी और दी गयी वित्तीय सहायता की राशि बताई गयी है । **['देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ११२]**

उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण में कुष्ठ रोग का आपात

†१५४९. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२ से अब तक उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण की कुष्ठी बस्तियों में कुष्ठ रोग के कुल कितने व्यक्तियों का उपचार किया गया ;

(ख) क्या उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण में आदिमजातियों के व्यक्तियों में कुष्ठ रोग की घटनायें अधिक हुई हैं; और

(ग) रोग को फैलने से रोकने के लिये उपचार के अतिरिक्त क्या निवारणात्मक उपाय किये गये हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) २५५।

(ख) समूचे अभिकरण क्षेत्र का पूरी तरह सर्वेक्षण नहीं किया गया है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण के आदिम जातीय व्यक्तियों में कुष्ठ रोग की घटनायें बढ़ी हैं या कम हुई हैं। तथापि यह सच है कि जैसे जैसे सर्वेक्षण क्षेत्र बढ़ता है, अधिकाधिक कुष्ठ रोग के मामलों का पता चलता है ।

(ग) इस संक्रामक रोग के बारे में जनता को जागरूक करने के लिये किये गये स्वास्थ्य प्रचार के अतिरिक्त रोग को फैलने से रोकने के लिये ग्रामवार, सर्वेक्षण, नये मामलों का पता लगाना और उनको कुष्ठी बस्ती में अलग रखना आदि उपाय अपनाये गये हैं ।

राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अणुशक्ति विभाग में सम्पर्क

†१५४७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अणु शक्ति स्थापनाओं में कोई संपर्क है;

(ख) यदि हां, तो प्रयोगशालाओं के क्या नाम हैं; और

(ग) सम्पर्क किस प्रकार का है ।

---

†मूल अंग्रजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) जी हां ।

(ख) और (ग). अणुशक्ति विभाग में भारत सरकार के सचिव वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषणा परिषद् की प्रशासनिक निकाय के सदस्य हैं अतः उनको पूरी तरह से इस बात का पता है कि राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का किस रूप में उपयोग किया जा सकता है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के निदेशक पुराने अणुशक्ति आयोग के सदस्य थे, जिनको पहले अवसर दे दिया गया है और नाभिकीय विज्ञान गवेषणा बोर्ड के सभापति हैं जो कि अणुशक्ति विभाग की स्थायी मंत्रणा समिति है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के अन्य वैज्ञानिक और प्रविधिक पदाधिकारी विभाग की विभिन्न मंत्रणा समितियों के सदस्य हैं और अणुशक्ति विभाग के पदाधिकारी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की मंत्रणा समितियों के सदस्य हैं। अतः दो संगठनों में निकट सम्पर्क है ।

पंजाब में कामदिलाऊ दफ्तर

†१५४८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष १९५७–५८ में पंजाब राज्य में कामदिलाऊ दफ्तरों में अब तक कितने व्यक्तियों को पंजीबद्ध किया गया है; और

(ख) व्यवसायवार किस प्रतिशतता में पंजीबद्ध व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) अप्रैल, १९५७ और जनवरी, १९५८ की अवधि में १,२४,७०५ ।

(ख) सब वर्गों के १४.७ प्रतिशत पंजीबद्ध व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया। व्यवसायवार जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

विदेशी व्यापार ऋण

†१५४९. **श्री वि० च० शुक्ल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ३० जून, १९५७ को विदेशी व्यापार ऋण के लेख में बकाया दिखाये गये २.७ करोड़ रुपयों का ब्योरा बताने की कृपा करेंगे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : यह रकम स्वेज संकट के समय मिस्र को किये गये भारतीय निर्यात में धन लगाने के लिय नैशनल बैंक आफ इजिप्ट, काहिरा, को दिये गये उधार के हिसाब में बकाया थी ।

भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड

†१५५०. **श्री वि० च० शुक्ल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड ने संस्थापित वितरण, और दलाली की व्यापार संस्थाओं से कोई व्यापार कराये बिना, विभागीय रूप से कितनी रकम का बिजनस किया?

---

†मूल अंग्रजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : राज्य व्यापार निगम द्वारा विभागीय रूप से किये गये बिजनस का मूल्य इस प्रकार है:

अयस्क ३१,७२,७०,८७४ रुपये (३१–१–५८ तक),

अयस्क के अतिरिक्त २,८९,७७,८९३ रुपये (३१–२२–५७ तक)

भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड

†१५५१. **श्री वि० च० शुक्ल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जब से भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड स्थापित किया गया है तब से इस निगम द्वारा मेंगानीज अयस्क की कुल कितनी मात्रा निर्यात को गई है और इसमें (१) ४५ प्रतिशत तथा इससे अधिक मेंगानीज प्रतिशतता का अयस्क और (२) ४५ प्रतिशत से कम मेंगानीज प्रतिशतता का अयस्क कितना था ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : १ जुलाई, १९५६ को भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड स्थापित किया गया था और तबसे ३१ जनवरी, १९५८ तक निगम द्वारा कुल ३,८९,४६४ टन मेंगानीज अयस्क निर्यात किया गया था। इसमें (१) विश्लेषण करने पर ४५ प्रतिशत श्रेणी का तथा इससे अधिक श्रेणी का अयस्क २,३२,१३८ टन है और (२) १,५७,३२६ टन अयस्क ऐसा है जो विश्लेषण किये जाने पर ४५ प्रतिशत श्रेणी से कम का है।

पूर्वी पाकिस्तान से खाद्य पदार्थों का आयात

†१५५२. **श्री मोहम्मद इलियास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान से अंडों तथा अन्य नाशी खाद्य पदार्थों के आयात पर क्यों प्रतिबन्ध लगाया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : विदेशी मुद्रा का अधिरक्षण करने के के लिये तथा साथ ही देशीय उत्पादन के संबंध में विशेष रूप से नाशी खाद्य पदार्थों में निर्भरता को प्रोत्साहन देने के लिये ही पूर्वी पाकिस्तान से अंडों तथा अन्य नाशी खाद्य पदार्थों पर प्रतिबन्ध लगाया गया था।

नेताजी कीमूर्ति

१५५३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि दिल्ली में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की मूर्त्ति स्थापित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : ऐसा कोई सुझाव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तरी वियतनाम से चावल का आयात

†१५५४. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत क राज्य व्यापार निगम ने वस्तु विनिमय आधार पर उत्तरी वियतनाम से चावल के आयात के संबध में किसी सौदे के लिये बातचीत की है; और

(ख) यदि हां, तो उसके निबन्धन क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) जी हां। लेकिन वस्तु विनिमय आधार पर नहीं। तथापि बिक्री की राशि का उपयोग भारतीय वस्तुएं खरीदने के लिये किया जायेगा।

(ख) दो करार किये गए हैं और प्रत्येक करार ७,००० टन चावल के लिये हैं।

पाकिस्तानी तथा भारतीय राष्ट्रजनों की क्रमशः भारत तथा पाकिस्तान की यात्रा

†१५५५. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बता की कृपा करेंगे कि १९५७ में कितने पाकिस्तानी राष्ट्रजन पश्चिमी पाकिस्तान से भारत आये थे और कितने भारतीय इसी अवधि में पश्चिमी पाकिस्तान गए थे ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** १९५७ के पत्री वर्ष में १३१,४१० पाकिस्तानी राष्ट्रजन भारत आये थे और १,०३,३३५ भारतीय राष्ट्रजन पाकिस्तान गए थे।

चल-चित्र

†१५५६. **श्री कालिका सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ में भारत में कितने चलचित्र निर्मित किये गए थे; और

(ख) इसी अवधि में ये चल-चित्र किन भाषाओं में निर्मित किये गए थे ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) तथा (ख). जैसा कि ४ मार्च, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८३२ के उत्तर के संबंध में बताया गय था भारत में चल चित्रों के निर्माण पर कोई नियन्त्रण नहीं है। इसलिये किसी विशिष्ट वर्ष में निर्मित चलचित्रों की संख्या के संबध में ठीक जानकारी देना सम्भव नहीं है। तथा उन चलचित्रों का एक भाषा–वार विवरण संलग्न है जिन्हें १९५२ के चलचित्र अधिनियम के अधीन १९५७ में केन्द्रीय चलचित्र दोषवेचक बोर्ड द्वारा लोक प्रदर्शन के लिये प्रमाणित किया गया था। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ११३**

---

†मूल अंग्रजी में

चटाइयों का निर्यात

†१५५७. { श्री घोषाल :
श्री सुबिमन घोष :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर जिले में खजूर, घास तथा विशिष्ट रेशे से निर्मित चटाइयों को विदेशों में भेजा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वे चटाइयां किन देशों को भेजी गई हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) तथा (ख). चटाइयों के निर्यात के जिला–वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि जनवरी–सितम्बर, १९५७ की अवधि में कुल १.७९ करोड़ रुपये के मूल्य की सभी प्रकार की चटाइयां निर्यात की गई थीं। इन्हें अधिकतर अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड तथा पश्चिमी एशिया के देशों में भेजा जाता है।

टेलीफोन के तार के संभरण का ठेका

१५५८. श्री खुशवक्त राय : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसी सार्थ अथवा समवाय को लगभग १ करोड़ रुपये का ठेका टेलीफोन के तार का संभरण करने के लिये दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस सार्थ अथवा समवाय का नाम क्या है और यह ठेका किन शर्तों पर दिया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त सार्थ अथवा समवाय द्वारा अभी तक तार का कोई संभरण नहीं किया गया है; और

(घ) अग्रिम धन के रूप में उसे कितनी धन राशि दी गई थी ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) हां।

(ख) मेसर्स हिन्दुस्तान केबिल्स लिमिटेड, बर्दवान (पश्चिमी बंगाल) जो कि पूर्णतया एक सरकारी कारखाना है। साधारण शर्तों और पाबन्दियों जैसे निरीक्षण और माल भेजने का सबूत देने पर ९० प्रतिशत भुगतान और बाकी १० प्रतिशत सामान अच्छी हालत में पहुंचने पर इस फर्म को १,२२,५०,००६ रुपये की अस्थायी कीमत के विभिन्न नापों के अन्डर ग्राउन्ड टेलीफोन कैबिल[1] संभरण करने का ठेका दिया गया है।

(ग) नहीं। संभरण संतोषजनक रूप से हो रहा है और आशा है कि ठेके की शर्तों के अनुसार ३१–३–५८ तक पूरा हो जायेगा।

(घ) संभरण सम्पादित होने से पहले फर्म को कोई पेशगी भुगतान नहीं किया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में
[1]Underground Telephone cables.

भूमि सुधार

†१५५९. **श्री गोरे :**
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४७ के बाद से उनके द्वारा अपनाई गई भू-सुधार संबंधी कार्यवाहियों के फलस्वरूप भारत के प्रत्येक राज्य में अन्तःस्थ व्यक्तियों को प्रतिकर तथा पुनर्वास सहायता के रूप में कुल कितनी रकम दी गई थी;

(ख) उन्हें कुल कितनी रकम दी जानी है; और

(ग) संबंधित किसानों तथा राज्यों का क्रमशः अंशदान कितना है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

शिशु-गृह अनुचरों की परीक्षायें

†१५६०. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिशु गृह अनुचरों की परीक्षाओं के संबंध में बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या इन परीक्षाओं के लिये बंगला भाषा का प्रयोग करने की अब अनुमति नहीं है; और

(ग) क्या इन परीक्षाओं में अंग्रेजी का प्रयोग करने की अनुमति है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) परीक्षाओं के संबध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं ।

(ख) परीक्षा के लिये जिन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है उनमें बंगला नहीं है ।

(ग) जी हां । अंग्रेजी वैकल्पिक भाषा है ।

उड़ीसा के लिये केन्द्रीय सहायता

†१५६१. **श्री पाणिग्रही :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब यह अन्तिम रूप से निर्णय किया जा चुका है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन १९५८-५९ में उड़ीसा राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता दी जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि आवंटित की गई है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) तथा (ख). जी हां । १२.५० करोड़ रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मंत्रियों के निवास स्थान

†१५६२. **श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या **निर्माण, आवस और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६ तथा १९५७ में केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों, उनके उपमंत्रियों तथा सभा–सचिवों के निवास–स्थानों में प्रत्येक के संबंध में फर्नीचर ; बिजली तथा जल–व्यवस्था पर कितनी रकम प्रत्येक मद पर खर्च की गई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) :** जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जायेगी।

शिशु गृह

†१५६३. **श्री साधुराम :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५, १९५५–५६ तथा १९५६–५७ में क्रमश: कुल कितने शिशु गृह (कल्याण केन्द्र) खोले गए थे;

(ख) उनमें से कितने केन्द्रों में इस समय काम हो रहा है;

(ग) इन केन्द्रों में कुल कितने अधिकारी हैं ;

(घ) क्या सारे देश में इस प्रकार के केन्द्र खोले गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसका कारण क्या है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) १९५४–५५, १९५५–५६ तथा १९५६–५७ में खानों में निम्न शिशु गृह खोले गए थे:—

	कोयला खान क्षत्र	कोयला खानों के अतिरिक्त क्षेत्र
१९५४–५५.	५५	३१–३–५७ को उनकी संख्या २१६ थी ।
१९५५–५६. . .	६०	वर्ष–वार जानकारी प्राप्य नहीं है ।
१९५६–५७.	८	

(ख) ३१ जनवरी, १९५८ तक कोयला खानों में ३३० शिशु गृह और कोयला खानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर २९१ शिशु गृह काम कर रहे थे।

(ग) शिशु गृह प्रभारी, रसोइया, आया, मेहतर, आदि जैसे कर्मचारियों को शिशु गृह के लिए खान स्वामियों को नियुक्त करना होता है। इस प्रकार के कुल कर्मचारियों के संबंध में जानकारी प्राप्य नहीं है ।

(घ) जी हां। अधिकांशत: खनन क्षेत्रों में इन्हें खोला गया है।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खादी तथा रेशम कीट-पालन की सहकारी समितियां

१५६४. **श्री पद्म देव :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २७ फरवरी, १६५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६८८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में खादी तथा रेशम कीट–पालन की सहकारी समितियां कहां-कहां हैं और उन समितियों ने अब तक क्या प्रगति की है ; और

(ख) सरकार ने इन समितियां को क्या सहायता दी है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) महासू जिले के कुनिहार स्थान में कुनिहार रेशम कीट पालक सहकारी समिति लि० है। आवश्यक प्रविधिक ज्ञान के अभाव में यह समिति अभी तक संतोषजनक प्रगति नहीं कर सकी है।

हिमाचल प्रदेश सहकारी खादी तथा ग्रामोद्योग मंडल लि० शिमला खादी तैयार करता तथा बेचता है। इसे अ० भा० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की मार्फत १६५५–५६ और १६५६–५७ में सहायता दी गयी है। बताते हैं कि इस मंडल ने अप्रैल से अगस्त, १६५६ की अवधि में १३६२ रु० की खादी तैयार की और ३४८१० रु० की खादी बेची। अन्य वर्षों के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) सरकार ने कुनिहार रेशम कीट–पालक सहकारी समिति लि० को वित्तीय सहायता बिलकुल नहीं दी है।

हिमाचल प्रदेश सहकारी खादी तथा ग्रामोद्योग मंडल को अ० भा० खादी तथा ग्रामोद्योग मंडल की मार्फत १६५५–५६ में १००० ० अनुदान तथा ७५,००० रु० ऋण के रूप में और १६५६–५७ में १६,६४५ ० अनुदान के रूप में दिये गये हैं।

हिमाचल प्रदेश में चमड़े की सहकारी समितियां

१५६५. **श्री पद्म देव :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २७ फरवरी, १६५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६८८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में चमड़े की सहकारी समितियां कहां-कहां हैं ;

(ख) उन समितियों द्वारा क्या–क्या चीजें बनाई जाती है; और

(ग) सरकार ने उनको अब तक क्या सहायता दी है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क)

(१) शिओग	जिला महासू
(२) कुनिहार	,, ,,
(३) अरकी	,, ,,
(४) चौपाल	,, ,,
(५) जोगिन्दर नगर	जिला मंडी
(६) मंडी	,,
(७) चम्बा	जिला चम्बा
(८) नाहन	जिला सरमूर

(ख) जूते, चप्पल, चमड़े के थैले, चमड़े के झोले तथा अटैची केस आदि चीजें बनाई जाती हैं।

(ग) सुधरी ई किस्मों के औजार तथा उपकरण खरीदने के लिये सहकारिता समितियों को निम्न धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में मंजूर की गयी:—

वर्ष	धनराशि
१९५३–५४	५९८० रु०
१९५४–५५	९८०० रु०
१९५५–५६	२५०० रु०

लंका में भारतीय

†१५६६. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंका में भारतीयों के अवैध प्रव्रजन को रोकने के लिये कोई उपाय अपनाया गया है; और

(ख) लंका की नागरिकता के लिये पंजीयन के संबं में इस समय भारतीयों के कितने प्रार्थना–पत्र लम्बित हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) लका में अवैध प्रव्रजन को रोकने के लिये कठोर कार्यवाही की जा रही है। इस प्रयोजन के लिये विशिष्ट पुलिस कर्मचारीवृन्द नियुक्त किया गया है और पुलिस के एक डिप्टी सुपरिन्टेन्डेंट के अधीन प्रव्रजकों के रक्षक सीम–शुल्क तथा प्रव्रजन विभागों की सहायता से इस बुराई को रोकने के लिये विशिष्ट छापे मारते हैं।

(ख) जनवरी, १९५८ के अन्त तक लका की नागरिकता के लिये १७,७७३ प्रार्थना पत्र लम्बित थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

आन्ध्र प्रदेश अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि

†१५६७. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय आन्ध्र प्रदेश अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि में कुल कितनी रकम जमा है ;

(ख) आन्ध्र प्रदेश अभ्रक श्रम कल्याण निधि सस्था द्वारा कल्याण संबंधी किस प्रकार की कार्यवाहियां की जाती हैं; और

(ग) कोई मकान निर्मित न किये जाने का क्या कारण है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) १ अप्रैल, १९५७ को लगभग ११,३३,००० रुपये ।

(ख) अब तक इस क्षेत्र में चिकित्सा, शिक्षा, आमोद-प्रमोद तथा पीने के पानी की सुविधाओं के संबंध में कल्याणकारी कार्यवाहियां की गई है।

(ग) यह विश्वास किया जाता है कि अधिकांश अभ्रक खानों में जल्दी ही अभ्रक खत्म हो जाने के कारण खान स्वामी खनन क्षेत्रों में पक्के मकानों के निर्माण पर रुपया नहीं खर्च करना चाहते हैं। इसलिये उन्होंने अभ्रक निकालने वालों के लिये मकान निर्मित करने के संबंध में अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि संस्था द्वारा वित्तीय सहायता का अथवा संस्था द्वारा वित्तीय सहायता एवं ऋण के संबंध में बनाई गई योजना का लाभ नहीं उठाया है।

काली मिर्च का निर्यात

†१५६८. **श्री आसर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ में अब तक काली मिर्च की कुल कितनी मात्रा निर्यात की गई है ;

(ख) जिन देशों को निर्यात किया गया है उनके नाम क्या हैं और प्रत्येक देश के संबंध में निर्यात की मात्रा कितनी है; और

(ग) १९५६–५७ के निर्यात संबंधी आंकड़ों की तुलना में उपरोक्त निर्यात के आंकड़े कैसे बैठते हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें १९५६–५७ तथा १९५७–५८ (अप्रैल–सितम्बर) के दौरान काली मिर्च संबंधी निर्यात के आंकड़े दिये गए हैं। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ११४]**

---

†मूल अंग्रेजी में

आसाम में बुनकर सहकारी समितियां

†१५६९. { **श्री भगवती :**
श्री बसुमतारी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में कितनी बुनकर सहकारी समितियां गठित की गई हैं ;

(ख) उनके अधीन कितने हथकरघे हैं ;

(ग) इस प्रकार की कितनी सहकारी समितियों को भारत के रक्षित बैंक से ऋण संबंधी सुविधायें प्राप्य हैं ;

(घ) १९५६–५७ तथा १९५७–५८ में कुल कितनी रकम उधार दी गई है; और

(ङ) सहकारी समितियों के क्षेत्र में अथवा अन्यथा आसाम में कितने हथकरघे विद्युत् चालित करघों में परिवर्तित किये गए हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) ३० दिसम्बर, १९५७ तक ९२० ।

(ख) ३० सितम्बर, १९५७ तक २५,५६३ हथकरघे ।

(ग) शून्य ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) कोई नहीं ।

उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण में विमान द्वारा गिराये गये खाद्य पदार्थ

†१५७०. **श्री हेम बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर–पूर्वी सीमान्त अभिकरण में जो विमान सेवायें खाद्य पदार्थ गिराने का कार्य कर रही हैं उनके नाम क्या हैं ; और

(ख) विभिन्न समवायों से किये गए निबन्धन तथा शर्तें क्या हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन लिमिटेड ।

(ख) लोक–सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के साथ तय किये गए निबन्धन दिये गए हैं । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ११५]**

---

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश के खनिज क्षेत्रों के सम्बन्ध में चलचित्र

†१५७१. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश के खनिज क्षेत्रों के संबंध में सरकार का चलचित्र निर्मित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) तथा (ख). हिमाचल प्रदेश के खनिज क्षेत्रों के संबंध में चल चित्र निर्मित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

काम दिलाऊ दफ्तर

†१५७२. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **श्रम और रोज़गार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८–५९ में पंजाब राज्य में कुल कितने काम दिलाऊ दफ्तर खोलने का प्रस्ताव है?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : चार।

पंजाब में छोटे पैमाने के उद्योग

†१५७३. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३१ दिसम्बर, १९५७ तक राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा पंजाब में लघु उद्योगों के विकास के लिए किस प्रकार की मशीनें दी गई थीं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : विद्युत् चालित मोटरें, खराद, शक्ति चालित पंचिंग प्रेस, वेल्डिंग सेट, सान चढ़ाने की मशीनें, रन्दा मशीनें, प्रेषण मशीनें, बरमा मशीनें, बेलनों में दबा कर जमाने की मशीनें, हार्बिंग मशीनें, बुनाई की मशीनें, पट्टी–आरे, लकड़ी पर काम करने वाली मशीनें तथा ढिबरी बनाने की मशीनें।

पंजाब का खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

†१५७४. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५६–५७ तथा १९५७–५८ में पंजाब के खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को सरकारी सहायता अथवा ऋण के रूप में कुल कितनी रकम प्राप्त हुई थी ;

(ख) बोर्ड को गैर-सरकारी अनुदानों के रूप में कुल कितनी रकम प्राप्त हुई थी; और

(ग) इस भुगतान द्वारा कितने व्यक्तियों को लाभ हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क)

वर्ष	अनुदान रुपये	ऋण रुपये
१९५६–५७	शून्य	शून्य
१९५७–५८	३,९०,६७५	६,५५,४००

(ख) तथा (ग). पंजाब का खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड १९५६ के पंजाब अधिनियम संख्या ४० के अधीन स्थापित एक संविहित प्राधिकार है और अपनी गतिविधियों के लिये केन्द्रीय सरकार को मुख्यतः उत्तरदायी नहीं है। तथापि राज्य सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा–पटल पर रख दी जायेगी।

स्थगन प्रस्ताव

सदर बाजार में अग्निकाण्ड

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझ श्री ब्रजराज सिंह के एक स्थागन प्रस्ताव की सूचन प्राप्त हुई है। उससे कहा गया है कि :

> "सदर बाजार दिल्ली में गांधी मार्केट में दिल्ली विद्युत् बोर्ड द्वारा बिजली की लाइनों को ठीक स्थिति में रखने में असफलता, जिसके परिणामस्वरूप कल वहां बिजली के तार के किसी स्थान पर खुले होने के कारण भीषण आग लग गई जिसमें ४० दुकानें जल गईं और अन्य २० दुकानों का भी कुछ भाग जल गया और जिससे वहां के दुकानदारों को लगभग २५ लाख रुपये की क्षति हुई और उनका कारोबार नष्ट हो गया।"

चूंकि बहुत बड़ी क्षति हुई है अतः मैं चाहता हूँ कि यदि माननीय मंत्री के पास इस संबंध में कुछ जानकारी हो तो व बतायें।

†**सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : श्रीमान्, हम जानकारी इकट्ठी कर रहे है और यथा शीघ्र मैं उसे सभा के सामने प्रस्तुत करूंगा। यह दुर्घटना शायद तार के शार्ट सरकिट के कारण नहीं हुई थी—अभी इस बात की छानबीन हो रही है—क्योंकि लाहेरी गेट के बिजली कारखाने में, जहां से उस क्षेत्र में बिजली जाती है, स्विच जले नहीं थे। साधारणतया मुख्य वितरक लाइन में शार्ट सरकिट होन पर स्विच भी जल जाता है। इस समय सिर्फ इतनी ही जानकारी उपलब्ध है। हम जांच की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद): आज चार बजे तक इसे निलम्बित रखा जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : निलम्बित रखने का कोई प्रश्न नहीं है। मैं सिर्फ जानकारी प्राप्त करना चाहता था। माननीय मंत्री ने जो कुछ बताया उससे पता लगता है कि सरकार इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। जांच का विवरण न जाने कब तक प्राप्त हो। माननीय सदस्य अन्य तरीकों से इस प्रश्न यहां को उठा सकते हैं। अतः मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा-पटल पर रखा गया पत्र

बागान सम्बन्धी औद्योगिक समिति की कार्यवाही के सारांश

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मैं जनवरी, १९५८ में शिलांग में हुई बागान संबंधी औद्योगिक समिति की बैठक की कार्यवाही के सारांश की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी. ६१०/५८]**

प्राक्कलन

दूसरा प्रतिवेदन

†**श्री ब० गो० मेहता** (गोहिलवाड़) : मैं प्राक्कलन समिति (पहली लोक सभा) के चौदहवें प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा को गयी कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक सभा) का दूसरा प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

हिन्दुस्तान एअरक्राफ्ट लिमिटेड में उत्पन्न स्थिति

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** (कोयम्बटूर) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान दिलाती हूँ और यह प्रार्थना करती हूँ कि वह उसके संबंध में एक वक्तव्य दें :

"हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्टरी लिमिटेड, बंगलौर में तालाबन्दी की स्थिति।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री।

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : मैं सभा को बताना चाहता हूँ कि इस समय हिन्दुस्तान एअरक्राफ्ट (प्राइवेट) लिमिटेड, बंगलौर में तालाबन्दी नहीं है। कुछ दिन के लिये वहाँ तालाबन्दी थी। गत २६ फरवरी को प्रबन्ध ने इसकी घोषणा की थी क्योंकि उस समय ऐसी ही स्थिति थी। मैं सभा को बताना चाहता हूँ कि यह तालाबन्दी किसी भी अवस्था में मजदूरों और प्रबन्ध के श्रम संबंधी विवाद के कारण नहीं की गई थी बल्कि इस कारण थी कुछ मजदूरों ने अन्य मजदूरों के साथ कुछ हिंसक कार्यवाही की थी और सरकारी सम्पत्ति की भी कुछ हानि हो गयी थी और इस बात की शंका थी कि कहीं और अधिक क्षति न हो जाये।

अतः मजदूरों की सुरक्षा के लिए और सरकारी सम्पत्ति की रक्षा के दृष्टिकोण से सरकार ने यह उचित समझा कि जब तक शान्त वातावरण न पैदा हो जाये तब तक के लिए कारखाने को बन्द कर दिया जाये।

४ मार्च से धीरे-धीरे तालाबन्दी हटाना शुरू किया गया और ११ मार्च को सारी फैक्टरी खुल गयी थी। मजदूर काम पर आ गये हैं। १९ मार्च को कुल १०,००० से अधिक मजदूरों में से लगभग ९,००० मजदूर काम पर आ गये थे। सरकार को आशा है कि अब मजदूरों के काम पर आ जाने से न तो कोई हिंसात्मक कार्यवाही होगी और न सरकारी सम्पत्ति की कोई हानि होगी और सरकार सभी लोगों से सहयोग की आशा करती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मजदूरों की सभी उचित शिकायतों पर सरकार व प्रबन्ध ध्यान देगा और उन शिकायतों को बातचीत करके दूर किया जायेगा। कोई भेदभाव नहीं होगा और न किसी के साथ अन्याय किया जायेगा। कार्मिक संघ गतिविधियों के लिए सरकार किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करेगी। हां, विधि और व्यवस्था का जहां तक प्रश्न है इसका संबंध मैसूर सरकार से है।

मजदूरों के कुछ मामले लम्बित रहे हैं और कुछ मामले श्रम न्यायाधिकरण के सामने हैं। निश्चित प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रबन्ध हमेशा मजदूरों की समस्याओं का हल बातचीत या समझोते से करेगा ।

मुझे विश्वास है कि हिन्दुस्तान एअरक्राफ्ट फैक्टरी के मजदूर उत्पादन के महत्व का ध्यान रखते हुये पूर्ण सहयोग देंगे और परस्पर तथा प्रबन्ध के साथ अच्छा संबंध बनाये रखेंगे। मैं उन्हें यह भी विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार और प्रबन्ध उनकी उचित मांगों को पूरा करेंगी तथा उनकी शिकायतों को दूर करेंगी।

मैं सभा को यह भी सूचना देना चाहता हूँ कि मैं भी शीघ्र ही फैक्टरी का दौरा करने जाऊंगा।

†**श्री अ० क० गोपालन** (कासरगोड़) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ। क्या २०० से अधिक मजदूरों को मुअत्तिल कर दिया गया है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : कार्मिक संघ की गतिविधियों के कारण किसी को मुअत्तिल नहीं किया गया है। हां, कुछ मजदूरों ने फैक्टरी के नियमों का उल्लंघन किया था या कुछ सामान तोड़ा था। उनके विरुद्ध सामान्य प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की गई है क्योंकि हम यह नहीं चाहते कि और भी चीजें टूटें और नुक्सान हो।

सभा का कार्य

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)**: मुझे यह घोषणा करनी है कि २४ मार्च को आरंभ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान होगा :

स्वास्थ्य,

सिंचाई तथा विद्युत,

परिवहन तथा संचार, और

निर्माण, आवास और संभरण।

सामान्य आयव्ययक—अनुदानों की मांगें—जारी

शिक्षा तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय—जारी

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा शिक्षा तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा जारी रखेगी। इसके लिए ५ घण्टे का समय रखा गया था अब २ घण्टे ७ मिनट का समय शेष है। श्री पट्टाभिरामन अपना भाषण जारी रखें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** (कुम्बकोणम्): कल में प्राचीन स्मारकों व पुरातत्व विभाग की बात कह रहा था। अब छात्रवृत्तियों का मामला लीजिए। २ लाख रुपयों का उपबन्ध इसके लिए किया गया है। पर यह व्यवस्था गलत है कि केवल अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को ही छात्रवृत्तियां दी जायें। पिछड़ी जातियों तथा उच्च वर्ग के विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्तियां दी जानी चाहियें। अतः हमें यह २ लाख की राशि बढ़ानी चाहिए। अच्छे होनहार विद्यार्थियों की पढ़ाई में गरीबी के कारण कोई बाधा नहीं पड़ने देना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों की पढ़ाई के स्तर के बारे में भी कहा है कि स्तर बहुत नीचे गिर गया है। अतः मंत्रालय को इन बातों की ओर ध्यान देना चाहिए।

वैज्ञानिक गवेषणा के संबंध में हमारे शिक्षा मंत्रालय ने काफी काम किया है। ब्रिटिश युग में राधाकृष्णन आयोग था और अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। हमारे भिन्न-भिन्न विश्वविद्यालय भिन्न भिन्न क्षेत्रों का कार्य संभाले हुये हैं। उस्मानिया और दिल्ली विश्वविद्यालय ज्योतिषिक अध्ययन का कार्य कर रहे हैं। बनारस व आन्ध्र विश्वविद्यालय भू–भौतिक विज्ञान का विशेष अध्ययन कर रहे हैं। इसी प्रकार केरल आगरा आदि विश्वविद्यालयलय भी तरह तरह के विज्ञानों में गवेषणा कार्य कर रहे हैं। दक्षिण भारत में रामेश्वरम् के पास मण्डपम् में मत्स्यपालन का विकास किया जा रहा है। सी० वी० रमन और भाभा के काम भी बहुत प्रशंसनीय हैं। देशी राजाओं के शानदार भवन उदयपुर, ग्वालियर और इन्दौर में हैं। हम उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैज्ञानिक गवेषणा के लिये शिक्षा मंत्रालय को इन भवनों को अपने हाथ में अवश्य ले लेना चाहिए।

कल मैंने अध्यापकों के संबंध में कुछ बातें कही थीं। अध्यापकों के संबंध में सरकार ने कुछ किया है यह प्रसन्नता की बात है। यदि ऐसी व्यवस्था की जाये कि उत्तर भारत के प्रोफेसर दक्षिण भारत में जायें और दक्षिण भारत के प्रोफेसर उत्तर भारत में आयें तो इससे भी काफी परस्पर निकटता पैदा हो सकती है।

†**शिक्षा उपमंत्री (श्री म० मो० दास)**: उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने शिक्षा तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय की मांगों की चर्चा में भाग लिया। मैं समझता हूं कि इस मंत्रालय के भूतपूर्व प्रभारी की सेवाओं तथा उनमें महान कष्ट-सहन को ध्यान करके माननीय सदस्यों ने इस मंत्रालय की आलोचना नहीं की है। उस महान नेता की याद में सभा के सभी सदस्यों ने अपनी श्रद्धांजलियां अर्पित की हैं। मैं भी उनकी दिवंगत आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

मैं शिक्षा मंत्रालय के केवल दो विभागों—प्रविधिक शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा–पर ही कुछ कहना चाहता हूँ। अन्य विभागों के बारे में मेरे वरिष्ट साथी डा० श्रीमाली उत्तर गे।

श्रीमान, यद्यपि प्रथम प्रौद्योगिक संस्था को इस देश में स्थापित हुये एक शताब्दी व्यतीत हो चुकी है, परन्तु इस सम्बन्ध में शिक्षा कार्य द्वितीय विश्व युद्ध के आरम्भ में शुरू हुआ। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में प्रविधिज्ञों की आवश्यकता हुई और अधिकारियों की आंखें खली और यद्ध के बारे में विकास की योजनायें बनी। यह प्रथम बार अनुभव किया गया कि

†मूल अंग्रेजी में

देश के विकास के लिए चाहे वह विकास किसी भी दिशा में क्यों न हो, प्रविधिक शिक्षा का विकास और विस्तार बड़ी आवश्यक बात है। युद्ध के बाद अधिकारियों ने दो बड़े महत्वपूर्ण कदम उठाये। एक कदम केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड की सिफारिश पर उठाया गया था। अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद की स्थापना की गयी। दूसरा कदम यह था कि एक तदर्थ समिति की स्थापना की गयी जिसके सभापति श्री एन० आर० सरकार थे। उस समिति ने यह सिफारिश की कि देश के चार क्षेत्रों में चार प्रौद्योगिक शिक्षा संस्थायें स्थापित की जायें। इन चारों में से एक ही संस्था की स्थापना हो पाई और वह है खड़गपुर की संस्था। अन्य तीनों की स्थापना की जा रही है।

प्रविधिक शिक्षा में बहुत सुधार करने को आवश्यकता पहली बार स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् अनुभव हुई है और विशेषकर प्रथम पंचवर्षीय योजना के काल में, हमारी राष्ट्रीय सरकार द्वारा एक वैज्ञानिक जन शक्ति समिति नियुक्त की गयी। इस समिति ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अधिकाधिक प्रविधिज्ञ तैयार किए जाएं और साथ ही उनकी शिक्षा उच्च कोटि की हो। । उस समय से भारत सरकार प्रविधिक शिक्षा के विकास और विस्तार के लिए जोरदार प्रयत्न करती रही है। और मुझे सदन को यह बताते हुये प्रसन्नता हो रही है कि इस दिशा में भारत सरकार के प्रयत्न लगभग सफल हो रहे हैं। हम यह दावा नहीं करते कि हमने कमाल कर के दिखाया है। परन्तु मेरा विनम्र निवेदन है कि हमने वैज्ञानिक गवेषणा और प्रविधिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्व-पूर्ण प्रगति की है। मैं कुछ तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत करता हूं जिस से सभा के सब दल मेरी बात की सत्यता को स्वीकार करेंगे। १९४७ में देश भर में केवल ३२ ऐसे इंजीनियरिंग कालेज थे, जहां से डिग्री प्राप्त हो सकती थी। परन्तु १९५७ में इस प्रकार के कालिजों की संख्या ७५ है। यह वृद्धि २३४ प्रतिशत है। १९४७ में इन कालिजों में २९०० लोग डिग्री पाठ्यक्रम के लिए प्रविष्ट हो सकते थे। १९५७ में यह संख्या ९६०० तक जा पहुंची है, अर्थात ३३१ प्रतिशत की वृद्धि हो गयी है।

१९४७ में प्रतिवर्ष कालिजों में उत्तीर्ण होकर निकलने वाले इंजीनियरिंग स्नातकों की संख्या १३०० थी, अब यह संख्या ४०२५ तक पहुंच गयी है अर्थात ३०९ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब मैं उपाधि पत्र देने वाली संस्थाओं की ओर आता हूं। १९४७ में इस प्रकार की ५० संस्थायें थीं, अब इस प्रकार की संस्थाओं की संख्या १२७ हो गयी है। यह वृद्धि २५४ प्रतिशत की है। इन संस्थाओं में १९४७ में ३७०० छात्र उपाधि पाठ्य क्रम के लिए प्रविष्ट हो सकते थे, और १९५७ में यह संख्या १६००० हो गयी है अर्थात ४३२ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। १९४७ में इन उपाधि देने वाली संस्थाओं ने १४५० व्यक्ति तैयार किये परन्तु १९५७ में यह संख्या ४९०० हो गयो। इस प्रकार इस दिशा में ३३७ प्रतिशत वृद्धि हुई। इस समय देश में जिस गति से प्रविधिक शिक्षा का विकास हो रहा है उसके अनुसार अनुमान यह है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक डिग्री पाठ्य क्रम में शिक्षा लेने वालों की संख्या ११००० और उपाधि पाठ्य क्रम में शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या २०००० हो जायेगी। इस प्रकार अनुमान है कि प्रतिवर्ष देश को ८५०० स्नातक और १५००० उपाधि प्राप्त लोग प्राप्त हुआ करेंग।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** (कुम्बकोणम्): कल मैं प्राचीन स्मारकों व पुरातत्व विभाग की बात कह रहा था। अब छात्रवृत्तियों का मामला लीजिए। २ लाख रुपयों का उपबन्ध इसके लिए किया गया है। पर यह व्यवस्था गलत है कि केवल अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को ही छात्रवृत्तियां दी जायें। पिछड़ी जातियों तथा उच्च वर्ग के विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्तियां दी जानी चाहियें। अतः हमें यह २ लाख की राशि बढ़ानी चाहिए। अच्छे होनहार विद्यार्थियों की पढ़ाई में गरीबी के कारण कोई बाधा नहीं पड़ने देना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों की पढ़ाई के स्तर के बारे में भी कहा है कि स्तर बहुत नीचे गिर गया है। अतः मंत्रालय को इन बातों की ओर ध्यान देना चाहिए।

वैज्ञानिक गवेषणा के संबंध में हमारे शिक्षा मंत्रालय ने काफी काम किया है। ब्रिटिश युग में राधाकृष्णन आयोग था और अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। हमारे भिन्न-भिन्न विश्वविद्यालय भिन्न भिन्न क्षेत्रों का कार्य संभाले हुये हैं। उस्मानिया और दिल्ली विश्वविद्यालय ज्योतिषिक अध्ययन का कार्य कर रहे हैं। बनारस व आन्ध्र विश्वविद्यालय भू–भौतिक विज्ञान का विशेष अध्ययन कर रहे हैं। इसी प्रकार केरल आगरा आदि विश्वविद्यालयलय भी तरह तरह के विज्ञानों में गवेषणा कार्य कर रहे हैं। दक्षिण भारत में रामेश्वरम् के पास मण्डपम् में मत्स्यपालन का विकास किया जा रहा है। सी० वी० रमन और भाभा के काम भी बहुत प्रशंसनीय हैं। देशी राजाओं के शानदार भवन उदयपुर, ग्वालियर और इन्दौर में हैं। हम उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैज्ञानिक गवेषणा के लिये शिक्षा मंत्रालय को इन भवनों को अपने हाथ में अवश्य ले लेना चाहिए।

कल मैंने अध्यापकों के संबंध में कुछ बातें कही थीं। अध्यापकों के संबंध में सरकार ने कुछ किया है यह प्रसन्नता की बात है। यदि ऐसी व्यवस्था की जाये कि उत्तर भारत के प्रोफेसर दक्षिण भारत में जायें और दक्षिण भारत के प्रोफेसर उत्तर भारत में आयें तो इससे भी काफी परस्पर निकटता पैदा हो सकती है।

†**शिक्षा उपमंत्री (श्री म० मो० दास)**: उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने शिक्षा तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय की मांगों की चर्चा में भाग लिया। मैं समझता हूं कि इस मंत्रालय के भूतपूर्व प्रभारी की सेवाओं तथा उनमें महान कष्ट-सहन को ध्यान करके माननीय सदस्यों ने इस मंत्रालय की आलोचना नहीं की है। उस महान नेता की याद में सभा के सभी सदस्यों ने अपनी श्रद्धांजलियां अर्पित की हैं। मैं भी उनकी दिवंगत आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

मैं शिक्षा मंत्रालय के केवल दो विभागों—प्रविधिक शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा–पर ही कुछ कहना चाहता हूँ। अन्य विभागों के बारे में मेरे वरिष्ट साथी डा० श्रीमाली उत्तर गे।

श्रीमान, यद्यपि प्रथम प्रौद्योगिक संस्था को इस देश में स्थापित हुये एक शताब्दी व्यतीत हो चुकी है, परन्तु इस सम्बन्ध में शिक्षा कार्य द्वितीय विश्व युद्ध के आरम्भ में शुरू हुआ। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में प्रविधिज्ञों की आवश्यकता हुई और अधिकारियों की आंखें खुली और यद्ध के बारे में विकास की योजनायें बनी। यह प्रथम बार अनुभव किया गया कि

†मूल अंग्रेजी में

देश के विकास के लिए चाहे वह विकास किसी भी दिशा में क्यों न हो, प्रविधिक शिक्षा का विकास और विस्तार बड़ी आवश्यक बात है। युद्ध के बाद अधिकारियों ने दो बड़े महत्वपूर्ण कदम उठाये। एक कदम केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड की सिफारिश पर उठाया गया था। अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद की स्थापना की गयी। दूसरा कदम यह था कि एक तदर्थ समिति की स्थापना की गयी जिसके सभापति श्री एन० आर० सरकार थे। उस समिति ने यह सिफारिश की कि देश के चार क्षेत्रों में चार प्रौद्योगिक शिक्षा संस्थायें स्थापित की जायें। इन चारों में से एक ही संस्था की स्थापना हो पाई और वह है खड़गपुर की संस्था। अन्य तीनों की स्थापना की जा रही है।

प्रविधिक शिक्षा में बहुत सुधार करने को आवश्यकता पहली बार स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् अनुभव हुई है और विशेषकर प्रथम पंचवर्षीय योजना के काल में, हमारी राष्ट्रीय सरकार द्वारा एक वैज्ञानिक जन शक्ति समिति नियुक्त की गयी। इस समिति ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अधिकाधिक प्रविधिज्ञ तैयार किए जाएं और साथ ही उनकी शिक्षा उच्च कोटि की हो। । उस समय से भारत सरकार प्रविधिक शिक्षा के विकास और विस्तार के लिए जोरदार प्रयत्न करती रही है। और मुझे सदन को यह बताते हुये प्रसन्नता हो रही है कि इस दिशा में भारत सरकार के प्रयत्न लगभग सफल ही रहे हैं। हम यह दावा नहीं करते कि हमने कमाल कर के दिखाया है। परन्तु मेरा विम्र निवेदन है कि हमने वैज्ञानिक गवेषणा और प्रविधिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्व-पूर्ण प्रगति को है। मैं कुछ तुल्नात्मक आंकड़े प्रस्तुत करता हूं जिस से सभा के सब दल मेरी बात को सत्यता को स्वीकार करेंगे। १९४७ में देश भर में केवल ३२ ऐसे इंजीनियरिंग कालेज थे, जहां से डिग्री प्राप्त हो सकती थी। परन्तु १९५७ में इस प्रकार के कालिजों की संख्या ७५ है। यह वृद्धि २३४ प्रतिशत है। १९४७ में इन कालिजों में २९०० लोग डिग्री पाठ्यक्रम के लिए प्रविष्ट हो सकते थे। १९५७ में यह संख्या ९६०० तक जा पहुंची है, अर्थात ३३१ प्रतिशत की वृद्धि हो गयी है।

१९४७ में प्रतिवर्ष कालिजों में उत्तीर्ण होकर निकलने वाले इंजीनियरिंग स्नातकों की संख्या १३०० थी, अब यह संख्या ४०२५ तक पहुंच गयी है अर्थात ३०९ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब मैं उपाधि पत्र देने वाली संस्थाओं की ओर आता हूं। १९४७ में इस प्रकार की ५० संस्थायें थीं, अब इस प्रकार की संस्थाओं की संख्या १२७ हो गयी है। यह वृद्धि २५४ प्रतिशत की है। इन संस्थाओं में १९४७ में ३७०० छात्र उपाधि पाठ्य क्रम के लिए प्रविष्ट हो सकते थे, और १९५७ में यह संख्या १६००० हो गयी है अर्थात ४३२ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। १९४७ में इन उपाधि देने वाली संस्थाओं ने १४५० व्यक्ति तैयार किये परन्तु १९५७ में यह संख्या ४९०० हो गयी। इस प्रकार इस दिशा में ३३७ प्रतिशत वृद्धि हुई। इस समय देश में जिस गति से प्रविधिक शिक्षा का विकास हो रहा है उसके अनुसार अनुमान यह है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक डिग्री पाठ्य क्रम में शिक्षा लेने वालों की संख्या ११००० और उपाधि पाठ्य क्रम में शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या २०००० हो जायेगी। इस प्रकार अनुमान है कि प्रतिवर्ष देश को ८५०० स्नातक और १५००० उपाधि प्राप्त लोग प्राप्त हुआ करेंग।

[श्री म० मो० दास]

चालू योजना काल में वर्तमान प्रविधिक शिक्षा संस्थाओं के अतिरिक्त संस्थाएं स्थापित करने की योजना पर विचार किया जा रहा है । जब यह सब संस्थायें अपना काम चालू कर देंगी तो १३००० विद्यार्थियों को डिग्री पाठ्य क्रम में और २५००० विद्यार्थियों को उपाधि पाठ्य क्रम में प्रति वर्ष दाखिल किया जा सकेगा । । दो माननीय सदस्यों श्री ही० ना० मुकर्जी और श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने यह सन्देह प्रकट किया हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के अन्त में जितने इंजीनियरों की मांग होगी उसे सरकार पूरा नहीं कर सकेगी । श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने इस सम्बन्ध में कुछ आंकड़े भी प्रस्तुत किये थे । इस सम्बन्ध में मेरा विनम्र निवेदन है कि इस में कुछ गड़बड़ कर दी गयी है । इस सम्बन्ध में केवल एक ही समिति है, इंजीनियरिंग कर्मचारी समिति जिसने कि इस सम्बन्ध में अनुमान लगाये हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में कितने इंजीनियरों और प्रविधिज्ञों की आवश्यकता होगी । यदि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्राविधिक शिक्षा संबन्धी कार्यक्रम को कार्यान्वित किया गया, तो डिग्री पा ्य क्रमों में दाखिले की संख्या ५७३५ होगी और उपाधि पाठ्य क्रम में ९६०० हो जाएगी । इंजीनियरिंग कर्मचारी समिति जिस ने कि १९६१ तक की आवश्यकताओं का अनुमान लगाया है, इस निर्णय पर पहुची है कि कालिजों मे २,७९४ स्नातक पाठ्य क्रम के विद्यार्थियों और ८५२९ उपाधि पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के लिए स्थान की कमी होगी । इस का तात्पर्य यह कि डिग्री पाठ्य क्रम में हमें विद्यार्थियों के लिए जगहों की संख्या ५७३५ की अपेक्षा ८५२९ और उपाधि पाठ्क्रम में संख्या १७८२१ करनी होगी ।

यदि योजना ठीक चले, तो १९६१ तक डिग्री कालिजों में ९३०० विद्यार्थी प्रविष्ट हो सकेंगे और उपाधि संस्थाओं में यह संख्या १८७३० तक चली जायेगी । इस से न केवल इजीनियरिंग कर्मचारी समिति की अनुमित आवश्यकता ही पूरी हो जायेगी प्रस्तुत इस से भी अधिक संख्या बढ़ जायेगी । कुछ नई संस्थाएं स्थापित करने की भी हमारी योजना है । इन संस्थाओं के स्थापित हो जाने पर स्नातक पाठ्यक्रम में प्रति वर्ष १३००० और उपाधि पाठ्य क्रम में २५००० विद्यार्थी प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे और यदि संख्या इंजीनियरिंग कर्मचारी समिति की अनुमित आवश्यकता से अधिक है । किसी अन्य समिति के आकड़े प्रस्तुत करके गड़ बड़ पैदा की गई है । उस समय के उद्योग और संभरण मंत्रालय ने श्री पी० पी० अडवानी के सभापतित्व में एक समिति नियुक्त की थी । श्री अडवानी बम्बई के सेवा निवृति उद्योग निर्देशक थे । इस समिति ने शिल्पकारों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाया । उनका अनुमान बहुत अधिक था । उन्होंने इजीनियरिंग स्नातकों तथा उपाधिधारियों के सम्बन्ध में कोई अनुमान नहीं लगाया । इस लिये इस समिति के प्रतिवेदन द्वारा कुछ गलतफहमी पैदा हुई है ।

आकड़ों सम्बन्धी कुछ समाचार अखबारों में भी प्रकाशित हुये हैं, परन्तु वे सब निराधार हैं । भारत सरकार ने तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में इजीनियरिंग कर्मचारियों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिये केवल इंजीनियरिंग कर्मचारी समिति की स्थापना की थी । अब योजना आयोग अन्य सर्वेक्षण के लिए आकड़े एकत्र कर रहा है । आयोग द्वारा नया अनुमान लगाने में कुछ समय लगेगा ।

अब मैं प्रविधिक शिक्षा के स्तर सम्बन्धी विकास को लेता हूं। प्रविधिक शिक्षा की समस्या का सार यह है कि तीन वस्तुओं की व्यवस्था होनी चाहिए, समुचित आवास, समुचित सामान और समुचित शिक्षक कर्मचारी। अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद और उस की क्षेत्रीय समितियों ने देश की प्रत्येक प्रविधिक संस्था का व्यापक परीक्षण किया है। इस में सभी प्रकार की अर्थात केन्द्रीय सरकार की, विश्वविद्यालयों की अथवा गैर सरकारी न्यासों की संस्थायें आ जाती हैं। उन्होंने इन संस्थाओं के सुधार के लिए अपेक्षित आवश्यकताओं का अनुदान लगाया है। इस के प्रतिवेदन के अनुसार सरकार ने उन संस्थाओं के लिये अच्छी वित्तीय सहायता की व्यवस्था कर दी है ताकि उनका स्तर समुचित तौर से ऊंचा हो सके।

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए १९४७ से पूर्व कोई व्यवस्था नहीं थी। अब देश भर में कई एक संस्थाओं में वे सुविधायें भी प्राप्त हो रही हैं। इस में सभी प्रकार के इंजीनियरिंग सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था है। इस प्रकार के स्नातकोत्तर अध्ययन और गवेषणा के लिए छात्रवृतियों की भी व्यवस्था है। इन छात्रवृतियों का लाभ इस समय विभिन्न संस्थाओं के ५०० स्नातकोत्तर विद्यार्थी उठा रहे हैं। १९६१ में १५०७ से अधिक विद्यार्थियों को और अग्रिम गवेषणा के लिए छात्रवृतियां दी जा रही हैं। इस के अतिरिक्त केवल गवेषणा कार्य की भी छात्रवृति है। गत सात आठ वर्ष में गवेषणा छात्रवृतियों के कार्यक्रम का विस्तार होता रहा है। आज ६८० छात्रवृतियां देश के विभिन्न केन्द्रों को दी जा रही हैं। यह छात्रवृति २०० रुपये प्रति मास की हैं और तीन वर्ष के लिये दी जाती हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ८०० छात्रवृतियों का लक्ष्य है। इन छात्रवृतियों के अतिरिक्त राष्ट्रीय गवेषणा छात्रवृतियों को १९५८–५९ में बढ़ा कर ४८८० करने का भी प्रस्ताव है। इस छात्रवृति की राशि ४०० रुपये मासिक होगी और बहुत उच्चकोटि के विद्यार्थियों को दी जायेगी जो कि डाक्टरेट के पश्चात ही गवेषणा करने के इच्छुक हैं।

अब मैं अन्य प्रश्नों की ओर आता हूं। कलकत्ता के श्री मुकर्जी का कहना है कि ५११ प्रशिक्षित इंजीनियरों की सूची नौकरी दिलाऊ कार्यालय में पड़ी है, और वे नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज कल हम कुल ९००० इंजीनियर प्रति वर्ष निर्माण कर रहे हैं और उन्हें नौकरी प्राप्त करने में कोई असुविधा नहीं होती। यहां तक कि खरगपुर की भारतीय प्रविधिक शिक्षा संस्था की परीक्षा देते ही विद्यार्थियों को नौकरी की पेशकश हो जाती है। इन बेकार इंजीनियरों का इस प्रकार बेकार रहने का कुछ कारण होगा, और यह भी हो सकता है उन्हें अपने पसन्द का अथवा अपनी महत्व-कांक्षा के अनुसार स्थान प्राप्त न हुआ हो। यह शिकायत की गयी कि खड़गपुर की संस्था में लाखों का सामान व्यर्थ पड़ा है। वहां नई इमारत बन रही है, उस के बनते ही इस सारे सामान का प्रयोग हो जायगा। यह भी कहा गया है कि इस संस्था का अन्य संस्थाओं के मुकाबले में खर्च बहुत अधिक है। यहां देश की अन्य संस्थाओं के मुकाबले में कर्मचारी भी अधिक हैं। मेरा कहना है कि खड़गपुर की संस्था एक अनुपम संस्था है और इसे संसार के अन्य भागों में चल रही संस्थाओं के अनुरूप चलाया जा रहा है, जैसे कि अमेरिका की मासाचूसटस प्रविधिक संस्था, स्विटजरलैंड की संघ प्रविधिक संस्था इत्यादि। इस के अतिरिक्त गवेषणा और स्नातकोत्तर व्यवस्था वाली संस्था में शिक्षक और विद्यार्थी का अनुपात कम ही होना चाहिए। खड़गपुर में यह अनुपात ६:१ का है।

[श्री म० मो० दास]

कलकत्ता विश्वविद्यालय में जहां कई गवेषणा विभाग हैं, वहां शिक्षक-छात्र अनुपात १:४.५ है। अमरिका में यह १:४ है। इसलिए खड़गपुर में शिक्षक अधिक हैं यह बात निराधार ही प्रतीत होती है:

माननीय सदस्य श्री माथुर ने वैज्ञानिक नीति पर प्रधान मंत्री के संकल्प का उल्लेख किया और यह जानना चाहा कि इस नीति को कौन सा मंत्रालय कार्यान्वित करेगा। वास्तव में इस नीति की कार्यान्वित के बारे में अभी ब्योरेवार कुछ नहीं कहा जा सकता। यूं तो भारत सरकार इसके लिये उत्तरदायी है। शिक्षा मंत्रालय ही वैज्ञानिक कर्मचारियों से सम्बन्धित नहीं, प्रयुत संचार, रेलवे, सूचना तथा प्रसारण, परिवहन और खाद्य तथा कृषि, ये सभी मंत्रालय का इस समस्या से सम्बन्ध है। इसलिए ये मंत्रालय और सामूहिक तौर पर भारत सरकार उस के कार्या-न्वित किये जाने के लिए उत्तरदायी है।

श्री माथुर ने यह सुझाव भी दिया कि खड़गपुर और बम्बई में जो संस्थायें हैं, उन्हें किसी पिछड़े हुये क्षेत्रों में स्थापित करना चाहिए। परन्तु खेद है कि हम उन से सहमत नहीं। इन संस्थाओं की स्थापना के लिए यह बहुत आवश्यक है कि उन के पास बड़े बड़े उद्योग हों ताकि छात्र उन उद्योगों में जा कर समुचित ज्ञान प्राप्त कर सकें जिन में उन्होंने भविष्य में काम करना है।

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर): मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि ऊंची प्रविधिक शिक्षा के लिए कानपुर में किस स्थान पर संस्था स्थापित की जा रही है। अभी तक तो उस के लिए किसी स्थान का निश्चय भी नहीं किया गया है, यद्यपि इस के लिए २ करोड़ रुपया स्वीकृत किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में स्थिति जानना चाहता हूं।

†**श्री म० मो० दास**: यह कहना गलत है कि उस के लिए कोई स्थान निश्चित नहीं किया जा सका। उत्तर प्रदेश सरकार इस सम्बन्ध में निश्चय कर चुकी है और हमारे अधिकारी उस स्थान का निरीक्षण भी कर आये हैं। सम्भवतः उस स्थान के लिए अनुमति दे दी गई है। परन्तु उस सम्बन्ध में मैं निश्चित नहीं हूं। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि शीघ्रातिशीघ्र कानपुर में ऊंची प्रविधिक शिक्षा संस्था को स्थापित किया जाय, जहां के कि मेरे माननीय सदस्य प्रतिनिधि हैं।

वैज्ञानिक गवेषणा के क्षेत्र में मंत्रालय की गतिविधियां तीन श्रेणियों में विभाजित है। प्रथम यह कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् की स्थापना और उसकी देख भाल है। दूसरी निजी वैज्ञानिक संगठनों को आर्थिक सहायता देना है जैसा कि कलकत्ते की भारतीय विज्ञान निर्माण संस्था, कलकत्ते की बोस संस्था, भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ, बीरबल साहनी संस्था तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थाय हैं। मैंने इसका इसलिए उल्लेख किया है क्योंकि प्रश्नों के समय भी इस प्रकार के मामले उत्पन्न हुये थे। १९५७–५८ के आर्थिक वर्ष में इन गैर सरकारी संस्थाओं को २९ लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी। और १९५८–५९ के आगामी आय-व्ययक म ३२.५ लाख की व्यवस्था की गयी है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा

† मूल अंग्रेजी में

परिषद् १९४२ में स्थापित की गयी थी और प्रथम राष्ट्रीय प्रयोगशाला की स्थापना १९५० में की गयी थी, अर्थात राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला पूना । १९५० से १९५७ तक के सात वर्ष में प्रयोगशाला ओ की संख्या १८ तक पहुंच गयी और अभी हाल ही में तीन और प्रयोगशालायें चालू करने का निर्णय किया गया है । यह शीघ्र ही स्थापित होन वाली प्रयोग शालायें हैं। कन्द्रीय यान्त्रिक इंजीनियर गवेषणा संस्था, दुर्गापुर (पश्चिमी बंगाल); जन स्वास्थ्य इंनिजीयर गवेषणा संस्था, और आसाम क्षेत्रीय संस्था है ।

इस परिषद के कार्य के सम्बन्ध में कुछ समालोचना की गयी है । मेरे पास और कोई दूसरा मार्ग नहीं है, केवल यही है कि मैं परिषद् की कुछ कार्यवाहियां माननीय सदस्यों के समक्ष रखूं । योजना को कार्यान्वित करने की दिशा की ओर किये जा रहे राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के कार्य का उल्लेख भी कुछ सदस्यों ने किया है । मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा कि योजनाओं के सम्बन्ध में इन राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं ने क्या क्या काम किया है ।

गवेषणा का कार्य हुआ, जिस के परिणाम कोयला खान उद्योग के विस्तार के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुये हैं। और इस की सहायता से ही ३ सरकारी लोहा और इस्पात के कारखाने खोले गये हैं। भिलाई की वायु भट्ठियां और अन्य इस्पात परियोजनायें जिस लोह-निसार से काम चलाएंगीं वह सब जमशेदपुर की धातु—शोधन प्रयोगशाला की गवेषणा का ही परिणाम है । यह मूल भूत कार्य है जो कि भारत की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में से एक ने किया है। तीन इस्पात सयंन्त्रों के सम्बन्ध में कोई भी लोह अयस्क तथा अन्य डोलोमाइट और ऊष्म सह सामग्री के सम्बन्ध में बड़ी सन्तोषजनक गवेषणा की गयी है। रूरकेला इस्पात संयन्त्र में प्रयोग की जाने वाली ढलाई की रेत सम्बन्धी बड़ी सन्तोषजनक गवेषणा की गयी है । इसी इस्पात संयन्त्र के काम में आने वाले और भी इस्पात निर्माण कार्य ठीक ढंग से हुये हैं। अग्रिम संयन्त्र जो कि अब वहां चालू भी है इस का रूपांकन धातु शोधक प्रयोगशाला में ही किया गया था ।

कोयला संमिश्रण करने तथा कोयला धोने के महत्वपूर्ण कार्य केन्द्रीय ईंधन गवेषणा संस्था, भीलगोरा में किये गये हैं। इन से पता चलता है कि कोयले से दो गुना कार्य लिया जा सकता है । कोयले की धुलाई के चार केन्द्रीय संयत्र लगाये जा रहे हैं और उनका मुख्य आधार केन्द्रीय ईंधन गवेषणा संस्था की गवेषणा है ।

पश्चिमी बंगाल सरकार की दुर्गापुर कोक भट्ठी परियोजना केन्द्रीय ईंधन गवेषणा संस्था ने तैयार की थी और वह संस्था इस परियोजना की क्रियान्विति में सहायता भी दे रही है । इस संस्था ने नेवेली लिंगनाइट परियोजना के प्रविधिक पहलुओं की भी जांच की थी और परियोजना की रूप रेखा तैयार करने के लिए प्रविधिक आंकड़े एकत्र किये थे ।

काच और कुंभकारी गवेषणा संस्था ने बची खुची अभ्रक की धूली से अग्नि-शामक ईंटें तैयार करने की एक प्रक्रिया का अनुसंधान किया है और इन ईंटों को अधिकतर भिलाई के इस्पात के कारखानें में प्रयोग किया जाएगा।

[श्री म० मो० दास]

मेरे माननीय मित्र श्री मुकर्जी ने सी० एस० आई० आर० के विरुद्ध आरोप लगाते हुए यह कहा था कि एक विशेष वर्ष में सी० एस० आई० आर० का कुल व्यय तो कम हो गया था किन्तु प्रशासन सम्बन्धी व्यय बढ़ गया था। उन्हे पूंजीगत व्यय और आवर्तक व्यय में गड़बड़ कर दी है अतः उन्होंने जो कुछ कहा है वह गलत है। मैं जो आंकड़े बताऊंगा उस से उन्हें विश्वास हो जाएगा। १९५३-५४ में सी० एस० आई० आर० का आवर्तक व्यय १५१ लाख रुपये था और पूंजीगत व्यय ४५ लाख रुपये का था क्योंकि कोई भवन बनाया जा रहा था। इस प्रकार कुल व्यय १९६ लाख रुपये हुआ। अगले वर्ष आवर्तक व्यय १५१ लाख रुपये से बढ़ कर १६९ लाख रुपये हो गया किन्तु पूंजीगत व्यय ४५ लाख से घट कर १९ लाख रुपये रह गया। इस प्रकार कुल व्यय पूर्व वर्ष से कम था। १९५३-५४ में कुल व्यय १९५ लाख रुपये था जब कि अगले वर्ष कुल व्यय १८८ लाख रुपये था। किन्तु इस का कारण पूंजीगत व्यय की कमी था।

श्री मुकर्जी ने एक इंजीनियर और एक विधि अधिकारी नियुक्त किये जाने का उल्लेख किया था। इंजीनियर की नियुक्ति नई नहीं है। दो पदों पर अर्थात एक वास्तु अभियंत्रक के और दूसरे इंजीनियर के पदों पर दो व्यक्ति नियुक्त किये गये थे। ये दोनों व्यक्ति पद त्याग कर कहीं और चले गये थे और उन के स्थान पर हम ने एक इंजीनियर नियुक्त कर लिया। अब श्री मुकर्जी जी ने जो व्यय बढ़ने का आरोप लगाया है उस की बजाए हम ने कुछ बचत ही की थी।

उन्होंने कहा कि विधि पदाधिकारी की आवश्यकता है। सी० एस० आई० आर० के नियमों, उपनियमों और विनियमों के अनुसार केवल वे मामले भारत सरकार के विधि मंत्रालय को भेजे जा सकते हैं जो १५,००० रुपये से अधिक के होते हैं। जो इस राशि से कम के मामले होते हैं उन का निर्णय सी० एस० आई० आर० को करना पड़ता है। इस के अतिरिक्त विधि मंत्रालय को फाइलें भेजते हुए हमें उन्हें ऐसा बनाना होता है जिस से विधि मंत्रालय उन्हें सुगमता से निबटा सके। अतः क्योंकि सी० एस० आई० आर० के अधिकतर पदाधिकारी ठेके के आधार पर काम करते हैं इस लिए एक कानून जानने वाले अधिकारी की आवश्यकता है।

श्री मुकर्जी ने यह भी कहा कि सी० एस० आई० आर० के लेखा परीक्षित लेखे सभा पटल पर नहीं रखे गये। अप्रैल १९५६ से पूर्व सी० एस० आई० आर० के नियम उप-नियमों के अनुसार महालेखापाल केन्द्रीय राजस्व, लेखा परीक्षा करने के पश्चात प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार को भेजा करता था। उन प्रतिवेदनों को सभा-पटल पर रखने की कोई प्रक्रिया नहीं थी। किन्तु अप्रैल १९५६ के पश्चात उक्त नियमों उप-नियमों को बदल दिया गया और अब यह उपबंध किया गया है कि संस्था के लेखे नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाण सहित और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार को भेजने चाहिये और सरकार उन्हें संसद के दोनों सदनों में पटल पर रखवायेगी। अतः मैं समझता हूं कि श्री मुकर्जी ने गलत वक्तव्य दिया है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : किसने ये नियम बनाये थे और क्या उन्हें सभा-पटल पर रखा गया था ?

†**श्री म० मो० दास** : सी० एस० आई० आर० के शासक निकाय ने इन नियमों को बदला था। शासक निकाय के प्रधान मंत्री हैं और उपप्रधान शिक्षा मंत्री। सी० एस० आई आर० के कार्यपालक अधिकारी अर्थात् महानिदेशक को भारत सरकार नियुक्त करती है। इसके अतिरिक्त वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी का सम्बन्ध सी० एस० आई० आर० से है जिस सलाह के बिना व्यय की योजना नहीं बनाई जा सकती। अतः यह कहना गलती होगा कि भारत सरकार और शिक्षा मंत्रालय का सी० एस० आई० आर० पर कोई नियंत्रण नहीं है।

एक और बात है जिसका सम्बन्ध सभा के माननीय सदस्यों में से एक से है। श्री स० म० बनर्जी ने सी० एस० आई० आर० के कर्मचारी संघ और भारत सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारी संघ के बारे में एक कटौती प्रस्ताव दिया है। सी० एस० आई० आर० पर लागू होने वाले सरकारी नियमों के अनुसार सेवा संस्था अथवा संघ को मान्यता देने के लिये दो शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय उपमंत्री को अब भाषण समाप्त करना चाहिये क्योंकि माननीय सदस्य बोलने के लिये उत्सुक हैं।

†**श्री म० मो० दास** : मैं एक मिनट में समाप्त करने वाला हूं। वे दो शर्तें यह हैं कि पहले तो सन्था या संघ एक ही श्रेणी के कर्मचारियों का होना चाहिये। श्रेणी ३ और ४ के कर्मचारी मिल कर एक संघ नहीं बना सकते। दूसरी बात यह है कि बाहर का कोई भी व्यक्ति पदाधिकारियों की अनुमति के बिना न तो सदस्य होना चाहिये और न ही पदधारी। मैं कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्य को बता देना चाहता हूं कि जब तक ये शर्तें पूरी न को जायें हम कुछ भी नहीं कर सकते।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या यह बात इसलिये उठाई जा रही है कि मैं विरोधी पक्ष का होते हुये उस संघ का प्रधान हूं अन्यथा केन्द्रीय कर्मचारियों के कुछ संसद् सदस्य प्रधान हैं ?

†**श्री म० मो० दास**: मेरा माननीय सदस्य से निवेदन है कि वे सी० एस० आई० आर० के नियम पढ़ें। यदि उन्हें कुछ सन्देह है तो वे किसी भी समय मुझ से मिल कर बातचीत कर सकते हैं और मैं बात स्पष्ट कर दूंगा।

आसाम के सदस्य श्री हेम बरुआ ने सी० एस० आई० आर० के महानिदेशक की ओर व्यक्तिगत निर्देश करते हुये कहा था कि मुझे पता लगा है कि परिषद् का महानिदेशक विद्युत इंजीनियरिंग में बी० एस० सी० है। यदि ऐसा है तो क्या हम किसी ख्यातिप्राप्त अनुसंधानकर्ता को नहीं लगा सकते।

यह समझा जा सकता है कि इस वाक्य द्वारा एक बड़े पदाधिकारी को संसद के सामने गिराने का प्रयत्न किया गया है। यह अनुचित अन्यायपूर्ण और अनापेक्षित है कि कोई सदस्य किसी पदाधिकारी की व्यक्तिगत बातों का इस प्रकार उल्लेख करें। हमारे संविधान के अधीन किसी पदाधिकारी को सभा में आकर अपने व्यवहार का स्पष्टीकरण देने की अनुमति नहीं है। यहां हमें माननीय सदस्यों की बातों को सम्मानपूर्वक और धैर्य से सुनना पड़ता है। यह प्रक्रिया अनुचित है .....

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यह कहने का अधिकार मुझे है ।

†**श्री म० मो० दास :** सी० एस० आई० आर० का वर्तमान महानिदेशक एक अनुभवी व्यक्ति है और वह कुछ अन्तर्राष्ट्रीय समितियों का सभापति भी है । वह अखिल विश्व में, प्रोद्योगिकी में विख्यात विद्वान है । वह बहुत वर्षों तक इस देश की प्रमुखतम संस्थाओं में से एक अर्थात् भारतीय विज्ञान संस्था का निदेशक रहा है । बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि वह इस पद के लिये पात्र है ।

मैं आपकी कृपा के लिये आभारी हूं और माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे शान्तिपूर्वक सुना ।

†**श्री बैरो** (नाम निर्देशित-आंग्ल भारतीय) : मेरे कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य यह है कि माध्यमिक शिक्षा के आयोग द्वारा प्रस्तावित अध्ययन की योजना में जिन परिवर्तनों का सुझाव माध्यमिक शिक्षा के अखिल भारतीय परिषद् ने दिया है उन पर चर्चा की जाये क्योंकि यह सभा ऐसी चर्चा के लिये उपयुक्त है ।

मेरा विश्वास है कि यदि उक्त परिवर्तनों को मान लिया जाये तो माध्यमिक शिक्षा का सारा ढांचा ही उखड़ जायेगा ।

माध्यमिक शिक्षा आयोग में विख्यात शिक्षा विशारद थे और उन्होंने जो योजना रखी थी वह शिक्षा के मान्य सिद्धांतों के आधार पर थी । माध्यमिक शिक्षा के अखिल भारतीय परिषद् ने उसमें एक मूल परिवर्तन का सुझाव दिया है । उन्होंने कहा है कि दसवीं कक्षा तक समाज विज्ञान और सामान्य विज्ञान (गणित सहित) पढ़ाना चाहिये और प्रत्येक छात्र को अनिवार्य रूप से तीन भाषाओं का अध्ययन करना चाहिये । माध्यमिक शिक्षा आयोग का सुझाव यह था कि ४ वर्ष का पाठ्यक्रम होना चाहिये और उसमें समाज विज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित, दो भाषायें तथा एक शिल्प होना चाहिये । परिषद् का मत है कि तीन वर्ष का पाठ्यक्रम होना चाहिये । इस पर मुझे आपत्ति नहीं क्योंकि केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड के सुझाव के अनुसार इस शिक्षा क्रम का स्तर इंटरमीडियेट के प्रथम वर्ष के समान होगा न कि आयोग द्वारा बताये गये द्वितीय वर्ष के स्तर के बराबर । परन्तु मुझे तीन भाषाओं के सिद्धांत पर आपत्ति है । डा० विल्डर पेनफील्ड ने कहा है कि ४ से १० वर्ष की आयू तक लड़के तीन भाषायें पढ़ सकते हैं । किन्तु मेरे देश में ३०० आंग्ल भारतीय स्कूलों से सम्बन्ध है । पिछले ९ वर्षों से हम तीन भाषाओं के लिये प्रयोग कर रहे हैं । हम पांचवीं कक्षा में तीसरी भाषा पढ़ाना आरम्भ करते हैं किन्तु नवम कक्षा में दो भाषाय रहने देते हैं इस प्रकार प्रयोग सफल सिद्ध हुआ है । अतः मेरा निवेदन है कि उच्च माध्यमिक शिक्षा में दो ही भाषायें रहने देनी चाहिये । प्रारम्भिक शिक्षा में तीन भाषायें रखी जा सकती हैं ।

परिषद् का मत है कि तीनों वर्षों में समाज विज्ञान, सामान्य विज्ञान और गणित पढ़ाया जाये किन्तु यह सुझाव न केवल आयोग के विरुद्ध है वरन् परिषद् की विशेषज्ञ समिति के सुझाव के भी विरुद्ध जिसमें उन्होंने कहा था कि दसवीं कक्षा में इन सब विषयों को पढ़ने के लिये समय नहीं रहेगा । वस्तुतः परिषद् का सुझाव यह है कि प्रत्येक छात्र को दस विषय पढ़ने होंगे । सामान्य भारतीय के लिये यह संभव नहीं होगा । इतने सारे विषयों के अध्ययन के लिये पर्याप्त समय

---

†मूल अंग्रेजी में

नहीं दिया जा सकेगा । फिर यद्यपि अखिल भारतीय परिषद की ऐसी सिफारिश नहीं हो तो भी दो परीक्षा बोर्ड इन दस विषयों में ९ की परीक्षा बाहर से करवा रहे हैं । आयोग ने तो परीक्षाओं के बारे में यह कहा है कि आजकल की परिस्थितियां परीक्षाओं पर अधिक बल देने के विरुद्ध हैं ।

परीक्षाओं के सम्बन्ध में आयोगों, परिषदों और गोष्ठियों के होने पर भी हम उसी स्थान पर पहुंच गये हैं जहां से हम चले थे । मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जैसे अनुभवी व्यक्ति मेरी सिफारिश को मान कर पश्चिमी बंगाल के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अपनाये गये ढंग को लागू करने के लिये तैयार होंगे । वे प्रत्येक दर्जे में कुछ विषयों को छोड़ते जाते हैं और इन व्ययवर्तक विषयों और व्यक्तित्व निर्माण का सिद्धान्त बना रहता है । आज स्पूतनिक के युग में मुझे प्रोफेसर व्हाइटहेड के शब्द याद आते हैं । उन्होंने कहा था कि प्रशिक्षित प्रतिभा का सम्मान न करने वाली जाति सर्वथा समाप्त हो जायेगी ।

श्री बीरबल सिंह (जौनपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय .....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को सिर्फ दस मिनट में ही समाप्त करना है ।

श्री बीरबल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अनुदानों के सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं ।

शिक्षा का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेषकर जब कि हमने अपने देश में जनतांत्रिक शासन स्थापित किया है तब तो हमको जनता की शिक्षा की ओर विशेष जोर देना है । इसलिये आज जनता की शिक्षा और प्रारम्भिक शिक्षा का देश में बड़ा महत्व है । हमारे संविधान की ४५वीं धारा में यह कहा गया है कि संविधान स्थापित होने के दस बरस के अन्दर देश में निःशुल्क और सर्व सुलभ अनिवार्य शिक्षा का प्रबन्ध किया जायेगा । जिस समय हमारे देश में स्वतंत्रता स्थापित हुई उस समय ६ वर्ष से १४ वर्ष तक की उम्र के विद्यार्थियों में से केवल ३६.३ प्रतिशत स्कूलों में जाते थे । जिस समय पहली पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ हुई उस समय ऐसा विचार था कि ६ से १४ वर्ष के बालकों में से ४४.५ प्रतिशत स्कूलों में जाते हैं और उस समय यह अनुमान था कि अगर जनता का पूरा सहयोग रहे तो योजना के अन्त तक पांच बरस में यह संख्या बढ़ कर ६० प्रतिशत तक हो जायेगी । लेकिन कुछ इस अनुमान में गलती थी । वास्तव में सन् १९५०–५१ में इन बालकों का ४२ प्रतिशत ही स्कूलों में जाता था और पहली पंचवर्षीय योजना में जो काम हुआ उसके फलस्वरूप यह संख्या ५१ प्रतिशत तक पहुंच गई, यानी पांच वर्षों में ९ प्रतिशत की वृद्धि हुई । इस प्रकार जो ६० प्रतिशत की आशा थी वह ५१ प्रतिशत तक ही रह गई ।

अब जो दूसरी पंचवर्षीय योजना बनी है उसमें पहली योजना की अपेक्षा प्रारम्भिक शिक्षा के लिये कम धन रखा गया है। इसलिये अब ऐसा मालूम पड़ता है कि जो दस बरस के अन्दर प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य करने का विचार था वह तो समाप्त हो गया और अब जो योजना कमीशन ने विचार किया है और गवर्नमेंट ने भी जो विचार किया है उससे मालूम होता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने तक ६ से ११ बरस तक के बच्चों की स्कूल जाने की संख्या ६५ प्रतिशत तक हो सकेगी । तो यह प्रबन्ध तीसरी योजना के अन्त तक ६ से ११ वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिये होगा, और १४ वर्ष तक की आयु के बालकों के लिये शायद तीसरी योजना में भी कुछ न हो सकेगा ।

[श्री बीरबल सिंह]

इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रारम्भिक शिक्षा का प्रबन्ध गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है लेकिन उससे पहले की उम्र के बच्चों की शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है। मनोविज्ञान विशारदों का विचार है कि पांच वर्ष तक के बालक जितना सीख लेते हैं उतना वह १५ बीस वर्ष में भी नहीं सीख सकते। लेकिन हमारा शिक्षा मंत्रालय इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कर रहा है। कुछ ध्यान इस तरफ है लेकिन वह बहुत कम है। हमारे देश में सन् १९४५-४६ में सारे देश में केवल २७५ विद्यालय इस तरह के थे जिन में कि ५ बरस से कम के बालकों की शिक्षा का प्रबन्ध था और उनमें भी ज्यादातर बड़े बड़े लोगों के लड़कों के लिये विद्यालय थे और प्राइवट तौर पर थे। इधर इसमें कुछ प्रगति हुई है और अब १९५५-५६ में इन विद्यालयों की संख्या बढ़ कर ५१३ हो गई है। इन में केवल ११.९ प्रतिशत विद्यालय तो सरकार के हैं, और २.१ प्रतिशत म्युनिसिपल बोर्डों के हैं और बाकी ८६ प्रतिशत प्राइवेट हैं और उनमें केवल धनी लोगों के लड़कों के लिये ही प्रबन्ध है। गरीब लोगों के बच्चों के लिये कोई प्रबन्ध नहीं है। इस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिये। प्रारम्भिक शिक्षा से पूर्व की शिक्षा के ऊपर गवर्नमेंट ने अभी तक बहुत कम ध्यान दिया है। मैं आशा करूंगा कि इस पर गवर्नमेंट विशेष रूप से ध्यान देगी।

जहां तक प्रारम्भिक शिक्षा के रूप का सम्बन्ध है, गांधी जी ने सन् १९३७ में इस बात पर जोर दिया था कि प्रारम्भिक शिक्षा में बुनियादी शिक्षा का समावेश होना चाहिये जिसमें शिक्षा हाथ की कारीगरी से हो। उनका विचार था कि वह इस देश के लिये आवश्यक है और अनुकूल है। लेकिन इस बात को बीस बरस हो गये। उस समय जो कांग्रस गवर्नमेंट स्थापित हुई थी उसने इस दिशा में कुछ काम किया था लेकिन इस सम्बन्ध में अभी तक बहुत कम काम हुआ है। अब यद्यपि गवर्नमेंट ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि प्रारम्भिक शिक्षा में बुनियादी शिक्षा का ही रूप रखा जायगा, लेकिन फिर भी इस समय सारे देश में केवल ४७,००० के करीब ऐसे स्कूल हैं जहां बुनियादी शिक्षा का प्रबन्ध है और तीन लाख के करीब पुराने ढंग के प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं। इन ४७,००० बुनियादी स्कूलों में से ३३,००० उत्तर प्रदेश में हैं उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट तो जितने प्राइमरी स्कूल हैं उन सबको बुनियादी स्कूल मानती है। इन बुनियादी स्कूलों में और पुराने स्कूलों में कोई अन्तर नहीं है। केवल इनमें कुछ शिक्षा हाथ की कारीगरी के द्वारा दी जाती है। लेकिन यह वास्तव में बुनियादी स्कूल नहीं हैं। इन ३३,००० स्कूलों को अगर छोड़ दिया जाय तो फिर कुल देश में १४,००० स्कूल रह जाते हैं। इधर जो नये स्कूल स्थापित हो रहे हैं वह भी बुनियादी स्कूलों के नाम से स्थापित हो रहे हैं लेकिन ज्यादातर पुराने ढंग के प्राइमरी स्कूलों को ही स्थापित किया जा रहा है।

हमारे देश में सन् १९५०-५१ में बुनियादी स्कूलों का पुराना ढंग के स्कूलों से २० प्रतिशत का अनुपात था। जो स्कूल दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किये जा रहे हैं अगर उनका हिसाब लगाया जाये तो मालूम होगा कि इस योजना के अन्त में बुनियादी स्कूलों का पुराने ढंग के स्कूलों से ११.५ प्रतिशत का अनुपात होगा। इसलिये यद्यपि गवर्नमेंट की यह नीति है और गवर्नमेंट यह मान चुकी है कि बुनियादी स्कूल ही प्राइमरी स्कूल हों, लेकिन फिर भी दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो स्कूल स्थापित किये जा रहे हैं उनमें बुनियादी स्कूल का अनुपात कम हो जायगा। इस ओर गवर्नमेंट को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये।

इसके अतिरिक्त जहां तक कालिजों की शिक्षा का सम्बन्ध है, मेरा सुझाव है कि जहां तक सम्बद्ध कालिजों का सम्बन्ध है, सरकार को उनके अध्यापकों की तरफ, उनकी लाइब्रेरियों की तरफ, लेबोरेटरीज़ की तरफ विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये क्योंकि अगर इन कालिजों में अच्छा प्रबन्ध नहीं होगा तो हमारी शिक्षा का स्तर उन्नत नहीं हो सकता ।

एक बात की तरफ और मैं गवर्नमेंट का ध्यान दिलाना चाहता हूं । वह हिन्दी के सम्बन्ध में है । संविधान के अन्दर माना गया है कि संविधान लागू होने के १५ बरस के अन्दर हिन्दी देश की राष्ट्र भाषा हो जायेगी और उसके बाद भी अगर पार्लियामेंट चाहेगी तो अंग्रजी को भी जारी रखा जा सकेगा । तो शिक्षा मंत्रालय का यह विशेष कार्य होना चाहिये कि हिन्दी को वह इस योग्य बनाये कि जिससे वह इस अवधि के अन्दर राष्ट्र भाषा का रूप ले सके । मुझे दुःख है कि अहिन्दी-भाषी क्षत्रों में हिन्दी के प्रचार के लिये बहुत कम खर्च किया जा रहा है । इस काम के लिये केवल ५ लाख रुपया रखा गया है । इस बात की तरफ गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिये ।

श्री नरदेव स्नातक (अलीगढ़--रक्षित--अनुसूचित--जातियां): उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे बीच में जब कि शिक्षा मंत्रालय का यह वादविवाद हो रहा है उस वक्त हम देख रहे हैं कि हमारे जो मौलाना साहब थे उनसे शिक्षा के बारे में ही नहीं अपितु उनसे हमारे देश को बहुत कुछ राहत और बहुत कुछ सहारा मिलता था, आज दुःख का विषय है कि वे हमारे बीच में नहीं हैं । अगर आज वे जीवित होते तो काफ़ी हमारे देश के लोगों को और खास कर इस शिक्षा मंत्रालय को उनका सहारा था परन्तु आज वे हमारे बीच में नहीं हैं लेकिन हम यह अच्छी तरह समझते हैं कि उनकी जो भावना थी उसको हमारा यह शिक्षा मंत्रालय ज़रूर पूरा करेगा वे यह चाहते थे कि हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है वह ठीक से चले ।

आप जानते हैं कि आज राष्ट्रपति से लेकर एक साधारण व्यक्ति तक यह अनुभव करता है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में काफ़ी कमी है और यह बहुत ही खराब है और वह इस कारण से कि इसमें सिवाय क्लर्क पैदा करने और ऊंची ऊंची जो जगहें हैं अंग्रेजी पढ़ कर उन स्थानों पर पहुंच जाना, यही एक आज की शिक्षा का उद्देश्य रह गया है । आप जानते हैं कि शिक्षा केवल पढ़ने लिखने से हो शिक्षा नहीं होती शिक्षा के अन्दर एक बात है और वह ये कि पढ़ने लिखने के साथ साथ आचार विचार का भी ठीक ठीक होना शिक्षा में ज़रूरी है और हम देखते हैं कि हमारी इस वर्तमान शिक्षा प्रणाली में इसका भारी अभाव है। पहले युग था जिस वक्त कि हमारे देश के अन्दर विद्यार्थी शहरों के दूषित वातावरण से दूर रह करके जंगलों में रहा करते थे और आचार्य के पास पढ़ते थे और १,२ नहीं सैंकडों और हजारों की तादाद में विद्यार्थी पढ़ते थे और उन विद्यार्थियों का खर्च सरकार देती थी, कुलपति देता था और कुलपति होता था राजा । हज़ारों विद्यार्थियों का खर्च वह कुलपति या राजा देता था परन्तु आज की शिक्षा प्रणाली आप देखते हैं कि इतनी महंगी और खर्चीली है कि साधारण तबके का व्यक्ति उसको बर्दास्त नहीं कर सकता, उसको सहन नहीं कर सकता और यही कारण है कि हमारे देश के रहने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उन सबकी अधूरी शिक्षा होती है और यही कारण है कि शिक्षा प्राप्त कर लेने पर भी हमें देश को आगे ले जाने वाले जैसे कर्णधार चाहियें वह देखन को नहीं मिलते हैं । इसलिये शहरों में जो स्कूल और कालिज हैं सरकार को चाहिये कि ऐसे विद्यालय, स्कूलों और संस्थाओं को वह जंगलों में खोले जहां पर कि हमारे विद्यार्थी शहरों के दूषित वातावरण से बच सकें । शहरों में स्कूल और कालिज होने का एक परिणाम यह देखने में आता है कि हमारे विद्यार्थियों पर राजनैतिक संस्थाओं का और पार्टी पालिटिक्स का प्रभाव पड़ता है । अब विद्यार्थी के पास पढ़ाई के लिये कुछ घंटों का तो समय ही रहता है और उनमें से भी हर विषय के लिये कुछ मिनट निर्धारित होते हैं एक विषय का क्लास

[श्री नरदेव स्नातक]

खत्म होता है उसका अध्यापक जाता है । दूसरे विषय का क्लास शुरू होता है और दूसरे अध्यापक महोदय आते हैं और तब उस विषय की पढ़ाई चलती है । अध्यापक बदलते हैं, विषय बदलते हैं और इस तरह वे चन्द घंटों समाप्त हो जाते हैं और वहां ऐसे ही होता है जैसे सिनेमा के चित्रपट के ऊपर तरह तरह के चित्र आते हैं और बदलते जाते हैं । अब शहरों में आबादी के बीच में स्कूल होने के कारण राजनीतिक संस्थायें उन पर अपना दूषित प्रभाव डालती हैं और जिसका कि परिणाम यह होता है कि हमारे विद्यार्थी पढ़ने लिखने के स्थान पर दूषित मनोवृत्तियों में फंस जाते हैं और देश को आजादी मिल जाने के बाद जो उसको आगे प्रगति पथ पर ले जाने की बात है, वे वैसा न करके पार्टी पालिटिक्स में पड़ करके इधर उधर बहक जाते हैं । इसलिये मेरा शिक्षा मंत्रालय को सुझाव है कि वह स्कूल और विद्यालय शहरों और ज़िलों में ऐसे स्थानों पर खोले जो कि शहर के बाहर २, ४ मील की दूरी पर हों । वहां पर सैंटर्स क़ायम किये जायें और उनमें विद्यार्थी पढ़ाये जायें ।

इसके साथ ही एक बात और है और वह यह कि हमारे देश के अन्दर से साम्प्रदायिकता हटे, छुआछूत हटे और जातिभेद हटे लेकिन मेरा कहना है कि यह चीज़ कभी नहीं हट सकतीं और उसका कारण यह है कि स्कूलों में और कालिजों में आज जो विद्यार्थी आते हैं वे उन चन्द घंटों में जो कि उनकी पढ़ाई के होते हैं उनमें जाति, बिरादरी और अपने सम्प्रदाय को ले कर बात करते हैं परन्तु यदि वे शहरों के दूषित मनोवृत्ति और वातावरण से दूर रह कर जंगलों के स्वस्थ वातावरण में शिक्षा पायेंगे तो वे दिल लगा कर पढ़ेंगे और चौबीसों घंटे अपना मन पढ़ने लिखने में लगायेंगे और एकाग्र चित्त हो कर पढ़ेंगे और वहां पर पढ़ने से उनके अन्दर जो साम्प्रदायिकता, जातीयता, छुआछूत और ऊंच नीच का भेद भाव है वह दूर हो जायेगा और सब एक साथ बैठेंगे, पढ़ेंगे और साथ साथ खाना खायेंगे और एक साथ रहेंगे और उसका परिणाम यह होगा कि वह एक आदर्श विद्यार्थी होगा और वह समाज और राष्ट्र के प्रति उसके क्या कर्तव्य हैं उनको भली प्रकार समझेगा । पहले जमाने में विद्यार्थी हमारे वहां जंगलों में रहा करते थे और गुरुकुलों में आचार्यों के पास रह कर शिक्षा ग्रहण करते थे । आज भी गुरुकुल हैं लेकिन वे पुराने ज़माने के गुरुकुलों की तरह नहीं हैं और आज के गुरुकुल नहीं के बराबर हैं । उनकी अपनी कोई स्थिति नहीं है । उनके पास ख़र्च का अभाव है, पैसे का अभाव है, और यदि सरकार उनको पैसा दे तो यह जो गुरुकुल की पुरानी परम्परा हज़ारों वर्षों से हमारे देश में चली आ रही है उसको अब भी हम प्रोत्साहित कर सकते हैं और उसको आगे बढ़ा सकते हैं। यह सरकार का काम है कि उनको आर्थिक सहायता दे । आज वे हमारे बेचारे गुरुकुल और विद्यापीठ जिनके कि पास पर्याप्त पैसा नहीं है उनको स्वयं यह सन्देह होने लगा है कि जिस शिक्षा प्रणाली को वे अपना रहे हैं वह ठीक भी है या नहीं । मैं समझता हूं कि वह ठीक है और हर कोई समझदार आदमी भी यही समझता है कि वह ठीक है और उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिये । इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसी संस्थाओं को प्रोत्साहन मिले, आर्थिक सहायता मिले और ऐसे स्कूल और कालिज जंगलों में और शहरों से दूर खोले जायें ।

इसके साथ साथ एक निवेदन और है और वह यह कि हमारा मौरेल कैरेक्टर हमारा जो साधारण आचार विचार है उसके बारे में हम देखते हैं कि तरह तरह की दूषित भावनायें हमारे विद्यार्थियों के अन्दर घर करती जाती हैं । इस सम्बन्ध में मेरा शिक्षा मंत्रालय से यह निवेदन है कि कुछ खास खास जो ऊंचे ग्रन्थ हैं और ऊंची जो बातें हैं चाहे वे किन्हीं धर्म ग्रन्थों में हों, चाहे वे वेद में हों, कुरान में हों, गुरुग्रन्थ साहब में हों अथवा बाइबिल में हों, उन बड़े बड़े धर्म

ग्रन्थों की अच्छी अच्छी चीजें लेकर एक मौरेल कोड बनाया जाय और उस मौरेल कोड के द्वारा विद्यार्थियों के अन्दर एक अच्छी मनोवृत्ति पैदा की जाय ताकि वे देश के अच्छे नागरिक बन सकें और राष्ट्र और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को भली प्रकार निबाह सकें। इसलिये मैं मंत्रालय से प्रार्थना करूंगा कि मौरेल कैरेक्टर के ऊपर ध्यान दिया जाय और विद्यार्थियों में उदात्त भावनायें पैदा की जायं और यह सबसे ज़रूरी चीज़ है।

अन्त में कुछ शब्द मैं हिन्दी भाषा के बारे में कहना चाहूंगा। हमारे देश की राष्ट्र भाषा हिन्दी हो गई है परन्तु जैसा कि कल कुछ माननीय सदस्यों ने यहां पर कहा कि अभी यह तय करना रह गया है कि आया देश की राष्ट्र भाषा हिन्दी हो या अंग्रेज़ी। मैं उन माननीय सदस्यों से यह पूछना चाहता हूं कि जिस बात को तय करने के लिये कहा जा रहा है वह बात तो बहुत पहले ही तय हो चुकी है केवल उसको अमल में लाने की बात है। उसको अमल में लाना चाहिये। हिन्दी के बारे में जो इस तरह की बात कहते हैं वह हमारे दक्षिण के भाई हैं और उनकी संख्या बहुत थोड़ी है। वे थोड़े से भाई ऐसा कहते हैं कि हिन्दी ज़बर्दस्ती हमारे ऊपर लादी जाती है मगर उनको यह मालूम होना चाहिये कि हिन्दी तो कभी लादी नहीं जाती और न लादी जाने योग्य भी है। वह तो अपने आप धीरे धीरे उन्नति कर रही है। हिन्दी को कभी यहां पर लादने का सवाल ही नहीं रहा। स्वामी दयानन्द सरस्वती गुजराती थे लेकिन हर कोई जानता है कि उन्होंने हिन्दी भाषा को अपनाया और उन्होंने अपने सारे ग्रन्थ हिन्दी और संस्कृत में लिखे। वे यह चाहते थे कि हिन्दुस्तान के रहने वाले ज्यादा से ज्यादा तादाद में हिन्दी भाषा को अपनायें और उसमें व्यवहार करें और बोलचाल में प्रयोग करें। इसी तरह महात्मा गांधी के बारे में कहा जा सकता है। गांधी जी देश के सब से बड़े नेता थे और आज भी उनके नाम की दुनिया में बहुत इज्ज़त है। पूज्य बापू जी भी यही चाहते थे कि इस देश की भाषा हिन्दी हो और सारे देश में हिन्दी का व्यापक प्रचार और व्यवहार हो। हमारे तिलक महाराज भी हिन्दी के बारे में यही कहते थे। यह दुर्भाग्य का विषय है कि आज कुछ बड़े आदमी बिल्कुल दूसरी बात कर रहे हैं, अब बड़े आदमियों की बा बड़ी ही होती हैं और उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन तना अवश्य क गा कि हिन्दी अंग्रेज़ी से ज्यादा विदेशी है, यह मानना बड़ों की बड़ी बातें हैं और उनमें छोटे आदमियों को नहीं पड़ना चाहिये। मैं शिक्षा मंत्रालय से निवेदन करना चाहता कि हिन्दी को प्रोत्साहन देने के सिलसिले में जैसा कुछ वह यत्न कर रहा है वह उसे करे परन्तु उसके साथ साथ जरूरी है कि उसकी प्रगति कुछ तेज़ की जाय। दक्षिण की जितनी भी भाषायें हैं उन के कुछ शब्द ले लिये जायें और इस हिन्दी भाषा के अन्दर जोड दिये जायें क्योंकि हिन्दी संस्कृत की पुत्री है और यदि थोडा सा इसका व्याकरण परिवर्तित कर दिया जाय, दक्षि की भाषाओं के शब्द हिन्दी में ले लिये जाये और उसको आम बोलचाल की भाषा का रूप दे दिया जाय तो इसका परि ाम यह ोगा कि सारा देश उत्तर से ले कर दक्षिण तक और पूर्व से ले कर पश्चिम तक सब लोग हिन्दी को अच्छी तरह से समझने लगेंगे और इसका व्यवहार करने लगेंगे। भारतवर्ष के ४२ प्रतिशत लोग हिन्दी भाषा ोलते हैं जब कि अंग्रेज़ी के केवल १ फी सदी और १ फी सदी से भी कम है।

इस मुल्क को आज़ादी मिले अभी १० वर्ष से कुछ ऊपर हुआ है और संविधान ने हिन्दी को राष्ट्र-भाषा के पद पर आसीन किया है। और इसलिये हर एक देशवासी का यह कर्तव्य हो जाता है कि हिन्दी का अधिकाधिक प्रचार करें और उसके अपने जीवन में अपनाये और उसको तरजीह दे। लेकिन जब हम ऐसा करने को कहते हैं तो इस का यह अर्थ नहीं है कि हमें कोई अंग्रेजी से विरोध है। अंग्रेजी से हमारा कोई विरोध नहीं है। अंग्रेज़ी आज अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है और इसलिये उसकी उपेक्षा

[श्री नरदेव स्नातक]

करने का कोई सवाल नहीं है और एक अन्तर्राष्ट्रीय भाषा होने के कारण लोगों को उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये परन्तु उसके साथ साथ हम यह कहना चाहते हैं कि हिन्दी जो इस देश की राष्ट्र भाषा है, उसका सीखना हर देशवासी के लिये ज़रूरी है और इस लिये मैं शिक्षा मंत्रालय से निवेदन करूंगा कि वह इस दिशा में सक्रिय प्रयत्न करे और आज जो प्रगति की रफ्तार ज़रा धीमी है उसको तेज़ करे।

श्रीमती लक्ष्मीबाई (विकाराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आज कल एजुकेशन के बारे में लोग यहां पर बोल रहे हैं और उसके संबंध में कई हमारे भाइयों ने बहुत सही सही बातें बतलाईं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत तजुर्बेकार और एजुकेटेड लोग हैं, उनको हमारी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिये। हम लोग तो सिर्फ तरीक़े को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उनके ऊपर तो हमारी बड़ी श्रद्धा है, बहुत काबिल सेक्रेटरी है, उन से भी काबिल हमारे मिनिस्टर हैं, सब कुछ है। मगर बात यह है कि पार्लियामेंट के मेम्बर जो पालिसी रखते हैं, जो कुछ कहते हैं जब उसको इम्पिलमेंट (कार्यान्वित) करने के लियें विभाग के लोग जाते हैं तो बहुत तरीकों से उसे बदल कर, उस की रूपरेखा बदल बदल, उस पर काम करते हैं, मैं आप को एक उदाहरण दूं। यहां आप के पास सेकेन्ड फाइव इअर प्लैन (द्वितीय पंचवर्षीय योजना) के दौरान हर साल एजुकेशन के लिये ६० करोड़ रु० मौजूद हैं। इसका मतलब यह है कि उसम से ३० करोड़ स्टेट्स को दिया जाना चाहिये। आप यहां पर बड़ी बड़ी स्कीम्स बनाते हैं। टेकनिकल लोग हैं, हमारे मिनिस्टर हैं, डिप्टी मिनिस्टर हैं, इतने पढ़े लिखे वे लोग हैं, यह सब कुछ मैं मानती हूं। मगर आप के यहां कुछ गलती हो रही है। उसको महसूस कर के तो कुछ आप को खुश होना चाहिये क्योंकि हम तो आप की पालिसी को क्रिटीसाइज कर रहे हैं, आप को नहीं।

गुजिश्ता साल में, यानी सन १९५६-५७ में बेसिक एजुकेशन और एलीमेंटरी एजुकेशन (प्रारम्भिक शिक्षा) पर ३ करोड़, ३१ लाख ० मंजूर किये गये थे। मगर उसमें से जब वे लोग बेचारे लेने आये तो केवल २ करोड़ रु० ही ले गये। मतलब यह हुआ कि वे दो तिहाई तो ले गये, और एक तिहाई आप के पास लेप्स हो गया। आप कहते हैं कि हम करोड़ों रुपयों की स्कीम बनाते हैं। लेकिन हक़ीक़त में जब वह इम्लिमेंट होती हैं तो बहुत कम होती हैं। आपके कानून में कुछ त्रुटियां हैं जिन के कारण वे लोग आप से रुपये लेने में बहुत तंग होते हैं। आप इस को ५० परसेंट से ज्यादा बढ़ाते नहीं हैं और जब वे पैसा लेने आते हैं तो उन को देते नहीं हैं।

बहुत से लोग यहां कल से बोल रहे थे कि हमारे देश में एजुकेशन का परसेन्टेज बहुत कम है, सेकेन्ड फाइव इअर प्लैन में भी बहुत कम है। पूरे प्लैन तक भी हमारे आधे बच्चे स्कूलों में नहीं जायेंगे। मैं एलिमेंटरी एजुकेशन के बारे में बतला रही हूं। खुसूसम लड़कियों के बारे में। आज गर्ल्स एजुकेशन इतनी खराब है कि टोटल सटिस्फैक्शन आप को नहीं है। बड़े बड़े लोग इस की ओर ध्यान नहीं देते। स्टेटवाइज जितने तजुर्बेकार लोग होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं वे यहां आ कर बैठ जाते हैं दिल्ली में बैठकर स्कीमें बनाते हैं। कभी नहीं सोचते कि लड़कियों की एजुकेशन में क्या खराबी है। आप समझते हैं कि यह स्कूल एजुकेशन देने वाले हैं स्कूल नहीं स्कूलों से ज्यादा घर एजूकेशन देते हैं मा एजुकेशन देती हैं। आप करोड़ों रुपये एजुकेशन पर खर्च करते हैं लेकिन एजुकेशन बढ़ती नहीं है। उससे हम सैटिस्फैक्शन संतोष क्यों नहीं दे पाते हैं? बात यह है कि बच्चा १० बजे से ५ बजे तक स्कूल में रहता है। वहां उसको स्कसेस क्यों नहीं हो रही है? एक गांव में एलिमेंटरी एजुकेशन के लिये एक स्कूल होता है। वहां कोई ढ़ाई सौ या तीन सौ बच्चे रहते हैं, लेकिन टीचर एक या दो ही रहते हैं। उसको बच्चों को छड़ी लेकर सिखाना

होता है। उसको फुर्सत ही नहीं होती उनको ठीक से सिखाने की क्योंकि वे तीन सौ या ढाई सौ बच्चों को एक छोटे से मदस में बैठा कर पढ़ाते हैं। पता नहीं वे क्या पढ़ाते हैं। घर में मां नहीं पढ़ाती और स्कूल में टीचर नहीं पढ़ाता। इस लिये जो समय होता है बच्चों का वह वेस्टेज ही वेस्टेज होता है। बच्चा चार जमात तक नहीं आ पाता है। इस की वजह यही है कि नातजुर्बेकार टीचर हैं, मैन टीचर हैं जो कि मारने के सिवा कुछ करते नहीं। इस लिये बच्चा घबरा जाता है और स्कूल नहीं जाता।

सब से बदकिस्मती की बात यह है कि बच्चों की एजुकेशन में लड़कियों की एजुकेशन सिर्फ ३२ परसेंट है। आधी लड़कियां भी नहीं आतीं हैं। एलिमेंटरी एजुकेशन में १७ गर्ल्स जाती हैं, हाई स्कूलों में मालूम है कि कितनी जाती हैं? १० या ११। इन १० या ११ लड़कियों से बेचारी एजुकेशन क्या चले? श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख जो चेअरमैन हैं वेलफेअर बोर्ड की उन्होंने अपने तजुर्बे से और लड़कियों की एजुकेशन में श्रद्धा रखते हुये एजुकेशन मिनिस्टरी को एक रिपोर्ट पेश की है कि सन् १९६२ तक यानी सेकेन्ड फाइव इअर प्लैन के पूरी होने के बाद एलिमेंटरी स्कूलों में जाने वाली कितनी लड़कियां होंगी? बहुत कम। २० या २५ लड़कियां एलिमेंटरी स्कूलों में जाने वाली होंगी और सेकेन्डरी स्कूलों में जाने वाली ८ या ९ होंगी। वह भी रूरल एरिया की नहीं होंगी। अर्बन एरिया की होंगी। गांव की लड़कियों को पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता है। आप कहते हैं कि हजारों इन्स्टिट्यूशन हैं लेकिन पता नहीं उन में लड़कियां क्यों नहीं जा रही हैं। बात यह है कि रूरल एरिया में हमारी लड़कियां को-एजुकेशन में नहीं आती हैं।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती पीठासीन हुई]

आज से तो अंग्रेजी जमाना ही बेहतर था क्योंकि तब को-एजुकेशन नहीं होती थी और लड़कियों के लिये एलीमेंटरी एजुकेशन से ले कर हाई स्कूल तक फ्री एजुकेशन थी ब्रिटिश राज्य में उन को डर रहता था कि अगर यहां लड़कियों की ट्रेनिंग नहीं हुई तो हम से कोई पूछने वाला है। लेकिन अब कोई डर नहीं इस लिये लड़कियों की एजुकेशन कुछ नहीं होती, उनको स्कालर्शिप (छात्रवृत्ति) नहीं मिलता, फ्रीशिप नहीं मिलती, अवकाश नहीं मिलता। गांवों में लेडी टीचर नहीं मिलती आप जो टीचर रखते हैं उनको फुर्सत नहीं मिलती। आप कुछ भी कौशिश कर रहे हों, लेकिन में अदब से अर्ज करती हूं कि लड़कियों की एजुकेशन आज बिल्कुल सिफर है। पुराने जमाने में पुराने पंडित वगैरह घर में आ कर रामायण और महाभारत वगैरह पढाते थे, वह भी खत्म होगया क्योंकि

"निराश्रर न शोभन्ते पन्डिता . वनिताः लता"

आज कल उनका कोई आश्रय नहीं होता। पहले राजा महाराज थे। पुरान जमाने में उनके यहां इन लोगों को आश्रय मिलता था और वह लोगों को पढ़ाते थे। कुछ कल्चर होता था, कल्चरल एजुकेशन बढ़ी है लेकिन पुरानी एजुकेशन की तरह नहीं। नई एजुकेशन आज लड़कियों के वास्ते नहीं है। श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख ने अपनी जो तजवीज रक्खी है, मैं अपने एजुकेशन मिनिस्टर को बधाई देती हूं कि वह बहुत अच्छी तरह से उसे अपनाने की कोशिश कर रहेहैं। मैं उसका नमूना बताती हूं। मैं आप की एस्टिमेट्स कमेटी (प्राक्कलन समिति) की बात बतलाती हूं। उसने इसको कबूल कर लिया है कि हमारी सरकार इस चीज की बहुत श्रद्धा से लाये।

[श्रीमती लक्ष्मी बाई]

लेडी चेअरमैन बैठी हुई हैं और मैं गर्ल्स एजुकेशन के बारे में बोल रही हूं। हमारे यहां लड़कियों की एजुकेशन निल है और इस लिये आप भी इधर ध्यान दीजिये। और अपनी राय भी दीजिये। मैं एजुकेशन मिनिस्टर को कुछ सजेशन्स देना चाहती हूं कि किस तरह से लड़कियों की एजुकेशन की तरक्की हो सकती है।

आप को सोचना चाहिये कि लड़कियों की एजुकेशन के लिये ज्यादा स्कालरशिप्स होने चाहियें और को-एजुकेशन बन्द होनी चाहिये। ताल्लुका हैडक्वार्टर्स में जहां २००० से ५००० तक की पापुलेशन हो वहां गर्ल्स एजुकेशन के लिये एक स्कूल होना चाहिये क्योंकि अगर स्कूल इस तरह नहीं होते तो आप को लेडी टीचर्स कैसे मिलेंगी। एडल्ट एजुकेशन की भी जल्दी तरक्की होनी चाहिये और जो एडल्ट विमन आवें उनके लिये आप की उम्र का कोई लिहाज़ नहीं रखना चाहिये। १८ वर्ष से ले कर ३५ वर्ष तक की औरतों को उन में बुलाने के लिये तरक्की देने के वास्ते शार्ट टर्म कोर्सेज़ (अल्पकालीन पाठ्यक्रम) के ट्रेनिंग स्कूल्स होने चाहियें। आप को आगे चल कर बहुत से टीचर्स चाहियें। कम से कम एक लाख टीचर्स की जरूरत होगी लोगों को पढ़ाने के लिये।

आप जानते हैं कि एजुकेशन की स्कीमें बनती हैं। मैं इस में ब्वायज और गर्ल्स को सेपरेट नहीं करती। ब्वायज और गर्ल्स ही तो समाज की बुनियाद हैं, लेकिन फिर भी लड़कियों की एजुकेशन के लिये ज्यादा जोर इसलिये दे रही हूं वह जरूरी है। गाय को दाना देने से कितना लाभ होता है यह आप को मालूम है जब कि लड़कों को एजुकेशन देने से वही हाल होता है जो जुएल्स का होता है। सोने को गले में पहनने से क्या फायदा होता है? लड़कों की एजुकेशन तो सिर्फ पैसा कमाने के लिये ही होती है जबकि लड़कियों की एजुकेशन बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिये होती है। आज जो हमारी प्लैन है वह अन्धेरे में चल रही है क्योंकि जो एजुकेशन होती है उस में औरतों का परसेंटेज कम होता है। अभी मेरी बहन मेरे पास से कह रही थीं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में तो एम० ए० के लिये भी फ़िशिप देती थी। दो बातें हैं। मैं आप को एक सुझाव और देती हूं। जितनी शिक्षित बहनें हैं उनको आप गांव में जाने का प्रोत्साहन दीजिये। जो बच्चों को अच्छी ट्रेन कर सकती हैं। उनको गांव में भेजना चाहिये और इस काम के लिये उनको कुछ इनाम भी मिलना चाहिये। अगर ऐसा होगा तो बहुत सहूलियत हो जायेगी। बहुत सी शिक्षित औरतें घरों में बैठी रहती हैं। उनको आप तरक्की नहीं देते। आप १६ से बीस साल की लड़कियों को ट्रेन कर के टीचर बना देते हैं। जब यहां पर स्कालरशिप के बारे में कहा जाता है तो मंत्री जी कहते हैं कि यह स्टेट सबजेक्ट है, जब स्कूल खोलने के बारे में कहा जाता है तो कहते हैं कि यह स्टेट सबजेक्ट है। यह मैं मानती हूं। पर आप टोटल अमाउन्ट कितना खर्च करते हैं। आप जो कुछ खर्च करते हैं वह सरकुलर भेजने में करते हैं। आप यहां पर दस करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। वह ज्यादातर कागज पर ही खर्च हो रहा है। मैं अदब से अर्ज करती हूं कि आप के पास जितने तजरबेकार लोग हैं उनको डिस्ट्रिक्ट्स में भेज दीजिय। उन को तनख्वाह के अलावा चार पांच सौ रुपया और दीजिय ताकि वे गांव में जाकर काम कर सकें। अच्छे अच्छे डाक्टरों को वहां जा कर काम करना चाहिये। न कि उनको यहां रखा जाये। यहां पर काबिल लोग बैठे सरकुलर जारी करते हैं और स्कीमें बनाते हैं। यहां से जो तरह तरह के सरकुलर जाते हैं उन पर स्टेट गवर्नमेंट्स को जवाब देने के लिये अपने शिक्षा विभाग के खर्चे का पांच दस परसेंट खर्च करना पड़ता है, उनको इस काम के लिये टाइपिस्ट रखने पड़ते हैं। आपके रोज सरकुलर जाते रहते हैं। उनको जवाब देना पड़ता है।

मैं प्रार्थना करूंगी कि देश के सामन आपको बेसिक एजूकेशन के मामले में नमूना पेश करना चाहिय ।

अन्त में यह भी कहना चाहती हूं कि यहां पर अमला बहुत ज्यादा रहता है। इसमें कमी होनी चाहिये ।

श्री भक्त दर्शन (गढ़वाल) : सभानेत्री जी विरोधी दलों की ओर से कटौती के प्रस्तावों की भरमार जब मैंने देखी तो मुझे ऐसा लगा कि मानों हमारे शिक्षा मंत्रालय ने इन पांच दस वर्षों के अन्दर कोई भी कार्य नहीं किया है । लेकिन कल से आज तक जो मैंने विरोधी पक्षों के प्रवक्ताओं के भाषण सुने और यहां पर दूसरे साथियों ने जो भाषण दिये उनसे यह तथ्य सिद्ध हो गया कि जितनी हम आशा रखते थे उतनी प्रगति नहीं हुई है। फिर भी कठिनाइयों के बावजूद प्रगति की दिशा में हमारा कदम बढ़ा है ।

एक माननीय सदस्य : बोलने नहीं दिया गया ।

श्री भक्त दर्शन : मैं इस सम्बन्ध में अपने और साथियों के साथ इस प्रगति के लिये स्वर्गीय मौलाना आजाद के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । पिछले कुछ वर्षों से स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण वह अक्सर सदन से अनुपस्थित रहते थे और पिछले वर्षों में हम लोगों ने शिकायत भी की थी कि इस मंत्रालय के अनुदानों पर बहस के समय भी वे उपस्थित नहीं रह पाते थे । लेकिन उनकी अनुपस्थिति में भी इस मंत्रालय को उनसे बड़ी प्रेरणा मिलती रही है । और मुझे आशा है कि जो इस विभाग के वर्तमान सूत्रधार हैं उनको भी आगे मौलाना साहब से प्रेरणा मिलती रहेगी । उनके सुयोग्य सहायक के रूप में मैं डा० श्रीमाली जी को बधाई देता हूं । उनका नाम ही माली है । अतः वह शिक्षा की वाटिका को एक चतुर माली की भांति संवारेंगे और इस कार्य में अवश्य सफल होंगे । और डा० मनमोहन दास तो मनमोहन हैं ही । श्री हुमायूं कबीर की नियुक्ति इस मंत्रालय में अभी हुई है । उनको जो वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक विभाग में रखा गया है यह बहुत उपयुक्त नियुक्ति हुई है । मैं इस सम्बन्ध में यह सुझाव देना चाहता हूं कि इस विभाग को अगर कल्चुरल एफेअर्स विभाग कहा जाये तो ज्यादा उचित होगा। वे इस समय अनुपस्थित हैं । पर मैं उनकी अनुपस्थिति में एक बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक संस्कृति के यह माने समझे गये मालूम होते हैं कि यहां से विदेशों को ऐसे व्यक्ति भेजे जायें जो नाचें और गायें । परन्तु एक जमाना था कि जब इस देश से स्वामी विवेकानन्द और स्वामी रामतीर्थ जैसे व्यक्ति विदेशों को गये और वहां पर उन्होंने हमारी संस्कृति का प्रचार किया जिससे हमारा बहुत मान बढ़ा । तो मैं उनसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे इस विषय पर गम्भीरता से विचार करें। उनके नाम के साथ कबीर शब्द जुड़ा हुआ है और में समझता हूं कि वह उस नाम के अनुरूप ही काम करेंगे । लेकिन उनके नाम के साथ हुमायूं शब्द भी तो लगा हुआ है । अतः अगर उन्हों ने उसके अनुसार काम किया तो खतरनाक होगा ।

इन प्रारम्भिक शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्वर्गीय मौलाना आजाद के प्रयत्नों की वजह से इस मंत्रालय के लिये पहले जो रुपया मिलता था वह बढ़ता रहा है । मैं समझता हूं कि हमको योजना आयोग पर जोर डालना चाहिये कि इसके लिये और अधिक रुपया दिया जाये । इस के साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार मंत्रालय का कार्य चल रहा है उसमें भी परिवर्तन करन की आवश्यकता है ।

[श्री भक्त दर्शन]

मैं पबलिक स्कूलों के बारे में चन्द बातें कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि मेरे मित्र मिस्टर बैरो जो यहां बैठे हुए हैं वे पबलिक स्कूलों के बड़े समर्थक हैं, लेकिन मैं अपनी अन्तरात्मा की आवाज को नहीं दबा सकता। इन पबलिक स्कूलों में ऊंचे वर्ग के लड़कों को ही शिक्षा मिलती है। वहां से जो लड़के निकलते हैं वे समझते हैं कि डिफेंस एकेडमी में आई० ए० एस० में, आई० पी० एस० में उनका स्थान निश्चित है। और सब से बुरी बात जो है वह यह है कि उनमें अहमन्यता की बड़ी मात्रा रहती है। वे अपने को साधारण समाज से अलग समझते हैं। इसलिये मैं डा० श्रीमाली से निवेदन करना चाहता हूं कि यद्यपि उन्होंने दो बरस पहले यह घोषित कर दिया था कि इन स्कूलों को अनुदान देना बन्द कर दिया जायेगा, लेकिन फिर भी मैं देखता हूं कि इस वर्ष के बजट में भी ४७ हजार रुपया सहायता के रूप में दिया जा रहा है और इसके अलावां ११,५४,००० रुपया छात्रवृत्तियों के रूप में दिया जायेगा। यह तो बड़ा भारी प्रोत्साहन है। अभी मुझ से पहले श्री नरदेव स्नातक न गुरुकुल की तरह के विद्यालयों को इस प्रकार की सहायता देने पर बल दिया। मैं आज के युग की परिस्थितियों को देखते हुए उनसे इस विषय में सहमत नहीं हो सकता। लेकिन अगर हमको इस प्रकार के खास स्कूल चलाने ही हैं तो हमें यह रुपया ऐसे स्कूलों को देना चाहिये जैसे काशी विद्यापीठ और गुरुकुल कांगड़ी आदि। तो मेरा निवेदन है कि पबलिक स्कूलों को सहायता देने के बनिस्बत तो इनको सहायता देना ज्यादा अच्छा होगा।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है जिसे अभी मेरे एक दूसरे मित्र ने भी कहा था कि हमको विद्यार्थियों की एक्स्ट्राकरीकुलर एक्टिविटीज़ पर भी विचार करना चाहियें। मैं इस प्रकार की एक्टिविटीज के विरुद्ध नहीं हूं लेकिन जिस तरीके से यहां दिल्ली में युवक समारोह आयोजन किया गया था उसका तो में घोर विरोध करता हूं। इसमें मैं कामुकता और विलासिता की झलक देखता हूं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के प्रदर्शनों को देखकर तो हमें दिल्ली के पुराने मीना बाजारों का स्मरण हो आता है। इस प्रकार की चीजों से तो हम अपने बालकों के चरित्र को गिराने में सहायक होंगे। पिछले बंजट में इसके लिये २,९८,००० रुपया रखा गया था। वह इस बजट में बढ़ा कर ४ लाख कर दिया गया है। इसी सिलसिले में मेरा निवेदन है कि यह जो लेबर और सोशल सरविस के कैम्प किये जाते हैं और जो सारे देश का भ्रमण करने के आयोजन किये जाते हैं उनमें इस रकम को क्यों न लगाया जाये।

अब चूंकि समय कम है अतः मैं एक खास विषय की ओर सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं। यहां सदन में कुछ दिनों पहले एक बहस में कहा जा रहा है कि हमारे देश के विद्यार्थियों में जो अनुशासनहीनता का रोग बढ़ रहा है इसको किस प्रकार से रोका जाये। इस विषय में बहुत से लोगों ने अपने अपने सुझाव दिये थे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वैसे तो हमारे सारे समाज में ही अनुशासनहीनता बढ़ रही है लेकिन यह जो हमारे छात्र और छात्राओं में अनुशासनहींनता बढ़ रही है यह देश के लिये बहुत चिन्ता का विषय है। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस दिशा में जनरल भोंसले द्वारा प्रारम्भ की हुई राष्ट्रीय अनुशासन योजना ने अच्छा परिणाम दिखाया है। और उस से आशा की एक किरण प्रकट हुई है। मैं स्वयं भी स्काउट और एन० सी० सी० का केडेट रहा हूं और मैं जानता हूं कि इनसे कितना लाभ होता है। लेकिन इस राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अन्दर हमारे देश के छात्रछात्राओं को न केवल शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ होता है बल्कि उनमें चरित्र निर्माण, कर्तव्य परायणता तथा समाज सेवा की भावना पैदा होती है और सब से अधिक यह चीज पैदा होती है कि उनमें अपने देश के भूत, वर्तमान और भविष्य के प्रति विश्वास पैदा होता है। इस योजना ने बड़ा अच्छा काम किया है और इसकी हमारे यहां जो बहुत से विदेशी यात्री आये हैं उन्होंने और हमारे देश के महान नेताओं ने बड़ी प्रशंसा की है। पहले उसको पुनर्वास मंत्रालय में शुरू किया

गया था। वहां इसकी बड़ी प्रशंसा हुई। उसके बाद इसको कुछ अन्य स्कूलों में भी शुरू किया गया। लेकिन मैं इस सम्बन्ध में एक थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं। पिछले वर्ष इस योजना के लिये जहां तक मुझे मालूम है ११,३१,००० रुपया रखा गया था। लेकिन सारे साल भर बहसें ही होती रहीं, विचार विमर्ष ही होता रहा और साल के अन्त तक शायद इस में से एक लाख रुपया भी खर्च नहीं हो पाया। यह बड़े असंतोष की बात है। इस साल इस के लिये १८,८०,००० रुपया रखा गया है। आशा है कि इस साल इसका पूरा उपयोग होगा। अब बहस का जमाना लद गया अब तो ठोस काम करने का समय है।

इस सम्बन्ध में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। इस साल इस योजना को तीन प्रान्तों में यानी बम्बई, बंगाल और पंजाब में जारी करने का विचार है। जहां तक मुझे मालूम है पहले यह योजना दिल्ली, पंजाब, जम्मू काश्मीर, बम्बई, मध्य प्रदेश, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ स्कूलों में जारी की गई थी। अतः जब इसको इतने प्रान्तों में जारी किया जा चुका है तो अब इसको केवल तीन प्रान्तों में सीमित करना मैं समझता हूं उचित नहीं होगा।

एक दूसरा और भी सवाल है। कुछ लोगों का ख्याल है कि यह योजना स्काउटिंग ए० सी० सी० और एन० सी० सी० आदि के विरोध में शुरू की गई है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। यह तो इनको सप्लीमेंट करने के लिये एक पूरक योजना के रूप में प्रारम्भ की गई है। हम तो अपने छोटे बच्चों को कस्तूरबा बालिका विद्यालय के बच्चों की भांति देखना चाहते हैं। अगर उन के अन्दर हम दृढ़ अनुशासन की भावना को जमा दें, तो उस के बाद में वे चाहे किसी भी क्षेत्र में जा कर काम करें—चाहे वे साधारण नागरिक हों, चाहे सरकारी नौकर हों और चाहे फ़ौज में भरती हों—बुनियादी तौर पर उन में जो अनुशासन के बीज उग आयेंगे, वे समाप्त नहीं हो सकते। इसलिये मैं शिक्षा मंत्रालय से यह निवेदन करूंगा कि इस योजना को केवल तीन प्रान्तों में ही सीमित न रखा जाय। अगर रुपये की कमी है, तो इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि हर प्रान्त के हर ज़िले में कम से कम इस का एक सेन्टर रखा जाय। ये सेन्टर्ज़ पावर-हाउस की तरह काम करें—जिस प्रकार पावर-हाउस से बिजली निकलती है और चारों ओर प्रकाश फैलाती है, उसी प्रकार इन सैन्टर्ज़ के द्वारा सारे देश में अनुशासन की भावना को फैलाया जा सकता है। जहां तक मेरा ख्याल है, सारे देश में लगभग ५०० ज़िले होंगे। उन में ५०० केन्द्र स्थापित कर के चारों ओर इस योजना को फैलाया जा सकता है।

साथ ही इस बारे में राज्य सरकारों का भी सहयोग लिया जा सकता है। राज्य सरकारें अपने शिक्षा विभागों के द्वारा व्यायाम शिक्षकों आदि पर काफी रुपया खर्च कर रही हैं। प्राईवेट संस्थाओं में भी व्यायाम शिक्षक हैं। अगर उस रुपए को इस तरफ डाइवर्ट कर दिया जाय, या उन्हीं व्यायाम शिक्षकों को रिफ्रेशर कोर्स देकर इस योजना के द्वारा उन को प्रशिक्षित कर दिया जाय, तो उसी रुपये के द्वारा यह योजना सारे देश में फैल सकती है।

अन्त में एक और बात की ओर मैं डा० श्रीमाली का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

†**सभापति महोदय** : मैं माननीय सदस्यों को याद दिला दूं कि गैर सरकारी सदस्यों का कार्य ढाई बजे आरंभ होगा। इसलिये माननीय सदस्य अपनी बात संक्षेप में कहें वरना हमें आज देर तक बैठना होगा।

श्री भक्त दर्शन : सभानेत्री जी, हिन्दी को राज्य-भाषा के पद पर आसीन करने के बारे में सब से बड़ा जो तर्क दिया जाता है, वह यह है कि हिन्दी एक दरिद्र भाषा है। हिन्दी का एक सेवक होने के नाते मैं इस दरिद्रता को स्वीकार नहीं करता हूं। जिन लोगों ने पिछले दिनों शिक्षा मंत्रालय

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री भक्त दर्शन]

के द्वारा आयोजित दिल्ली में वैज्ञानिक और प्राविधिक पुस्तकों की प्रदर्शिनी को देखा था, जिस का बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय में भी आयोजन किया गया, उन के लिये वह एक आंखें खोल देने वाली बात थी । बिना सरकार के प्रोत्साहन के इस देश के हिन्दी के लेखकों ने विज्ञान आदि के विषय पर ऐसी पुस्तकें लिखी हैं, जिन के द्वारा कम से कम ग्रेजुएट कक्षा तक शिक्षा दी जा सकती है । हमारी पुरानी संस्थाओं—काशी विद्यापीठ और गुरुकुल कांगड़ी, इत्यादि—में हिन्दी माध्यम के द्वारा पहले से ही बी० ए० कक्षा तक शिक्षा दी जा रही है । इससे यह सिद्ध है कि हिन्दी के माध्यम के द्वारा, और अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम के द्वारा उच्च से उच्च कक्षाओं तक शिक्षा दी जा सकती है । इस लिये यह तर्क कोई मायने नहीं रखता है ।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में हमारे शिक्षा मंत्रालय का बड़ा भारी उत्तरदायित्व है । हमें बतलाया गया था कि १९५० से १९५५ के बीच में सब साइंटिफ़िक टर्म्ज़—परिभाषिक सब्द–बन जायेंगे । आज हम १९५८ तक आ पहुंचे हैं और मैं समझता हूं कि शायद एक चौथाई काम भी नहीं हो पाया है । जिस गति से यह काम हो रहा है, उस को देखते हुए तो अनन्त काल तक भी यह काम पूर्ण नहीं हो सकेगा । अतः इस सम्बन्ध में मैं एक दो निवेदन करना चाहता हूं ।

जहां तक मैं जानता हूं, अलग अलग विषयों के कुछ बोर्ड बना दिये गये हैं, और उन में जो विशेषज्ञ रखे गये हैं, वे विद्यालयों के प्रोफ़ेसर हैं । उन को महीने में तीन दिन के लिये दिल्ली बुलाया जाता है और उन के सामने ये सूचियां रख दी जाती हैं । इस अवधि में और इस तरीके से वे बेचारे क्या काम कर सकते हैं ? उन को और भी काम हैं । जिस मन्थर गति से, शिथिल गति से यह काम चल रहा है, वह बड़ा निराशाजनक है । में शिक्षा मंत्रालय से निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे दो तीन वर्ष के लिये होल-टाइम विशेषज्ञ रखे जायें और दो तीन वर्ष में, अधिक से अधिक पांच वर्ष में, इस काम को पूरा कर दिया जाय ।

मुझे बताया गया है कि हज़ारों शब्द ऐसे हैं, जो गढ़े जा चुके हैं, बनाए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक उन पर केबिनेट की मुहर नहीं लगी है। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है । राज-भाषा आयोग ने भी इस बारे में टिप्पणी की है कि इन हज़ारों शब्दों के कैबिनेट के सामने जाने की क्या ज़रूरत है । उस के पास इतना अवकाश नहीं है कि वह बारीकी से इन शब्दों को देख सके । इसलिये यह प्रतिबन्ध हट जाना चाहिये और जो हज़ारों शब्द पहले से तैयार हैं, उन को स्वीकृति दी जानी चाहिये ।

यह थ्योरी बिल्कुल ग़लत है कि जब परिभाषिक शब्द बन जायेंगे, तब पाठ्य-पुस्तकें तैयार की जा सकेंगी । संसार का इतिहास इस बात का साक्षी है कि साहित्य पहले बनता है और कोष बाद में बनता है । लेकिन जिसको बैल के आगे गाड़ी लगाना कहते हैं, वही इस सम्बन्ध में हो रहा है । कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पुस्तकों को लिखने का काम समानान्तर रूप से जारी कर दिया जाय । तभी तो लेखक के सामने किसी शब्द के चयन का प्रश्न आयगा और तब ही वह तय करेगा कि कौन सा शब्द उपयुक्त है । एक तरह की लैबारेटरी में बैठ कर यह तय नहीं किया जा सकता कि किस विषय में कौन शब्द उपयुक्त होगा । सभानेत्री जी आप जानती तो हैं कि अंग्रेज़ी में एक एक भाव के कितने शेड्स हैं , उस में एक एक शब्द के लिये दस, बारह, पंद्रह तक सनानिम्स

होते हैं। लेखक जब लिखने बैठेगा, अनुवाद करने बैठेगा, तो उस को कठिनाई होगी और वह उपयुक्त शब्दों का चयन करेगा या निर्माण करेगा और इस तरह सच्चे अर्थों में भाषा का विकास हो सकेगा ।

इन शब्दों के साथ मैं शिक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं और आप को धन्यवाद देता हूं ।

†**सभापति महोदया** : माननीय मंत्री अपने भाषण में कितना समय लेंगे ?

†**शिक्षा और गवेषणा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : लग भग ४५ मिनट ।

†**सभापति महोदया** : मैं सभा के सामने यह प्रस्ताव रखूंगी कि वह २० या २५ मिनट देर तक बैठना चाहेगी या नहीं ? क्या माननीय सदस्य तैयार हैं ?

†**कुछ माननीय सदस्य** : नहीं ।

†**सभापति महोदया** : मैं समझती हूं कि गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का समय कम करना ठीक नहीं होगा । माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों में बहुत से प्रश्न पूछे हैं और जानकारी मांगी है, अतः हमें माननीय मंत्री के भाषण को सुनने के लिये उत्सुक होना चाहिये । इस लिए मेरा सुझाव है कि ५ बजे के पश्चात २० या २५ मिनट के लिए बैठा जाए ।

†**कुछ माननीय सदस्य** : नहीं, नहीं ।

†**सभापति महोदया** : तो फिर मैं सभा की राय लेती हूं । प्रश्न यह है :

"कि सभा पांच बजे के पश्चात आधे घंटे के लिए बैठे" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : वाद-विवाद का उत्तर देने के लिये खड़े होते हुये मुझे मौलाना आजाद के निधन की याद आ रही है । इस मंत्रालय के लिये बड़े सोभाग्य की बात थी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मौलाना आजाद जैसे महान नेता को इस मंत्रालय का मंत्री बनाया गया । आज यों कहना चाहिए कि हमारे मंत्रालय के जलयान का लंगर टूट गया है पर चूंकि मौलाना आजाद ने शिक्षा की राष्ट्रीय पद्धति की जो नींव डाली थी यदि उस पर हम चलते रहेंगे तो हम अपने गंतव्य पर पहुंच जायेंगे ।

मौलाना आजाद के नेतृत्व में गत १० वर्षों में भारतीय शिक्षा में जो प्रगति हुई है उसकी एक मुख्य विशेषता यह है कि केन्द्रीय सरकार शिक्षा की प्रगति में अधिक से अधिक रुचि लेती रही है यद्यपि हमारे संविधान द्वारा केन्द्र पर शिक्षा की सीमित जिम्मेदारी रह गयी है । सभा को पता है कि आज केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को शिक्षा संबन्धी सभी कार्यक्रमों के लिए, पूर्व-प्रारंभिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक, सहायता दे रही है । केन्द्र के संसाधन असीमित हैं जब कि राज्यों के संसाधन सीमित हैं । अतः यह उचित है कि शिक्षा की राष्ट्रीय पद्धति के विकास के लिए केन्द्र राज्यों को अवश्य सहायता दे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० का० ला० श्रीमाली]

आज राज्यों के सामने अजीब संकट है । सभी स्तरों पर शिक्षा के विकास के लिए काफी खर्च का भार पड़ रहा है । प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर पर विस्तार करना अपरिहार्य है । आरंभिक स्तर पर विस्तार को बढ़ाने का हमें प्रयत्न करना है ताकि संविधान के निर्देशक तत्व की पूर्ति यथा संभव शीघ्रातिशीघ्र हो जाय । माध्यमिक स्तर पर भी कुछ विस्तार करना अपरिहार्य है क्योंकि हमारे उद्योगों तथा हमारी प्रगतिशील अर्थव्यवस्था के लिए हमें अवश्य योग्यता तथा नेतृत्व गुण से सम्पन्न कुछ नवयुवकों और महिलाओं की आवश्यकता होगी । विश्वविद्यालय स्तर पर हमारी नीति यह है कि इसका विस्तार बहुत तेजी से न किया जाय । पर फिर भी माननीय सदस्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन से देख सकते हैं कि विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ती जा रही है ।

राज्यों के सामने समस्या यह है कि वे शिक्षा का विस्तार करें या शिक्षा का स्तर ऊंचा उठायें । मैं समझता हूं कि वे इन दोनों बातों में से किसी की उपेक्षा नहीं कर सकते । विस्तार तो दोनों स्तरों पर—प्रारंभिक और माध्यमिक—होना ही है । पर यदि हमें इस परिवर्तनशील समाज की चुनौती स्वीकार करना है और एक नये समाज का पुनर्निर्माण करना है तो हमें गुणात्मक सुधार तो करने ही पड़ेंगे ।

मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में जो आलोचनायें की गयी हैं उनका उत्तर देने के पूर्व मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं कि अगले वर्ष में हम क्या करने जा रहे हैं । सभी स्तरों के अध्यापकों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सरकार सर्वाधिक महत्व देगी । आज अध्यापकों की स्थिति बहुत खराब है; वे बहुत गरीब हैं और उन्हें कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है । हमें यह बात स्वीकार करनी चाहिए कि उनका व्यवसाय ऐसा है जो मानवता की पूर्णता के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं । साधारण दृष्टि से देखने पर तो ऐसा लगेगा कि उन का कोई विशेष महत्व नहीं है पर वास्तव में उनका महान ऐतिहासिक महत्व है और साम्राज्यों तथा पीढ़ियों का आधार स्तम्भ ये अध्यापक ही हैं ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये कार्यों में सब से अधिक कार्य यह है कि अध्यापकों का बेतन बढ़ाने के लिये राज्यों को वित्तीय सहायता दी है । मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि आगामी वर्ष से राज्यों को सभी श्रेणी अध्यापकों के—प्रारंभिक माध्यमिक, विश्वविद्यालय व सम्बद्ध कालजों—के लिए केन्द्र से वित्तीय सहायता मिलेगी १९५६-५७ और १९५७–५८ में हम ने प्रारंभिक स्कूलों के अध्यापकों का वेतन बढ़ाने के लिए अतिरिक्त व्यय के ५० फी सदी की दर से कुल २,७४,१९,७४१ रुपये के अनुदान दिये । गत वर्ष से हम ने माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों का बेतन बढ़ाने के लिए भी अनुदान देना शुरू कर दिया और ४२,६१,४०० रु० दिये । इस मामले में भी बढ़े हुये व्यय में केन्द्रीय सरकार का ५० पर सेंट अंशदान है । हमने राज्य सरकारों को लिखा कि यदि राज्यों के पास अपना अंशदान देने की क्षमता न हो तो वे केन्द्रीय सरकार की अनुदान को माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों का वेतन बढ़ाने के काम में इस्तेमाल कर सकते हैं । विश्वविद्यालयों के अध्यापकों का बेतन बढ़ाने के लिए गत २ वर्षों में हमने १८ विश्वविद्यालयों को ७,४८,६१४ ० के अनुदान दिये हैं । विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कालेजों के अध्यापकों के बारे में कई माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है । इन अध्यापकों के मामले किसी भी योजना में सम्मिलित नहीं थे । मुझे प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सम्बद्ध कालेजों के स्थायी और पूरे समय काम करने वाले अध्यापकों के बेतन

बढ़ाने का निश्चय किया है और पुरुषों के कालेजों के अतिरिक्त व्यय का ५० पर सैंट और महिलां कालेजों के अतिरिक्त व्यय का ७५ पर सैंट व्यय आयोग स्वयं उठायेगा। आयोग अध्यापकों का स्तर भी ऊंचा उठाना चाहता है। अतः उसने वेतन बढ़ानें के लिए कुछ न्यूनतम शर्तें भी रखी हैं। इस योजना के अन्तर्गत अनुदान उन कालेजों को मिल सकेगा जिनमें कि विद्यार्थियों की संख्या १००० से कम है और अन्य कालेज यदि विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार काम करने के लिए सहमत हो जायेंगे तो वे भी अनुदान की मांग के लिए पात्र बन सकेंगे। आज शिक्षा का स्तर बहुत गिर गया है क्योंकि हम बहुत अधिक संख्या में विद्यार्थियों को भरती कर रहे हैं और उन के लिये ठीक प्रबन्ध नहीं कर पाते। अतः इस प्रकार लक्ष यह है कि कालेजों में विद्यार्थियों की संख्या कम की जा सके। इस योजना के अधीन जिन कालेजों को सहायता दी जायेगी उन कालेजों के अपने अध्यापकों द्वारा किये जाने वाले प्राइवेट ट्यूशनों का भी विनियमन करना होगा। मुझे विश्वास है कि इन उपायों से अध्यापकों को ही सहायता नहीं मिलेगी बल्कि वे अपने काम में अधिक ध्यान दे सकेंगे और इस प्रकार शिक्षा का स्तर ऊंचा उठ सकेगा।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : यदि राज्य सरकारें अपना ५०% अभ्यंश नहीं देंगी तो भी क्या आयोग अपना ५०% अभ्यंश दे देगा और राज्य सरकारों से यह मांग नहीं करेगा कि वे भी अपना अभ्यंश दे ताकि गैर–सरकारी कालेजों के अध्यापकों को उससे लाभ पहुंचे ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : क्या माननीय सदस्य समझते हैं कि केन्द्र के संसाधन बहुत असीमित हैं। हमें इस समस्या को यथार्थवादी ढंग सें हल करना है। यह केन्द्रीय सरकार का प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व नहीं है। केन्द्रीय सरकार जानती है कि समाज में अध्यापकों का कितना महत्वपूर्ण स्थान है और इसी लिए उसने यह कदम उठाया है। मैं समझता हूं कि उचित यही होगा कि राज्य सरकारें भी अपना कर्त्तव्य निभायें।

अगले वर्ष हम अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार देने की एक योजना शुरु करने जा रहे हैं। सरकार ने उन अध्यापकों की सेवाओं को, जिन्होंने त्याग और सेवा की भावना से परिश्रम किया है, मान्यता प्रदान करने का निश्चय कर लिया है। "अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय पुरुस्कार" नाम की एक योजना तैयार की जा चुकी है और इस योजना के अन्तर्गत पुरस्कार देने के लिए सभी राज्यों से अध्यापक चुने जायेंगे और उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जायेगा। यद्यपि इस पुरस्कार की राशि बहुत थोड़ी है पर मैं आशा करता हूं कि इस ढंग से हम अध्यापकों का सम्मान बढ़ा सकेंगे और उन्हें अधिक अच्छे काम के लिए प्रोत्साहन दे सकेंगे।

आरम्भिक शिक्षा के संबंध में, मुझे खेद है कि सभा के सामने मैं सुन्दर स्वरूप नहीं उपस्थित कर सका। सभा को पता है कि अभी हाल में हमने अपना लक्ष्य ६:१४ से घटा कर ६:११ कर दिया है। हम कोशिश करेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना तक हम यह लक्ष्य पूरा कर लें। हमारा अनुमान है कि इस कार्य के लिए हमें तीसरी पंचवर्षीय योजना में ३२० करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी––दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो कुछ व्यय होगा उसके अलावा––और इसके अलावा बाद में ७२ करोड़ रु० का आवर्त्तक व्यय भी आवश्यक होगा। यह लक्ष्य तभी पूरा होगा जब देश की जनता यह बात अच्छी तरह समझ ले कि शिक्षा योजना का एक अभिन्न अंग है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० का० ला० श्रीमाली]

यह बात सत्य है कि संविधान के निदेशक तत्व की पूर्ती के लिये हमारे पास पर्याप्त निधि नहीं है पर साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस समय बड़े पैमाने पर शिक्षा के प्रसार का संचालन करने के लिये हमारे पास समुचित प्रशासकीय व्यवस्था भी नहीं है। १९५६–५७ में शिक्षा के व्यय में लगभग ५० प्रतिशत की कमी थी। अतः केन्द्र में तथा राज्य सरकारों के स्तर पर भी संविधान के निर्देशक तत्व की पूर्ती के लिये बहुत काफी प्रयत्न करने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख कर शिक्षा मंत्रालय ने अभी हाल में प्रारम्भिक शिक्षा की एक अखिल भारतीय परिषद् की स्थापना की है। जो कि केन्द्र तथा राज्यों के कार्य का समन्वय करेगी।

सभा को पता है कि गत वर्ष भारत सरकार ने प्रारम्भिक शिक्षा का अखिल भारतीय सर्वेक्षण कराया था। सर्वेक्षण का कार्य लगभग समाप्त हो गया है और आशा है कि सन् १९५८–५९ के मध्य तक सभी राज्यों में यह कार्य पूर्ण हो जायेगा। इस तथ्य शोधक संख्या की सर्वेक्षण द्वारा हमें उन सभी क्षेत्रों की ठीक स्थिति का ज्ञान प्राप्त हो सकेगा जिन में इस समय प्राइमरी मिडिल या हाई स्कूल हैं और जिन में नये स्कूलों की आवश्यकता है। यदि सर्वेक्षण के परिणामों का समुचित ढंग से उपयोग किया जायेगा तो कम से कम स्कूलों द्वारा अधिक से अधिक बड़े क्षेत्र का काम चलाया जा सकेगा। स्कूल इस प्रकार स्थापित किये जायेंगे कि प्रारम्भिक शिक्षा के लिये किसी भी विद्यार्थी को एक मील से अधिक दूर मिडिल स्कूल की शिक्षा के लिये ३ मील से अधिक और हाई स्कूल की शिक्षा के लिये ५ मील या ७ मील से अधिक दूर न जाना पड़े इस सर्वेक्षण की ओर राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित कराया जा चुका है और राज्य सरकारों ने हमें आश्वासन दिया है कि वे इस सर्वेक्षण से परिणामों का पूरा पूरा उपयोग करेंगी।

लड़कियों की शिक्षा के सम्बन्ध में यह कहा गया कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा के लिये जो सुविधायें हैं उन में काफी अन्तर है। यह सच है कि दोनों में अन्तर है। १९५५–५६ में स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या ७४,८६,८८६ थी। जब कि लड़कों की संख्या १,७०,२४,६४५ थी। मान लींजिये कि स्कूल जाने वाली आयु के बच्चों में ५० प्रतिशत लड़कियां हैं तो लड़कियों की संख्या स्कूल जाने वाले कुल बच्चों की संख्या का ३० प्रतिशत ही हुई। शिक्षा मंत्रालय लड़कियों की शिक्षा के विकास के लिये एक महत्वपूर्ण योजना शुरू करने वाली है जिस के अन्तर्गत महिला अध्यापकों को गांवमें मुफ्त रहने का स्थान मिलेगा, दाइयों की नियुक्ति होगी, अध्यापकों के लिये घनीभूत तथा विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था होगी, ९वीं से ११वीं कक्षा की लड़कियों के लिये छात्रवृत्तियों की व्यवस्था होगी ; अध्यापकों के लिये प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था होगी और प्रारम्भिक पाठ्यशालाओं में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होगी। आशा है कि इन उपायों से लड़कियों की शिक्षा का विकास होगा।

मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि सरकार श्रीमती दुर्गा बाई देशमुख के सभापतित्व में एक समिति नियुक्त करने जा रही है जो सभी शिक्षा के सम्पूर्ण प्रश्न पर विचार करेगी। यह समिति वयस्क शिक्षा पर भी विचार करेगी। उद्देश्य यह है कि शिक्षित महिलाओं का उपयोग हो और वे राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में अपना पूर्ण सहयोग दे सकें।

माध्यमिक शिक्षा के स्तर में हम दो मुख्य कार्यक्रम चलाते रहेंगे ; हाई स्कूल शिक्षा प्रणाली को माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में बदल लेंगे और कुछ चुने हुए स्कूलों को बहु प्रयोजनीय स्कूलों में बदलेंगे। ५७५ स्कूलों को बहुप्रयोजनीय स्कूलों में और १०९ को हायर सेकेन्डरी स्कूलों में बदला जा चुका है। माध्यमिक शिक्षा को बहुमुखी बनाने के उद्देश्य से उन में अगले वर्ष से कृषि और विज्ञान की पढ़ाई की भी व्यवस्था कर दी जायेगी।

यह भी एक सामान्य शिकायत है कि हायर सेकेन्डरी स्तर पर और विश्वविद्यालय स्तर पर भी अंग्रेजी शिक्षा का स्तर बहुत नीचा हो गया है । इस सम्बन्ध में सरकार काफी चिन्तित है और इसी उद्देश्य से उसने हैदराबाद में एक अंग्रेजी भाषा शिक्षा संस्था खोलने का निश्चय किया है । यह संस्था ट्रेनिंग कालेजों के अध्यापकों और हाई स्कूलों के अध्यापकों तथा बाद में विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को अंग्रेजी के पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण देगी ।

सरकार एक और कार्य करने जा रही है वह है गांधी दर्शन सम्बन्धी विशेष व्याख्यानों का शुरू करना । जो व्यक्ति गांधी जी के निकट सम्पर्क में रहे हैं या जिन्होंने उनके जीवन व दर्शन का अध्ययन किया है उनको छांटा जा रहा है । ये लोग विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देंगे । इस सम्बन्ध में मैं माध्यमिक शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद् के महान् कार्य का उल्लेख करूंगा । शिक्षा की सब से बड़ी समस्या अब भी यही है कि अध्यापकों को प्रशिक्षण कैसे दिया जाये और उनकी योग्यता कैसे बढ़ाई जाये । ऐसा केवल प्रशिक्षण कालिजों के द्वारा ही किया जा सकता है । प्रशिक्षण कालिजों से निकल कर प्रशिक्षित अधिकांश अध्यापकगण अध्यापन की पुरानी आदतों में पड़ जाते हैं और प्रशिक्षण कालिजों में सीखी गई सभी बातों को भूल जाते है । प्रशिक्षित अध्यापकों तथा अध्यापन कार्य में लगे हुए अन्य अध्यापकों का प्रशिक्षण कालिजों से सम्पर्क बनाये रखने के लिये मंत्रालय ने विभिन्न प्रशिक्षण कालिजों तथा विश्वविद्यालयों में विस्तार सेवा विभाग स्थापित किये हैं, इस समय ५२ प्रशिक्षण कालिजों तथा विश्वविद्यालयों में विस्तार सेवा विभाग खोला जा चुका है । इस विभाग के मुख्य कार्यों में अध्यापकों के लिये गोष्ठियों व सम्मेलनों तथा विशेष अध्ययन का आयोजन करना और विशेष साहित्य का प्रकाशन तथा पुस्तकालयों का विस्तार आदि करना है । हमें आशा है कि १९५८–५९ में कालिजों तथा विश्वविद्यालयों में और विस्तार सेवा विभाग स्थापित कर दिये जायेंगे ।

कई माननीय सदस्यों ने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग तथा माध्यमिक शिक्षा आयोग की तीन वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम लागू करने की सिफारिश के सम्बन्ध में निर्देश किया । सभा को याद होगा कि सरकार ने श्री चिन्तामणि देशमुख के सभापतित्व में इस सुझाव की वित्तीय कठिनाइयों पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की थी । हाल ही में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है तथा मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने इस प्रतिवेदन को अन्तिम रूप से स्वीकार कर लिया है । सभी विश्वविद्यालयों में इस योजना को लागू करने के लिये २५ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है । परन्तु द्वितीय योजना काल में हमें केवल १५ करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी जिसका आधा केन्द्र देगी तथा आधा राज्यों द्वारा वहन किया जायेगा ।

तीन वर्ष के डिग्री पाठ्यक्रम के साथ साथ समिति ने कुछ अन्य सुधारों के लिये भी कहा है जिन्हें करना जरूरी होगा और इस व्यय में उस सब व्यय को भी शामिल करना होगा जो कालिज की शिक्षा सुधारने, पाठ्यक्रम का परिवर्तन करने, कालिजों में विद्यार्थियों की संख्या कम करने, अध्यापक-विद्यार्थियों का अनुपात सुधारने, शोधनशालाओं की संख्या को बढ़ाने, पुस्तकालयों को बढ़ाने तथा जहां संभव हो वर्ग अध्यापन पद्धति लागू करने पर होगा । आशा है कि अगले तीन वर्षों में १५० इंटर कालिजों को डिग्री कालिज बनाया जायेगा तथा ३६० डिग्री कालिजों को पुनः संगठित किया जायेगा । एक कालिज में विद्यार्थियों की संख्या ८०० से १००० तक रखने की सिफारिश की गई है । सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह रखी गई है कि केन्द्रीय सरकार अपना अंश विश्वविद्यालय को तभी देगी जब उस विश्वविद्यालय में तीन वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम लागू कर दिया जायेगा और राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय अथवा कालिज बराबर का रुपया देने को तैयार होंगे ।

[डा० का० ला० श्रीमाली]

हमारा विचार शारीरिक शिक्षा कालिजों का स्तर ऊंचा करने और वहां दी जाने वाली सुविधाओं में सुधार करने के लिये कार्यवाही करने का भी है । अगले वर्ष से विशिष्ट संस्थाओं को अपने यहां विकास करने के लिये तथा अखाड़े और व्यायामशालायें आदि खोलने के लिये अनुदान दिये जायेंगे । गवेषणा के लिये तथा कुशल विद्यार्थियों को गवेषणा सम्बन्धी छात्र-वृत्तियां देने के लिये भी अनुदान दिये जायेंगे । हमारा विचार एक राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता आन्दोलन प्रारम्भ करने का है । इस आन्दोलन के अधीन ऐसे व्यक्तियों को जो शारीरिक क्षमता सम्बन्धी प्रतियोगिताओं में पूरे उतरेंगे उनकी योग्यतानुसार तमगे आदि दिये जायेंगे । सदन को पता ही है कि मंत्रालय ने ग्वालियर में शारीरिक शिक्षा का एक राष्ट्रीय कालेज खोला है जो गवेषणा तथा उच्चतर शारीरिक शिक्षा के मुख्य केन्द्र के रूप में कार्य करेगा ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

हमारा विचार कैवल्य धाम श्रीमन माधव योग मन्दिर समिति, लोनावाला को सहायता बढ़ाने का है । यह समिति आधुनिक जानकारी के अनुसार योगासनों के महत्व के सम्बन्ध में गवेषणा कर रही है । इस समिति में की गई गवेषणाओं को केवल इस देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी मान्यता प्राप्त है । सरकार का विचार योगासनों आदि के अन्य केन्द्रों को भी अनुदान देने का है ।

जहां तक खेलकूद का सम्बन्ध है, मैं इतना कहना चाहता हूं कि हम अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् को फिर से संगठित करने का विचार कर रहे हैं । शिक्षा संस्थाओं में खेलों के विकास के लिये तथा आम लोगों में खेलकूद का सर्वोत्तम स्तर स्थापित करने के लिये एक विस्तृत योजना पर विचार किया जा रहा है । इस योजना पर अगले तीन वर्षों में लगभग १७० लाख रुपया व्यय करने की आशा है ।

सभा में राष्ट्रीय अनुशासन योजना की ओर भी निर्देश किया गया । मैं केवल इतना कह सकता हूं कि शिक्षा मंत्रालय, जिसने राष्ट्रीय अनुशासन योजना को दिसम्बर, १९५७ में प्रारंभ किया था, इस योजना को विस्तृत रूप देने तथा इसे बम्बई, पश्चिम बंगाल तथा पंजाब राज्यों की अन्य शिक्षा संस्थाओं में लागू करने का विचार कर रहा है । विस्तार सम्बन्धी एक योजना को स्वीकार किया जा चुका है जिस पर ५८ लाख रुपये व्यय होंगे, इसके लिये शारीरिक शिक्षा देने वाले शिक्षकों को चुना जा रहा है । ऐसी आशा है कि १९६०-६१ तक कम से कम ३०० स्कूलों में इस योजना को लागू कर दिया जायेगा ।

हिन्दी के प्रचार तथा विकास के लिये इतना कहना पर्याप्त है कि हम योजनानुसार आगे बढ़ रहे हैं । १५ मार्च १९५८ तक लगभग १,१०,००० हिन्दी शब्द बना लिये गये हैं और आशा है कि १९६० के अन्त तक ३,६७,००० शब्द बनाने का हमारा लक्ष्य पूरा हो जायेगा । इस बीच स्वीकृत शब्दावलि के आधार पर हमने संग्रह बनाना प्रारम्भ कर दिया है ।

अगले वर्ष मंत्रालय का विचार विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की प्रामाणिक पाठ्य-पुस्तकों का अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कराने का है । सभा को मालूम है कि विश्वविद्यालयों और कालिजों में काम में आ सकने वाली विज्ञान और प्रौद्योगिकी की हिन्दी में अच्छी पुस्तकों की बड़ी कमी है । सरकार अंग्रेजी की प्रामाणिक मुख्य पुस्तकों की सूची बना रही है जिनका अनुवाद होना चाहिये तथा ज्यूंही इस सूची को अन्तिम रूप दिया जायेगा, वैसे ही विश्वविद्यालयों, महान् विद्वानों तथा संस्थाओं के सहयोग से काम प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

सभा को ज्ञात है कि भारत यूनेस्को का एक सक्रिय सदस्य है और यूनेस्को के सहयोग से अगले वर्ष, हमारा कई परियोजनायें प्रारम्भ करने का विचार है । इन योजनाओं में एक शिक्षा सम्बन्धी सुधारों तथा बुनियादी शिक्षा और सामुदायिक विकास में दृश्य तथा श्रव्य सहायताओं के प्रयोग के बारे में गोष्ठियों का आयोजन करना है। यह प्रादेशिक गोष्ठियां दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के लिये की जायेंगी। भारत इन दोनों गोष्टियों में रुचि ले रहा है क्योंकि हमें अपनी शिक्षा के पुनर्गठन तथा श्रव्य और दृश्य सहायताओं में काफ़ी दिलचस्पी है ; हम इनका उपयोग सामुदायिक परियोजनाओं के विकास में कर सकते हैं ।

यूनेस्को की सहायता से अगले वर्ष जो दूसरी महत्वपूर्ण परियोजना हम लेना चाहते हैं, वह है पूर्वी तथा पश्चिमी संस्कृति की विशेषताओं का पारिस्परिक समवबोध । इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय मामलों की भारतीय परिषद् (इंडियन काउंसिल आफ़ वर्ल्ड अफ़ेयर्स) ने एक योजना बनाई है जिसके अनुसार छः ग्रन्थों में एशिया का इतिहास निकाला जायेगा । आशा है कि इस पर लगभग १० लाख रुपये व्यय होंगे । भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने यूनेस्को से छः वर्ष के लिये कुल व्यय का एक तिहाई भाग देने की सिफारिश की है । रविन्द्र नाथ टैगोर के शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिये यूनेस्को को भी आमंत्रित किया गया है । इस योजना के कार्यक्रम के अनुसार, यूनेस्को ने गांधी जी के प्रवचनों का एक ग्रन्थ बनाना प्रारंभ कर दिया है ।

यूनेस्को ने ऊसर भूमि की विशेषतया पूर्वी भूमध्य से मध्य पूर्व तथा दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों की भूमि की समस्याओं की गवेषणा के समन्वय तथा सुधार के लिये एक और विशाल योजना बनाई है । यह योजना छः वर्ष तक चालू रहेगी तथा इसके अन्तर्गत जीवन निर्वाह की परिस्थितियां को सुन्दर बनाने तथा अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने के उद्देश्य से संसाधनों का विकास करने के लिये इस क्षेत्र के कुछ सदस्य राज्यों में गवेषणा की जायेगी । जोधपुर में एक केन्द्रीय मरुभूमि गवेषणा केन्द्र स्थापित करने के बारे में कार्यवाही शुरू कर दी गई है । ऐसी आशा है कि यूनेस्को विशेषज्ञों, छात्रवृत्तियों, यंत्रों तथा धन के रूप में सहायता देगा ।

शिक्षा पद्धति सुधारने तथा शिक्षा की राष्ट्रीय योजना को क्रियान्वित करने के लिये हमारा विचार इन कामों के करने का है । जो समय अब बचा है उसमें मैं वाद-विवाद में उठाये गये कुछ अन्य प्रश्नों का उत्तर दूंगा ।

मेरे माननीय मित्र, श्री मुकर्जी ने टैक्सी पर होने वाले व्यय के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया । मुझे खेद है कि वह आज यहां उपस्थित नहीं हैं ; उन्होंने मुझे एक कागज़ भेजा था । उन्होंने इसके बारे में कुछ ऐसा ज़ाहिर किया कि मंत्रालय ने आवर्त्तक व्यय में इस धन को व्यय किया है । यह खर्च यूनेस्को सम्मेलन के सिलसिले में भारत को मेज़बान देश होने के नाते करना पड़ा था । मैं इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण दूंगा और यदि फिर भी सभासद् कोई जानकारी जानना चाहेंगे तो मैं प्रसन्नता से उसे दूंगा । मेज़बान देश के रूप में भारत का यूनेस्को सम्मेलन में आये प्रतिनिधियों की सेवाओं के लिये अपेक्षित परिवहन की व्यवस्था करना कर्त्तव्य था । इसलिये यूनेस्को के काम के लिये यूनेस्को सचिवालय के वरिष्ठ पदाधिकारियों के प्रयोग के लिये एक से दो मास की अवधि तक बहुत सी कारों का इन्तज़ाम किया गया था । लगभग ८०० विदेशी प्रतिनिधियों तथा अन्य यूनैस्को पदाधिकारियों को नई-दिल्ली में उन के हरने के स्थान से विज्ञान भवन तक लाने ले

[डा० का० ला० श्रीमाली]

जाने का भी प्रबन्ध किया गया था, इसके लिये ४०–५० कारें तथा २५ बसें किराये पर ली गई थीं। बसें उत्तर-प्रदेश रोडवेज विभाग से तथा टैक्सियां परिवहन मंत्रालय के परामर्श से, टैक्सी सर्विस की एक स्थानीय फ़र्म से किराये पर ली गई थीं। अधिकतर गाड़ियां पूरे समय के लिये ली गई थीं। बसें एक मास से कुछ अ धक समय के लिए ली गई थीं। कारों का किराया १५०० मील तक के लिये १२५० रुपये प्रति कार था। बसें १२ घंटे के लिये ६० मील चलने पर १५० रुपये प्रतिदिन के किराये पर थीं।

मैं खुलासा तौर पर इसलिये बता रहा हूं क्योंकि माननीय सदस्य ने सभा को ग़लत बातें बताई हैं। यह दरें परिवहन मंत्रालय के परामर्श से न्यूनतम टेंडर के आधार पर निश्चित की गई थीं। बसों पर १,०५,००३ रुपये तथा कारों पर १,४४,८४७ रुपये व्यय हुए अर्थात् कुल २,४९,८५० पये व्यय हुये थे। सम्मेलन के महत्व तथा इसकी अवधि को देखते हुए परिवहन सेवाओं पर किया गया व्यय उचित ही था।

अब मैं श्री मसानी द्वारा उठाये गये प्रश्न का उत्तर देते हुए यह कहना चाहता हूं कि मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं कि कला, साहित्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को किसी विशेष प्रकार की विचार धारा को स्वीकार करने पर बाध्य नहीं किया जाना चाहिये। कलाकारों, लेखकों तथा रचनात्मक कार्यों में लगे लोगों को पूर्ण स्वायत्तता होनी चाहिये। सर्वाधिकारवादी समाज में ही कोई मत बलपूर्वक स्वीकार कराया जाता है। जैसा सभा को मालूम है इन अकादमियों की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई है कि किसी प्रकार से लोगों को एक ख़ास विचार धारा अपनाने पर मजबूर न किया जाये।

यह सच है कि कभी कभी स्वयं कलाकारों में मतवैभिन्नय होता है लेकिन ऐसा मत-वैभिन्न्य रखने के लिये वह स्वतन्त्र हैं। सच तो यह है कि जो सुझाव श्री मसानी ने दिया है उसका परिणाम अधिक नियंत्रण आदि ही होगा। अकादमी को कलाकारों का चुनाव करने तथा पुरस्कार देने की पूरी स्वतंत्रता है। सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती।

मैं अपने मित्र श्री मसानी को बताना चाहता हूं कि उनका यह कहना सच नहीं है ललित कला अकादमी स्वायत्त नहीं है। उसका संविधान देखने पर पता लगेगा कि उसकी कार्यपालिका के अधिकांश सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित नहीं है। सामान्य परिषद् में १५ सदस्य प्रसिद्ध कलापारखी हैं, १४ राज्य सरकारों के नामनिर्देशित व्यक्ति हैं तथा केवल ५ व्यक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित हैं। उनके निर्णयों में साकार ने अभी तक कोई, कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया है। मैं आशा करता कि माननीय मित्र संतुष्ट हो गये होंगे कि कला तथा साहित्य में पूर्ण स्वतत्रता तथा स्वायत्तता बनाये रखने के लिये जितने वह उत्सुक हैं उतनी ही सरकार थी।

अन्य बहुत से प्रश्न कटौती प्रस्तावों तथा माननीय सदस्यों के भाषणों में उठाये गये हैं। मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों का ही उत्तर दिया है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि निश्चित समय से अधिक समय तक सदस्यों को सभा में बैठाऊं। अन्त में मैं उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने

इस विवाद में भाग लिया। सच यह है कि मुझे इस बात से बड़ी प्रसन्नता है कि सामान्यतः सभासदों ने प्राथमिक शिक्षा तथा संविधान में निहित निदेश-तत्वों की क्रियान्विति पर अधिक बल दिया।

इस समय सरकार का हाथ बहुत तंग है। जो कार्य हमने प्रारम्भ किया है वह महान् है तथा हमारे संसाधन बड़े सीमित हैं। इससे कोई भी असहमत नहीं होगा कि जब तक अधिक निधि तथा संसाधन शिक्षा के विकास के लिये मंत्रालय को नहीं सौंपे जायेंगे तब तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं किया जा सकता। शिक्षा केवल हमारे देश में ही नहीं अपितु अन्य देशों में भी समाज के पुनर्निर्माण का आवश्यक साधन रहा है। प्रायः लोग कहते हैं कारखानों तथा मिलों की स्थापना के पश्चात् स्कूल होते ही रहेंगे। यह बात बड़ी ही भ्रममूलक है। यह सच है कि हमें अधिक धन तथा उत्पादन चाहिये जिससे शिक्षा की प्रगति हो सके। परन्तु यह भी याद रखना चाहिये कि हमें चरित्रवान, दूरदर्शी, प्रवीण व्यक्ति भी चाहिये जो इन कारखानों तथा औद्योगिक संस्थाओं का उचित प्रकार कार्य संचालन कर सकें।

मैं इन मांगों का सामान्य रूप से समर्थन करने के लिये माननीय सदस्यों का आभारी हूं।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फ़िरोजाबाद) : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आप चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक १४ वर्ष तक की आयुवाले बच्चों के लिये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कर सकेंगे ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं पहले ही बता चुका हूं कि योजना आयोग ने हाल में ही इस मामले की जांच की थी। उससे निष्कर्ष यह निकला है कि छः से चौदह वर्ष तक की आयु वाले बचों के लिये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना सम्भव नहीं है, और न ही यह कहा जा सकता है कि इसमें कितने वर्ष लग जायेंगे। इसलिये, आयोग ने इस आयु-सीमा को घटाने का सुझाव दिया है। उनका सुझाव है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हम सारे देश में छः से ११ वर्ष तक की आयु वाले बच्चों के लिये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा आरम्भ कर सकते हैं। ग्यारह से चौदह वर्ष तक की आयु वाले बच्चों के लिये इसकी व्यवस्था करने में दस या पन्द्रह वर्ष और लग सकते हैं। यह सब इसी पर निर्भर है कि हम कितनी सम्पदा जुटा सकते हैं और शिक्षा सम्बन्धी अधिकारियों को कितने संसाधन और दे सकते हैं।

श्री भक्त दर्शन : मैं केवल एक सुझाव देना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को और उपमंत्री जी को। चूंकि उनको पूरा समय नहीं मिल सका है और सब बातों पर वे प्रकाश नहीं डाल सके हैं, तो जिन सदस्यों ने उनको जो सुझाव दिये हैं, उनके सम्बन्ध में वे यदि उचित समझें तो, उन सदस्यों को सूचित कर दें कि क्या किया गया है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री उन माननीय सदस्यों का आभार प्रदर्शित कर चुके जिन्होंने यहां सुझाव रखे हैं ; मुझे खेद है कि मैं समयाभाव के कारण सभी सदस्यों को भाषणों का अवसर नहीं दे सका। मैं सिर्फ़ इतना ही कह सकता हूं कि अध्यक्ष की अपनी कुछ विशेष कठिनाइयां हैं। आशा है माननीय सदस्य इनको समझते होंगे।

अब मैं सभी कटौती प्रस्तावों को मतदान के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

---

†मूल अंग्रेजी में

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय की अनुदानों की निम्न मांगें मतदान के लिय रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		(रुपये)
१३.	शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय	६३,८१,०००
१४.	पुरातत्व	१,००,५६,०००
१५.	भारतीय भू-परिमाप	१,५६,८५,०००
१६.	वानस्पतिक सर्वेक्षण	११,४६,०००
१७.	प्राणकीय सर्वेक्षण	१०,८८,०००
१८.	वैज्ञानिक गवेषणा	५,८५,७३,०००
१९.	अन्य वैज्ञानिक विभाग	५१,९५,०००
२०.	शिक्षा	२३,२५,६८,०००
२१.	शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	२,२१,७४,०००
१०९.	शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय का पूंजी व्यय	२,००,५१,०००

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधी समिति

सत्रहवां प्रतिवेदन

† **श्री अ० सिं० सहगल** (जंजगीर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन से, जो २० मार्च, १९५८ को सभा में उपस्थापित किया गया था सहमत है।"

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन से, जो २० मार्च, १९५८ को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

† मूल अंग्रेजी में

लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक*

(धारा ५५ क, ८२ और ११६ क का संशोधन)

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री तंगामणि :** मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

राज्य पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक*

(धारा ५१ का संशोधन)

†**श्री ईश्वर अय्यर** (त्रिवेन्द्रम) : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री ईश्वर अय्यर :** मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

सामाजिक प्रथायें (व्यय में कटौती) विधेयक

†**श्री झूलन सिंह** (सीवन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सामाजिक प्रथाओं पर होने वाले व्यय में कटौती की तथा उससे सम्बन्धित मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

*भारत के असाधारण गजट भाग २, अनुभाग २, दिनांक २१–३–५८ में प्रकाशित ।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सामाजिक प्रथाओं पर होने वाले व्यय में कटौती की तथा उससे संबंधित मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†श्री झूलन सिंह : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

खाद्य अपमिश्रण रोक (संशोधन) विधेयक*

(धारा २० का संशोधन और नई धारा २१क का रखा जाना)

†श्री झूलन सिंह (सीवन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम, १९५४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम, १९५४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†श्री झूलन सिंह : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

मिर्ज़ापुर पाषाण महल (संशोधन) विधेयक*

(धारा ३ का सशोधन)

†श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि मिर्ज़ापुर पाषाण महल अधिनियम, १८८६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†उपाध्यक्ष महोदय प्रश्न यह है :

"कि मिर्ज़ापुर पाषाण महल अधिनियम, १८८६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†श्री रघुनाथ सिंह : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*भारत के असाधारण गजट, भाग २, अनुभाग २, दिनांक २१–३–५८ में प्रकाशित ।

संघ राज्य क्षेत्र (विधियां) संशोधन विधेयक*

(धारा ३ का संशोधन)

†**श्री ले० अचौ सिंह** (आंतरिक मनीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संघ राज्य क्षेत्र (विधियां) अधिनियम, १९५० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि संघ राज्य क्षेत्र (विधियां) अधिनियम, १९५० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री ले० अचौ सिंह :** मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

दहेज रोक विधेयक

†**श्री मोहन स्वरूप** (पीलीभीत) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विवाहों के सम्बन्ध में दहेज लेने या देने पर रोक लगाने की तथा प्रासंगिक मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विवाहों के सम्बन्ध में दहेज लेने या देने पर रोक लगाने की तथा प्रासंगिक मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री मोहन स्वरूप :** मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

दहेज पर रोक विधेयक

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विवाह और सगाई के सम्बन्ध में दहेज लेने या देने पर रोक लगाने की तथा प्रासंगिक मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विवाह और सगाई के सम्बन्ध में दहेज लेने या देने पर रोक लगाने की तथा प्रासंगिक मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

*भारत के असधारण गजट, भाग २, अनुभाग २, दिनांक २१–३–५८ में प्रकाशित ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** मैं विधेयक को पुर:स्थापित करती हूं ।

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक

(नई धारा १२४ ख का रखा जाना)

†**श्री रघुनाथ सिंह** (वाराणसी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दण्ड संहिता, १८६० म अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को वापिस लेने की अनुमति की जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** क्या सभा माननीय सदस्य को विधेयक को वापस लेने दी अनुमति देती है ?

विधेयक सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक

(धारा ४९७ का लोप)

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब सभा श्री रघुनाघ सिंह द्वारा ७ मार्च, १९५८ को प्रस्तुत किये गये इस प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रखेगी कि भारतीय दण्ड संहिता, १८६० में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये । इसके लिये अभी १ घंटा २३ मिनट शेष हैं ।

श्री दी० चं० शर्मा अपना भाषण जारी रखें ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर): इस समस्या पर सबसे पहले मैं न्यायिक दृष्टिकोण से विचार करूंगा । इस विधेयक के विषय के सम्बन्ध में कुछ उच्चन्यायालयों और यहां तक कि उच्चतम न्यायालय ने भी चर्चा की है; और उन्होंने इसके विरुद्ध निर्णय किया है । उस निर्णय में कहा गया है कि स्वयं संविधान के अनुच्छेद १५ के खण्ड (३) में ही स्त्रियों और बच्चों के लिये विशेष व्यवस्थायें की गई हैं । इस लिये लिंग के आधार पर वर्गीकरण करना सर्वथा उचित है । उसमें बताया गया है कि यदि अनुच्छेदों १४ और १५ को एक साथ रख कर देखा जाये तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा ४९७ की वह व्यवस्था बिलकुल संगत प्रतीत होती है जिसमें स्त्रियों को व्यभिचार की दुरुत्साहिकाओं के रूप में दण्डित करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है । संविधान ने स्वयं की स्त्रियों और बच्चों को विशेष अधिकार दिये हैं । इसलिये, यह विधेयक संविधान की व्यवस्थाओं के विरुद्ध है ।

बम्बई उच्चन्यायालय ने भी यही कहा है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा ४९७ के रचनाकार की मंशा यही थी कि व्यभिचार के लिये केवल पुरुषों को की दण्ड दिया जाये । हमारे देश में स्त्रियों और पुरुषों के बीच कोई विभेद नहीं किया जाता । धारा ४९७ की व्यवस्था सिर्फ इसीलिये की गई है कि देश की परिस्थिति में स्त्रियों की स्थिति को देखते हुए उनके साघ सहानुभूति करना आवश्यक है ।

यह विधेयक संवैधानिक रूप से अमान्य है । हमारे देश में स्त्रियों को विधि और राजनीति की दृष्टि से समानता तो दी गई है, लेकिन वास्तव में सार रूप में व पुरुषों की समता नहीं कर पातीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उदाहरण के लिये दहेज प्रथा को ही ले लीजिये । अभी तक इस रोग को दूर नहीं किया जा सका है । दहेज प्रथा के रहते हुये, स्त्रियों को पुरुषों के समान नहीं कहा जा सकता । इसमें उन्हें समानता प्राप्त नहीं है ।

हमारे देश में और अन्य प्रगतिशील देशों में भी स्त्रियों को आर्थिक समानता दी गई है । संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसके लिये एक समिति भी नियुक्त की है जो, समान काम के लिये स्त्रियों को पुरुषों के समान ही वेतन देने की समस्या पर चर्चा कर रही है ।

हमारे देश में जिस विचारधारा का दौरान है, वह तो सही दिशा में चल रही है कि स्त्रियों को राजनीतिक और सामाजिक समानता दी जाय । लेकिन इसे व्यवहार रूप में परिणत करने में काफ़ी समय लग जायेगा ।

इसलिये, यह विधेयक देश की परिस्थितियों के विचार से अनावश्यक है । हमारे देश में तो अभी भी विवाह अभिभावकों की वार्ता के आधार पर ही तय किये जाते हैं । हमारे यहां के विवाह अभी अधिकांशतया स्वतन्त्र चुनाव के आधार पर नहीं होते । हमारे देश में अभी स्त्रियों के लिये बड़ी-बड़ी सामाजिक निर्योग्यतायें हैं । इसलिये, यह विधेयक स्त्रियों के हितों पर कुठाराघात करेगा ।

श्री अजराज सिंह (फिरोज़ाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि मैं श्री रघुनाथ सिंह के बिल (विधेयक) का समर्थन नहीं कर सकता हूं । जिस तरीके से यह बिल लाया गया है, उस से लगता है कि श्री रघुनाथ सिंह आज के समाज की रचना को समझने में असमर्थ रहे हैं । हम सभी जानते हैं कि आज का समाज एक इस प्रकार का समाज है, जिसे एक तरह से पैतृक समाज कहना चाहिए, जहां पुरुष ही समाज की सारी व्यवस्थाओं का मालिक है और जहां स्त्री एक क्षीण और हीन अवस्था में है । इंडियन पीनल कोड (भारतीय दण्ड संहिता) की धारा ४९७ को निकालने का अर्थ यह है कि हम ने स्त्री को जो सुरक्षा दे रखी है, उसको हम हटा लेना चाहते हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इस धारा की भाषा को पढ़ा जाय, तो पता चल जायेगा कि जब इंडियन पीनल कोड में यह धारा रखी गई थी, तो उद्देश्य क्या था । इस धारा में दिया गया है कि किसी भी विवाहिता स्त्री के साथ, उस के पति की सहमति के बिना, व्यभिचार करने पर अपराधी पुरुष को पांच वर्ष तक का दण्ड दिया जायेगा, और उस स्त्री को दुरुत्साहिका के रूप में दण्डनीय नहीं समझा जायेगा ।

यदि हमारी सोसायटी दूसरी तरह की रही होती और उस में स्त्री की स्थिति पुरुष के समान ही होती, तो इस धारा में यह कहा जाता कि यदि कोई स्त्री किसी दूसरे पुरुष के साथ योन-व्यभिचार करे, तो उन दोनों को सज़ा दी जायगी—तब इस धारा में दोनों को सज़ा देनें की व्यवस्था होती । परन्तु इस धारा में सिर्फ यह कहा गया है कि यदि कोई पुरुष किसी ऐसी स्त्री के साथ, जोकि कसी दूसरे की पत्नी है, यह जानते हुए कि वह किसी दूसरे की पत्नी है, व्यभिचार करता है, तो उस को सज़ा दी जायगी, औरत का उसका सहायक होने का सवाल नहीं उठता है ।

इस सम्बन्ध में हम यह भूल जाते हैं कि इस कानून के बावजूद कि सब बराबर हैं, आज के समाज में हम औरत को वह स्थान नहीं दे पाए हैं, जो कि उस को मिलना चाहिए । हमारे इस सदन में ५०० सदस्य हैं । क्या हम उन में २५० स्त्रियों को चुनवा सके हैं ? क्या यहां पर हम उन की संख्या को बराबरी के स्तर पर ला सके हैं ? हमारे मंत्री-मंडल

[श्री ब्रजराज सिंह]

में ५१ सदस्य हैं। क्या हम २५ स्त्रियां मंत्री-मंडल में ला सके हैं? इसी तरह से विधान सभाओं को लीजिए। वहां पर भी क्या हम औरतों को बराबरी का स्थान दे सके हैं? जन-सेवाओं में भी उन्हें वह स्थान नहीं मिल सका है। पढ़ी-लिखी स्त्रियों की स्थिति कुछ भी हो—उन्हें शायद थोड़ी सी बराबरी मिल गई हो, लेकिन जहां तक गांवों में रहने वाली अक्सर अपढ़ स्त्रियों का प्रश्न है, हम देखते हैं कि उन को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है और वे परदे में रखी जाती हैं। ऐसी सूरत में यह कहना कोई अर्थ नहीं रखता है कि दफ़ा ४९७ को हटा दिया जाय और स्त्री को भी पुरुष के सहायक —एबेटर (दुरुत्साह) —के रूप में सज़ा दी जाय। हम जानते हैं कि यह कोई अच्छा कार्य नहीं है, लेकिन इंडियन पैनल कोड में जो भी अपराध दिए गए हैं, वे समाज के खिलाफ़ अपराध हैं और इसी लिए उन के लिए सजायें रखी गई हैं। उन में कोई अच्छी बात नहीं है—जो अपराध करते हैं, उन को सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जहां तक इस अपराध का सम्बन्ध है, यदि पुरुष किसी स्त्री के साथ इस प्रकार का अपराध करता है, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या समाज में दोनों का स्थान एक सा है, पुरुष और स्त्री दोनों एक ही हैसियत में हैं। हम सभी जानते हैं कि कभी कभी इस तरह हुआ करता है कि ऐसे इलाकों में, जहां स्त्रियां पढ़ी-लिखी नहीं होती हैं, स्त्रियों को फुसला दिया जाता है या उन के साथ ज़बर्दस्ती दुर्व्यवहार किया जाता है। ऐसी स्थिति में यदि यह कहा जाय कि इस धारा को निकाल दिया जाय और स्त्री और पुरुष दोनों को ही सज़ा मिले, तो मैं समझता हूं कि, इस का अर्थ है कि हम इस अपराध को बढ़ाना चाहते हैं। मेरे विचार में अगर हम इस अपराध को कम करना चाहते हैं, तो वह शिक्षा से हो सकता है, स्त्रियों को हर क्षेत्र में—आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में —बराबरी को का स्थान देने से, उन को जो ड्यु (उचित) स्थान है, वह देने से हो सकता है। हमें शर्म से यह बात स्वीकार करनी चाहिए कि भारत के पुरुष—हम लोग—स्त्रियों को वह स्थान देने में समर्थ नहीं हुए हैं। हम यह जानते हैं क हमारे राष्ट्र में पहले सीता माता हुई और दूसरी एसी महान देवियां हुई जिन का नाम हमेशा हमेशा के लिये इतिहास में लिखा रहेगा, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या आज के जमाने में हम उन को वही स्थान देने के लिए कदम उठा रहे हैं।

यह देख कर बड़ा आश्चर्य होता है कि इस बिल के मूवर (प्रस्तावकर्त्ता) महोदय कहते हैं कि धारा ४९७ संविधान के अनुच्छेद १४ और १५ का उल्लंघन करती है। अगर उन्होंने संविधान के अनुच्छेद १५(३) को पढ़ लिया होता, तो उन्हें साफ़ हो जाता कि धारा संविधान का उल्लंघन नहीं करती है। अनुच्छेद १५(३) में कहा गया है कि अनुच्छेद के उपबन्धों के रहते हुए भी सरकार स्त्रियों और बच्चों के बारे में विशेष उपबन्ध कर सकती हैं।

जहां तक इस अपराध का सवाल है, मैं समझता हूं कि विधान-निर्माताओं के मस्तिष्क में कभी यह बात नहीं रही होगी कि कभी यह भी सोचा जायगा कि स्त्री को. इस लिए एबेटर—सहायक—मान लिया जाय कि उस के साथ किसी पुरुष ने, जो कि आज के समाज में ज्यादा अच्छी हैसियत रखता है, व्यभिचार किया है और उस को भी सज़ा देने की बात की जायगी। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस तरह का कोई कानन बना से पहले हमें राष्ट्र की स्थिति को देखना होगा, जिस में स्त्रियां हैं। मैं तो यह कहूंगा कि इस तरह के कानन की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या हम यह नहीं जानते कि हमारे

यहां इस कानून के बन जाने के बाद भी कि एक पुरुष एक ही स्त्री के साथ विवाह कर सकता है, कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, जिन की एक से ज्यादा पत्नियां हैं। किसी वक्त समाज में स्त्री का स्थान पुरुष से ऊंचा होता था और मातृ संस्थाएं होती थीं और माता को ही सब कुछ समझा जाता था। भले ही कोई ऐसा समय रहा होगा, लेकिन आज हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में पिता का नाम ही लिखा जाता है, न कि माता का। बम्बई में एक सज्जन कैलाशचन्द्र जी हैं, जिन्होंने इस सम्बन्ध में एक नया आन्दोलन शुरू किया है। उन्होंने वोटर्ज़ लिस्ट (मतदाता सूची) में अपने पिता का नाम बताने से इन्कार किया। उन्होंने अदालत में बड़े ज़ोर से कहा कि पिता के नाम का मुझे ठीक पता नहीं है, उस के बारे में मैं निश्चित नहीं हूं लेकिन मैं अपनी माता का नाम जानता हूं, उस के बारे में मैं निश्चिन्त हूं, उस में कोई शक नहीं हो सकता है। जो लिखने वाले आफ़िसर थे, उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया और मामला अदालत में गया और अदालत नें निश्चिय किया कि माता का नाम भी लिखा जा सकता है।

आज के समाज में हम देखते हैं कि पिता का नाम ही लिखा जा सकता है, माता का नाम नहीं लिखा जाता है। इस से पता चलता है कि महत्व पुरुष का ज्यादा है, स्त्री का नहीं है। अगर स्त्री का भी उतना ही महत्व रहा होता, जितना कि आज पुरुष का है, तो मैं समझता हूं कि रघुनाथ सिंह जी को यह शिकायत करने का अवसर न मिलता कि यह धारा पुरुष और स्त्री के बीच में डिस्क्रिमिनेशन (विभेद) करती है। अगर स्त्री भी पुरुष की स्थिति में होती तो उसको वे सारे फायदे मिल सकते थे जो पुरुष को मिलते हैं। लेकिन आज स्त्री उस स्थिति में नहीं है। मैं निवेदन करता हूं कि इस समस्या पर विचार करते समय हम दूसरी बातों का भी ध्यान रखें। हमें देखना है कि हम आज स्त्री को शिक्षित कर पाये हैं और क्या उस हद तक कर पाये हैं जस हद तक हम करना चाहते थे। अगर हम नहीं कर पाये हैं तो क्या हम इस के बारे में कोई कदम उठा रहे हैं? अभी हमारे शिक्षा मंत्री महोदय डा० श्रीमाली ने बताया है कि जहां स्कल जाने वाले लड़कों की संख्या ६० प्रतिशत है, वहां स्कूल जाने वाली लड़कियों की संख्या केवल ३० प्रतिशत ही है। हम आज स्त्री को किसी भी क्षेत्र में बराबर का स्थान नहीं दे पाये हैं। जब तक उसको वह स्थान न मिले, जब तक वह दबी हुई है, तब इस अपराध में कि व्यभिचार में उसका पूरा हिस्सा है और उस को भी बराबर सज़ा मिलनी चाहिये, मैं समझता हूं कि ठीक नहीं होगा। यह कहना कि इस में स्त्री का भी उतना ही हाथ है जितना कि पुरुष का ठीक नहीं है।

आजकल देखा जाता है कि पुरुष पैसे के बल पर, अपनी शक्ति के बल पर, समाज में जो उस को स्थान मिला हुआ है, उस के बल पर स्त्रियों के साथ व्यभिचार करता है और उसको एक्सप्लायट (शोषण) करता है। इस वास्ते आमतौर पर पुरुष ही इस के लिए ज़िम्मेदार होता है, स्त्री नहीं और उसको ही इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, स्त्रियों को नहीं।

इस बुराई को समूल नष्ट करने के लिए हम समाज में इस के प्रति घृणा पैदा करनी होगी, समाज का नैतिक स्तर ऊंचा करना होगा। समाज का दृष्टिकोण बदलना होगा। हमें इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करना होगा जिन में कि इस तरह के व्यभिचार के मामले न हों। लोगों को दूसरी स्त्री को माता और बहन ही समझना होगा और उसी दृष्टि से उस की ओर देखना होगा। किसी स्त्री की तरफ किसी

[श्री ब्रजराज सिंह]

को बुरी निगाह से नहीं देखना होगा ऐसी हमारी पुरानी परम्परा रही है और इस परम्परा को हमें चालू रखना होगा और इसको पुनर्जीवित करना होगा। जब सब लोग हर स्त्री को माता बहन मानेंगे तो इस धारा की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। किसी को सज़ा देने का अवसर ही नहीं आयेगा।

इन बातों के देखते हुए मैं तो यही कहूंगा कि हमें अपना दृष्टिकोण बदलना होगा, हमें स्त्रियों को पुरुषों के बराबर लाना होगा, उनको बराबर का स्थान देना होगा, पुरानी परम्परा पर जिसमें कि स्त्री को माता और बहन समझा जाता था, चलना होगा और हमने इन सब बातों को यदि किया तो मुझे यकीन है कि ४९७ धारा के प्रयोग की ही आवश्यकता नहीं रह जायेगी और किसी भी पुरुष को भी कहीं पर सज़ा ेने का सवाल ही पैदा नहीं ोगा।

इसलिए मैं श्री रघुनाथ सिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस तरह के कानून को पास करवाने की कोशिश न करें और यदि उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की तो मुझे पूरा विश्वास है कि सदन इस तरह के कानून को कभी मंजूर नहीं करेगा।

श्रीमती उमा नेहरू (सीतापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, भाई रघुनाथ सिंह ने जिस बिल को यहां पर पेश किया है उसको मैं ने कई बार पढ़ा है। जब उन्होंने इस बिल को यहां पेश किया था उस समय खुद उन के पास इस बिल को सपोर्ट (समर्थन) करने के लिए कोई दलीलें न थीं और केवल एक दो बातें कह कर वे बैठ गए।

मेरे दूसरे भाईयों ने इस पर काफी रोशनी डाली है। मुझे श्री रघुनाथ सिंह जी से इतना अवश्य कहना है कि ऐसा मालूम होता है कि वह किसी दूसरी ही दुनिया में रह रहे हैं और हमारा जो सामाजिक ढांचा है, हमारी जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, उन से वह बिल्कुल बेखबर हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका पड़ोस उन को मिला हुआ है।

श्रीमती उमा नेहरू : यह तो ठीक है लेकिन चिराग़ तले अंधेरा होता है।

मैं यह कह रही थी कि वह हमारा जो समाज है उस से बेखबर हैं और क्या यहां हो रहा है, उस से वह बिल्कुल बेखबर हैं। जब ऐसी बात है तो मेरी समझ में नहीं आता है कि इस पार्लियामट में वह क्या काम कर सकते हैं।

हमारी समाज में जो बहुत सी त्रुटियां हैं, बहुत सी कमियां हैं, जिन को हमें दूर करना है। थोड़ा अर्सा हुआ डौरी बिल यहां पेश हुआ था। दहेज़ की जो प्रथा है, वह समाज की उन बुराइयों में से, उन कमियों में से एक है। जिसको हम आज तक मिटा नहीं पाये हैं। दहेज़ के बराबर कोई भी ज़लील चीज़, दुनिया में नहीं हो सकती है। लेकिन आज भी हमारी कांग्रेसी सरकार इसको मिटा नहीं सकी है। इस में कोई शक नहीं है कि डावरी (दहेज़) बिल को मैंही इस हाउस में लाई थी। मेरे इस बिल पर मंत्री महोदय ने तरह तरह के आश्वासन मुझे दिये तथा इस हाउस को दिए और कहा कि मैं इस को वापिस ले लूं। जो कायदा होता है उसी पर मैंने अमल किया और इस बिल को वापिस ले लिया।

आज समाज की यह हालत है कि हमारा जिन्दा रहना मुश्किल हो गया है। जिस घर में ज्यादा लड़कियां पैदा हो जाती हैं, वह घर तबाह हो जाता है। कई गरीब लोग इस तरह से तबाह हो चुके हैं। यह सब दहेज़ के कारण हुआ है। बिल में जो नक्शा भाई रघुनाथ सिंह

जी ने खींचा है मैं चाहती हूं उसके साथ साथ वह भारत के नक्शे को भी सामने रखते। आज स्त्रियां उठ नहीं पा रही हैं। आप ने जिक्र किया है विधान का। विधान में आपने स्त्रियों और पुरुषों को बराबर के अधिकार दिए हैं। उनको बराबर का स्थान दिया है, बराबर का हिस्सा दिया है। मैं मानती हूं कि कांस्टीट्यूशन में स्त्रियों के बारे में लिखा तो बहुत कुछ है लेकिन लिखने से ही काम नहीं चल सकता है, आपको देखना होगा कि प्रेक्टिकल लाइफ़ (व्यावहारिक जीवन) में क्या हो रहा है। मैं अपने भाई को बतलाना चाहती हूं कि अगर स्त्री चाहे कि वह अपनी अलग से नैशनेलिटी (राष्ट्रीयता) कायम रख ले तो विधान उसको इसकी इजाज़त नहीं देता है और वह कहता है जो तुम्हारे पति की नैशनैलिटी है वही तुम्हारी नैशनैलिटी है। यह भी कहा गया है कि स्त्री की जो इंडिविजुएलिटी (व्यक्तित्व) है वह अलग नहीं हो सकती है। यह तो भारतीय स्त्री की हालत है। जब उसकी ऐसी हालत है तो इस तरह के बिल को पेश करने की बात समझ में नहीं आती है। पता नहीं किस सूझ का यह नतीजा है, किस तरह से उनके दिल और दिमाग में यह बात आई कि इस बिल को उन्हों ने यहां पेश किया। उन को चाहिए था कि वह सामाजिक ढांचे को देखते और यह भी देखते कि स्त्री कितनी आगे बढ़ी है और अभी उसको आगे लाने के लिए कितने परिश्रम की आवश्यकता है।

यह ठीक ही है कि पश्चिमी ख्याल हम में आते गए हैं लेकिन आप देखें कि एन-लाइटंड से एनलाइटंड फैमिलीज़ (आगे बढ़े हुए नई री रोशनी के परिवार) भी जो हैं, उनकी हालत यह है कि अगर लड़की पैदा होती है तो खुशी तो होती है लेकिन कम ही। हर इन्सान यह चाहता है कि लड़का हो। यह हालत यहां भारत में ही नहीं है, दूसरी जगहों पर भी है, आप देखें की ईरान के शाह ने भी अपनी रानी को इसलिए अलग किया है कि उसके लड़का नहीं हुआ है। ऐसी हालत में इस बिल को लाना और यह कहना कि स्त्री अगर मर्द के साथ कोई गुनाह करती है तो उसको भी सज़ा होनी चाहिए, बेखबरी और अज्ञानता की बात है।

जहां तक मैट्रियार्कल सिस्टम (मातृसत्तात्मक प्रणाली) का ताल्लुक है जो कि दक्षिण के कुछ हिस्सों में है वह दूसरी बात है। वहां पर भी अब यह सिस्टम बदल रहा है। स्त्रियों के बारे में विचार करते हुए, भारत के नक्शे को आपको सामने रखना होगा, भारत की आइडियौलोजी (विचार धारा) को सामने रखना होगा, सामाजिक परिस्थितियों को आंखों से ओझल नहीं होने देना है।

भारतीय स्त्री पूजनीय समझी जाती थी। आज समझी जाती है या नहीं, मैं नहीं जानती। भारतीय स्त्री को हमें बहन और माता के रूप में देखना होगा। भारत को अगर किसी ने आज़ाद कराया है और आज दिन तक अगर किसी ने भारत को कायम रखा है, तो वह भारत की स्त्री ने रखा है। मैं यह इसलिए कहती हूं कि भारतीय स्त्री आज जितना भी फैशन क्यों न करे उसने अपनी साड़ी नहीं छोड़ी है भले ही मर्दों ने कोट पतलून और टाई लगानी शुरू कर दी हो। भारत आज़ाद हुआ है और उसकी आज़ादी कायम है। यह सब इस वजह से ही है कि स्त्रियां डिवोटिड (निष्टाशील) हैं, वे प्रेम करती हैं अपने देश से, वे उनका जो स्थान है, उसको समझती हैं। आज़ाद भारत की नींव आज भी पक्की है।

श्री रघुनाथ सिंह जी ने भी एक बिल पेश किया है। तरह-तरह के पुरुष आते हैं जो इस किस्म के.....

उपाध्यक्ष महोदय : रघुनाथ सिंह जी ने सोचा था कि मर्द उनकी सहायता करेंगे मगर किसी ने नहीं की और आपको अब भी शिकायत है ।

श्रीमती उमा नेहरू : वह मेरे पड़ोसी हैं, और उनकी सहायता मैं अवश्य करती। लेकिन इस समय मुझे उन्हें समझाना है । यह सही वक्त है जब मैं उन को समझा सकती हूं । मुझे अफसोस तो इस बात का है कि वकालत भी उन्होंने पास की है और सब कुछ किया है लेकिन फिर भी आज उनको मुझे फिर से पढ़ाना पड़ रहा है ।

आज हालत अच्छी नहीं है । मैं ज्यादा नहीं कहना चाहती । मैं उन से कहूंगी कि मेहरबानी करके समाज के प्रति वे अपना रुख करें, समाज को अगर वह समझते हैं नहीं तो समझने की कोशिश करे , समाज की अवस्था को देखें और समाज में जो स्थिति स्त्रियों की है न केवल भारत में बल्कि सारे संसार में, उसको पहचानें । मैं केवल इतना ही कह सकती हूं कि आज स्त्रियों की पुरुषों के मुकाबले में कुछ भी हैसियत नहीं है । जैसे अभी हमारे एक भाई ने कहा है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो यह कोई नहीं कहता कि यह अमुक माता का पुत्र है बल्कि पुरुष का ही नाम चलता है । पैट्रिआर्टिकल (पितृ सत्तात्म) सिस्टम में पुरुष का ही नाम चलता है स्त्री का कोई नाम नहीं लेता । ऐसी हालत में स्त्री का नाम लेना बेकार है और मैं चाहती हूं कि सारा हाउस एक राय से इस बिल को हरा दे और ना मंजूर कर दे ।

†**श्री तंगामणि :** (मदुरै) : श्री रघुनाथ सिंह इस विधयक द्वारा धारा ४९७ का लोप चाहते हैं ।

भारतीय दण्ड संहिता के रचनाकारों ने भी विवाह की पवित्रता स्वीकार की है । उन्हों न इसी दृष्टिकोण से विभिन्न धाराओं का क्रम निश्चित किया है ।

भारत में सदा से विवाह को एक पवित्रता दी जा रही है । कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बलात्कार के सम्बन्ध में लिखते हुए कई उदाहरण दिये हैं कि किसी स्त्री को किस किस ढंग से तंग किया जा सकता है । वहीं उन्होंने व्यभिचार के सम्बन्ध में भी कहा है कि विवाहिता स्त्री द्वारा व्यभिचार करने पर, और उसके पति द्वारा आपत्ति करने पर, स्त्री के नाक-कान काट दिये जायेंगे । अब तो ऐसा नहीं किया जा सकता ।

कैटिल्य ने अपहृत स्त्रियों के संबंध में भी कहा है कि यदि वे चाहें तो अपहरण से उनका उद्धार करने वाले पुरुषों के साथ रह सकती हैं। चोरों और कई विपत्तियों से छुटकारा पाने वाली स्त्रियों के सम्बन्ध में भी यही व्यवस्था है ।

इसलिये, मैं कहता हूं कि यदि धारा ४९७ के इस अन्तिम वाक्य —"ऐसे मामले में पत्नी दुरुत्साहिका के रूप में दण्डनीय नहीं होगी ।"—को निकाल देने से भी उस धारा की भावना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । इसे हटा देने से इस अध्याय विशेष की भावना पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता । अपराध के दुरुत्साह को सिद्ध भी तो करना पड़ेगा, और जब वह सिद्ध भी हो जाता है तो स्त्री को भी दुसाह के लिये दण्ड देने में कोई हानि नहीं है । यह धारा की भावना के विरुद्ध नहीं होगा ।

कई उच्च न्यायालयों ने भी इस धारा के सम्बन्ध में सन्देह प्रकट किये हैं । वास्तव में दुरुत्साहिका सिद्ध हो जाने पर भी स्त्री को दण्ड क्यों न दिया जाय ?

---

†मूल अंग्रेजी में

यह भारतीय विचार धारा के अनुकूल ही है । मनु ने भी स्त्रियों के लिये दण्ड की व्यवस्था की थी। पुराने चीन और फ्रांस की विधियों में भी स्त्री और पुरुष दोनों के लिये समान दण्ड की ही व्यवस्था है ।

मैं विधेयक के प्रस्तावक से पूरी तरह सहमत नहीं हूं । इस में कुछ कठिनाइयां भी हैं । अब समय आ गया है कि विवाहिता स्त्रियों को अधिक साहसी बनना चाहिये। जहां तक स्त्री की पवित्रता और सतीत्व का प्रश्न है, हमारे शास्त्रों ने उसका दायित्व पुरुषों पर रखा है कि उन्हें विवाहिता स्त्रियों का सम्मान करना चाहिये। दक्षिण भारत के सुधारकों न सदा ही यह कहा है कि स्त्रियों को पुरुषों का डट कर सामना करना चाहिये। हमें इस पर भी विचार करना चाहिये ।

मेरा यह सुझाव है कि इस अन्तिम वाक्य को तो धारा से निकाल दिया जाये, और न्यायालय हर मामले के गुण-दोषों पर स्वतंत्र रूप से विचार और निर्णय करे । व्यभिचार और बलात्कार में बहुत थोड़ा ही अन्तर है। इसलिये, इस वाक्य को निकाल देने से भी धारा और उस के पूरे अध्याय की भावना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब समय आ गया है कि स्त्रियों को भी यह महसूस कराया जाये कि परिवार ही नहीं देश के भविष्य के संबंध में भी वे पुरुषों की सहभागिनी हैं।

†**श्री आचार** (मंगलौर) : मेरे विचार से यह विधेयक अनावश्यक और हानिकारक है । प्रस्तावक महोदय का कहना है कि धारा ४९७ पक्षपातपूर्ण है, और व्यभिचार के लिए स्त्री के लिए सज़ा की व्यवस्था नहीं की गयी है । यह उपबन्ध संविधान के अनुच्छेद १४(१) और १५ के विरुद्ध है । यदि उनका उद्देश्य सजा के मामले में स्त्री और पुरुष का भेद भाव मिटाना था तो व्यभिचार के लिए दोनों के लिए सजा की व्यवस्था कर दी जाना चाहिए। उच्चतम और उच्च न्यायालयों का भी कहना है कि इस में कोई भेद भाव का बात नहीं है। इस दृष्टि से यह संशोधन नितान्त अनावश्यक है ।

यदि उन की इच्छा भेद भाव दूर करने की ही थी तो उन्हें एक संशोधन द्वारा पुरुष के साथ साथ स्त्री के लिये भी दण्ड की व्यवस्था करनी चाहिये थी। वह एक दूसरी बात होती । परन्तु इस संशोधन द्वारा सारी धारा बेकार हो जायेगी और व्यभिचार अपराध ही नहीं रहेगा । मेरा निवेदन है कि हमारा समाज इस प्रकार के विधान के पक्ष में नहीं हो सकता। इसलिए मेरा कहना है कि यह संशोधन हानिकारक है, और इसे अस्वीकृत किया जाना चाहिए ।

†**श्री जगन्नाथ राव** (कोरापेट) : मैं श्री रघुनाथ सिंह के विधेयक का विरोध करता हूं । उनका कहना है कि धारा ४९७ संविधान के विरुद्ध है इसलिए इसे समाप्त कर देना चाहिए । परन्तु ऐसा करने से व्यभिचार के लिए खुली छूट मिल जाएगी । प्रस्तावक महोदय समझते हैं कि स्त्री के साथ भेद भाव का व्यवहार किया गया है । परन्तु यह बात तो सर्वमान्य है कि इस संबंध में पहले पहल उकसाने का अपराध अधिकतर मामलों में पुरुष ही करते हैं । यदि स्त्री ही पहले उकसाये तो भी विधि निर्माताओं ने उसे रियायत दे रखी है । अनुच्छेद १५ भी यह रियायत देता है, क्योंकि स्त्री समाज का निर्बल अंग है । १९५४ में उच्चतम न्यायालय भी इस सम्बन्ध में अपना निर्णय दे चुका है कि

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जगन्नाथ राव]

धारा ४९७ संविधान के अनुच्छेद १४ और १५ के विरुद्ध नहीं है। मेरे विचार में श्री रघुनाथ सिंह को विधेयक वापस ले लेना चाहिए।

†**श्री ईश्वर अय्यर** (त्रिवेन्द्रम): इस विधेयक का आधार यह है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा ४९७ पक्षपातपूर्ण है। प्रस्तावक महोदय का कहना है यह धारा संविधान के अनुच्छेद १४ और १५ के विरुद्ध है। हो सकता है यह उनका मत हो परन्तु उच्चतम न्यायालय इसके विरुद्ध अपना निर्णय दे चुका है। माननीय सदस्य को कहना यह चाहिए था कि धारा ४९७ का संशोधन कर दिया जाये ताकि जो सजा पुरुष को दी जाती है वही स्त्री को भी दी जा सके, अथवा दोनों को व्यभिचार की समान छूट हो। इस मामले में स्पष्ट है कि स्त्रियों को समानता नहीं दी जा सकती। स्त्रियों की इस सम्बन्ध में विशेष स्थिति है जिस से इन्कार नहीं किया जा सकता। नौ सेना अधिनियम के अन्तर्गत भी यही है कि स्त्रियों को वहां नियुक्त नहीं किया जा सकता। प्रत्येक क्षेत्र में पुरुष और स्त्री की समानता की बात करना बुद्धिमत्ता नहीं। यह संशोधन व्यर्थ और खतरनाक है, हमारी संहिता में सजा के बारे में स्त्री को जो रियायत है, वह कायम रहनी चाहिये।

पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी (सागर): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल (विधेयक) सदन के सामने पेश किया गया है मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मुझे ऐसा लगता है कि इस बिल के द्वारा डिस्क्रिमिनेशन (भेद भाव) की भावना को हटाने की बात तो कही गयी है, लेकिन अगर हम इसको पास कर देंगे तो डिस्क्रिमिनेशन तो अलग रहा यह बिल व्यभिचार की वृद्धि में सहायक हो जायेगा।

यही ठीक है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमें नारी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ा है और यह जरूरी भी है मैं तो यह महसूस करता हूं। नारी निश्चित रूप से कमजोर है। हमारे देश में वह अभी सामाजिक जीवन में पूरे तौर से नहीं आ पायी है। इसलिए हमें इधर उधर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नारी को विशेष स्थान देना पड़ रहा है। अगर हमारे मित्र वास्तव में डिस्क्रिमिनेशन को ही हटाना चाहते तो वह कहते कि लेडी अध्यापिका को पुरुष अध्यापक से अधिक वेतन दिया जाता है, और लेडी इंस्पेक्टरेस को जो पुरुष इंस्पेक्टर से अधिक वेतन दिया जाता है वह समान किया जाये। वहां पर तो डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन मुझे लगता है कि उनका इसे दूर करने का इतना अधिक विचार नहीं है।

यह बिल जिस रूप में आया है उसे मैं बहुत खतरनाक समझता हूं। व्यभिचार को रोकने के लिए एक पक्ष को ही दंडित किया जाता है यह बात सच है। लेकिन अगर हम व्यभिचार को रोकना चाहते हैं तो शायद यह बात आवश्यक भी है। अगर दोनों पक्षों को दंडित किया जाये तो दोनों को खतरा रहेगा और हमको व्यभिचार के मुकदमें में असली गवाही नहीं मिल सकेगी। दूसरे गवाह तो मिल जायेंगे लेकिन असली गवाह मिलना कठिन होगा। अगर एक पक्ष को दंडित न किया जाये तो वह हमें गवाह के रूप में मदद दे सकता है। यदि हम इस बिल को मंजूर करते हैं तो दोनों पक्षों को दंडित करना होगा। और हमको व्यभिचार को रोकने में मदद नहीं मलेगी। मैं महसूस करता हूं कि इसको पास करने से व्यभिचार में वृद्धि ही हो सकती है। इसलिए मेरी राय में यह बिल गलत है। मैं समझता हूं कि इस से जो हम ने कानून बनाये हैं उनकी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी। इसलिए इस बिल को मंजूर नहीं करना चाहिए।

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : इस विधेयक के प्रस्तावक महोदय स्थिति को ठीक करने के विचार से कई प्रकार के विधेयक प्रस्तुत करते रहे हैं। परन्तु मेरा निवेदन है कि कि इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व इस सम्बन्ध में काफी अध्ययन कर लेने की आवश्यकता है। दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों ने विधेयक के उद्देश्य और विधेयक के उपबन्धों में परस्पर विरोध की बात कही है। यदि हम उद्देश्यों और कारणों के विवरण को पढ़ें तो पता चलता है कि प्रस्तावक यह चाहते हैं कि यदि कोई स्त्री-पुरुष ऐसा कोई अपराध करें तो स्त्री के साथ किसी प्रकार का भेद भाव नहीं होना चाहिए। दोनों को एक जैसी सजा मिलनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि वह इस मामले में यौन समानता के सिद्धान्त को लागू करना चाहते हैं। उद्देश्यों और कारणों के विवरण में यही बात कही गयी है।

उन्होंने धारा ४९७ बिलकुल ही रद्द करने की बात कही है। मेरे माननीय मित्र श्री तंगामणि ने ठीक ही कहा है कि यदि प्रस्तावक महोदय की सचमुच यही इच्छा थी जो कि उन्होंने उद्देश्य और कारणों के विवरण में प्रकट की है, तो धारा ४९७ के अन्तिम वाक्य को निकाल देने मात्र से काम बन सकता था। परन्तु प्रस्तावक महोदय ने तो सम्पूर्ण धारा ४९७ को रद्द करने की बात कही है। केवल दो प्रश्न हैं। एक यह कि क्या व्यभिचार को अपराध माना ही न जाये, और दूसरा व्यभिचार अथवा 'बेवफाई' स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान अपराध समझा जाये। दोनों बातों को परस्पर उलझा दिया गया है। उद्देश्य और कारणों के विवरण में एक का उल्लेख है तो, खंड में दूसरे का।

जहां तक स्त्री और पुरुष की कथित समानता का प्रश्न है अन्य माननीय सदस्यों और विशेषकर श्रीमती उमा नेहरू ने बड़े ज़ोर दार शब्दों में कहा है कि आज समाज में स्त्रियों की जो अवस्था है उस में इस प्रकार का लक्ष्य प्राप्त करना उचित नहीं। हम कई बार केवल उन स्त्रियों का ही ध्यान करते हैं। जो कि नगरों में रहती हैं। परन्तु उन के अतिरिक्त देश में करोड़ों स्त्रियां ऐसी हैं जिनकी स्थिति ऐसी है कि उन के लिए संरक्षण बहुत आवश्यक है। यही कारण है कि सौ वर्ष पूर्व जब इस समस्या पर विचार हुआ था तो यही जोर दिया गया था कि स्त्रियों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संरक्षण होना बड़ा आवश्यक है।

इस के अतिरिक्त 'व्यभिचार' के प्रश्न पर क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि इसे बिल्कुल अपराध माना ही न जाये। वह कुछ भी चाहते हों परन्तु जहां तक दण्ड विधि का सम्बन्ध है मैं स्थिति का उल्लेख करना चाहता हूं। यह ठीक कहा गया है कि कई देशों में 'व्यभिचार' के अपराध को नहीं माना जाता वहां इस अपराध पर केवल एक असैनिक प्रकार की कार्यवाही की जा सकती है। अमरीका और ब्रिटेन में व्यभिचार को कोई अपराध नहीं माना जाता। व्यभिचार के आधार पर कोई भी असन्तुष्ट पक्ष तलाक़ का दावा कर सकता है। हमारे वकील मित्रों को कम से कम इतना तो पता है ही कि वहां ऐसे मामलों में प्रेमी को (व्यभिचारी को) एक पक्ष बनाया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

१२० वर्ष पूर्व भारत के लिये दण्ड विधि के निर्माण के प्रश्न पर विचार करते समय प्रथम विधि आयुक्तों का विचार था कि भारत और इंग्लैंड की स्थिति एक जैसी ही है इसलिये भारत में भी व्यभिचार को अपराध न माना जाय। इस बात पर सारे देश में हलचल मच गई, आप जानते हैं कि हमारे देश में आदि काल से ही विवाहित जीवन की पवित्रता का बहुत महत्व है। इस पवित्रता का पालन पति और पत्नी दोनों को करना होता है। पत्नी को पतिव्रत धर्म का और पति को एक पत्नीव्रत धर्म का पालन करना होता है। पुरुष को अपनी पत्नी के प्रति वफादार होना ही पड़ता है। यही कारण है कि युगों से हमारे देश में राम की पूजा होती है। हमारे प्राचीन समाज में दोनों पक्षों का एक दूसरे के प्रति वफादार होना आवश्यक होता था। परन्तु बाद में स्त्रियों की स्थिति खराब हो जाने के कारण यह आवश्यक हो गया कि व्यभिचार को भारतीय विधि के अन्तर्गत दण्डित अपराध माना जाना चाहिये। इसलिये द्वितीय विधि आयोग ने यह स्वीकार किया कि कुछ विशेष स्थितियों में ही किया गया 'व्यभिचार' अपराध माना जायेगा, अर्थात् जब किसी ऐसी विवाहित स्त्री के साथ व्यभिचार किया जाये, जिसका पति जीवित हो। परन्तु यदि ऐसा व्यभिचार किसी विधवा, कुमारी अथवा अविवाहित स्त्री के साथ किया जायेगा तो उसे अपराध नहीं माना जायेगा। भारत की जनता की भावनाओं के अनुरूप व्यभिचार को अपराध माना गया था और उसके अनुसार धारा ४९७ का निर्माण किया गया था। इस धारा के अधीन पति को ही व्यभिचार का अपराधी ठहराया जाता है। इसलिये जनमत के अनुसार यह आवश्यक है, और आवश्यक था कि 'व्यभिचार' को अपराध समझा जाये और दण्ड न्यायालय द्वारा व्यभिचार के मामलों में सजा दी जाये। अभी ऐसा समय नहीं आया है कि 'व्यभिचार' को बिलकुल ही अपराध न माना जाये।

हम इस समस्या के नैतिक अंग को बहुत महत्व देते हैं, इसीलिये तो इसे भारतीय दंड संहिता में अपराध माना गया है। मुझे विश्वास है कि प्रस्तावक महोदय यह नहीं चाहते कि व्यभिचार को अपराध माना ही न जाये, यद्यपि उनके विधेयक का लक्ष्य यही प्रतीत होता है।

स्त्री को भी अपराधी मानने के प्रश्न के सम्बन्ध में श्रीमती उमा नेहरू तथा अन्य माननीय सदस्यों ने सन्तोषजनक व सुन्दर प्रत्युत्तर दिये हैं। इसके लिये अभी समय नहीं आया है। कई अवसरों पर देखने को मिला है कि यद्यपि उकसाने में स्त्री का कोई हाथ नहीं होता, परन्तु इस प्रकार के अपराधों में प्रायः वे भी फंस जाती हैं। बलात्कार के अतिरिक्त भी ऐसे मामले होते हैं, जहां स्त्री को अपनी इच्छा के विरुद्ध आत्मसमर्पण करना पड़ता है। स्त्री अभी उसी अवस्था में है, कि उसे विधि द्वारा संरक्षण दिये जाने की आवश्यकता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि धारा ४९७ को रहना चाहिये, साथ ही प्रस्तावक महोदय ने यह भी नहीं बताया कि भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत मान्य इस अपराध को क्यों रद्द कर दिया जाना चाहिये।

इस धारा में जान बूझ कर निश्चित रूप में स्त्रियों को संरक्षण दिया गया है। उन्हें ऐसे व्यभिचार के मामलों में अपराधी मान कर सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि भारत में स्त्रियों की अवस्था ऐसी नहीं है। मेरे विचार में प्रस्तावक महोदय का मामला बहुत ही कमजोर है और तर्क से सिद्ध नहीं होता।

प्रस्तावक ने संविधान के कुछ अनुच्छेदों का उल्लेख किया है और कुछ माननीय सदस्यों ने उच्चतम न्यायालय विनिर्णय का भी उल्लेख किया है। यह युसफ अब्दुल अजीज का मामला था। इस सम्बन्ध में पहले बम्बई के उच्चन्यायालय और बाद में उच्चतम न्यायालय का

विनिर्णय प्राप्त हुआ । उच्चतम न्यायालय में सम्पूर्ण समस्या का परीक्षण किया गया । न्यायालय ने कहा कि स्त्रियों को जो कुछ अधिकार दिये गये हैं वे उचित ही हैं । स्त्रियों के मामले में अपवाद और रक्षण की व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिये । उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का मत था कि इस प्रकार का संरक्षण बिलकुल उचित और संवैधानिक है । औचित्य अथवा गुण अवगुण के आधार पर भी मेरे माननीय मित्र ने इसके पक्ष में कहा है, परन्तु फिर भी संवैधानिक और औचित्य का प्रश्न तो तय हो चुका है । धारा ४९७ पर उच्चतम न्यायालय ने विचार किया और अपना निर्णय दिया कि यह धारा संविधान के उपबन्धों के विरुद्ध नहीं है । ऐसी स्थिति में जब कि सभा इस विधेयक के पक्ष में नहीं है, और संवैधानिक तथा औचित्य के आधार पर भी यह विधेयक ठीक नहीं है, तो माननीय सदस्य को विधेयक पर मतदान के लिये जोर नहीं देना चाहिये ।

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । क्या माननीय प्रस्तावक को पता है कि एक बार व्यभिचार के अपराध में एक स्त्री को महात्मा ईसा ने पत्थर मार कर मार डालने की सजा दी थी और कहा था कि पत्थर वही व्यक्ति मारेगा जिसने कभी कोई पाप न किया हो तो कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आया था और उस स्त्री को क्षमा कर दिया गया था ।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने बहुत ही गम्भीरतापूर्ण भाषण दिये हैं, जिनके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं । इंडियन पीनल कोड (भारतीय दंड संहिता) आज से करीब १०० वर्ष पहले फ्रेम (निर्माण) हुआ था । उस वक्त भारतवर्ष में स्त्रियां इतनी सती होती थीं, स्त्रियों के सतीत्व की भावना इतनी प्रबल होती थी कि लोग यह ख्याल भी नहीं करते थे कि इस प्रकार के आफ़ेन्सिज़ (अपराध) हिन्दुस्तान में होंगे । आज सिनेमा का प्रचार बहुत ज्यादा हो गया है । शहरों में स्त्रियां खुले आम घूमती हैं । अभी तीन रोज़ की बात है कि हम ट्रेन से आ रहे थे । हम तो यू० पी० के रहने वाले हैं । हमें यह देख कर ताज्जुब हुआ कि स्त्रियां शराब पी रही थीं—और शराब भी ट्रेन में । हमने अपनी आंखें मूंद ली । हमने कहा कि आप हिन्दू स्त्रियां हैं आप शराब पीती हैं, आपको इतना ध्यान नहीं है । उन्होंने कहा कि यह तो आज-कल का फ़ैशन है, यह कोई खास बात नहीं है । मैं नहीं कह सकता कि कितनी स्त्रियां शराब पीती हैं । जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है, मैं इसको इसलिये लाया था कि हिन्दुस्तान में व्यभिचार की वृद्धि न हो, उसको रोका जाय और वह तभी रुक सकता है जब कि पुरुष और स्त्री दोनों को दण्ड दिया जाय । जहां तक एडल्ट्री (व्यभिचार) का ताल्लुक है, मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि केवल पुरुषों के कारण ही एडल्ट्री होती है । अगर कोई स्त्री सती है, तो एडल्ट्री असम्भव है, वह नहीं हो सकती है, वह मर जायेगी, जान दे देगी, मगर कभी अनुमति नहीं देगी । इसलिये जो भी एडल्ट्री के केस होते हैं, उनमें किसी न किसी प्रकार से कनसेन्ट होती है और जब कनसेन्ट होती है, तो दोनों को सजा होनी चाहिये ।

हमारे मित्रों ने इस सम्बन्ध में ओल्ड लाज़ का ज़िक्र किया है । मैं यह कहना चाहता हूं कि ओल्ड टैस्टामेंट में एडल्ट्री के सम्बन्ध में एक प्रकरण आता है। इसमें मौसिस ने यह कहा था कि अगर कोई एडल्ट्री का अपराध करे, तो स्त्री पुरुष दोनों को संगसार दिया जाये अर्थात् पत्थर फेंक फेंक कर उनको मार डालना चाहिये । मोहैमडन ला जब मंजूर हुआ तो उसमें भी संगसार की प्रथा थी । उसमें भी अगर स्त्री पुरुष एडल्ट्री करते पकड़े जाते थे तो स्त्री को एक बोरे में या यह दूसरी किसी चीज़ में बन्द कर दिया जाता था ताकि उसका मुंह कोई देख न सके । जितने भी लोग आते थे उस पर सब पत्थर फेंकते थे । मोहेमडन ला और बाइबिल दोनों ही इस बात को सपोर्ट

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रघुनाथ सिंह]

करते हैं और बतलाते हैं कि इस प्रकार की प्रथा थी। हिन्दु ला में इस प्रकार की प्रथा थी कि स्त्री पुरुष दोनों को सज़ा दी जाये।

जहां तक इस बिल के सिद्धान्तों का ताल्लुक है, जैसा मैंने कहा है यह बम्बई हाई कोर्ट के फैसले पर आधारित है। एक मैम्बर फर्स्ट पार्लियामेंट के सदस्य थे और उन्होंने बम्बई हाई कोर्ट के फैसले के बाद ही इस बिल को यहां पेश किया था। अब चूंकि वह सदस्य नहीं रहे इसलिये उन्होंने एक पत्र मुझे लिखा है और कहा है कि मैं इसको फिर से यहां पेश करूं। लिहाज़ा मैंने इसको यहां उपस्थित किया है।

जहां तक इस बिल का ताल्लुक है मैं फिर कहूंगा कि दोनों को सज़ा होनी चाहिये। मेरा बिल लाने का एक मुख्य उद्देश्य यह था कि आज भारतवर्ष में जब कि सती की प्रथा कम होती जा रही है और स्त्रियों में जो इमारेलिटी आती जा रही है, उसको रोका जाये, उस पर बन्धन लगाया जाये। हमारे जितने भी बहन भाइयों ने इस डिसकशन (चर्चा) में भाग लिया है, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं और जैसा कि मिनिस्टर साहब ने कहा है मैं इस बिल को वापस लेता हूं। इसके साथ ही साथ मैं अपनी बहनों से प्रार्थना करता हूं कि वे भी जहां तक मारेलिटी को ऊंचा करने का ताल्लुक है, उनको एक आन्दोलन करना चाहिये क्योंकि आजकल व्यभिचार बहुत बढ़ रहा है। इसका कहीं न कहीं पर तो अन्त होना ही चाहिये।

यहां पर जो हमारे पुरुष दोस्त बैठे हुये हैं उनमें यह हिम्मत नहीं हुई है कि वे अपनी धर्म-पत्नियों के खिलाफ बोल सकें। बहुत से लोगों ने सोचा है कि . . . .

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर) : माननीय सदस्य यह बात वैसे ही कह रहे हैं कि भारत में व्यभिचार तथा बुराई बढ़ रही है। मैं इस बात पर आपत्ति करता हूं। क्या वह इसे सिद्ध कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को पहले बोलने का ज्यादा वक्त नहीं मिला और अगर मिल जाता तो शायद यह बात भी सामने आ जाती।

श्री रघुनाथ सिंह : आप यह बात मानें कि सिनेमा के कारण और थियेटर के कारण जो बुरा प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है उसका यह नतीजा हो रहा है . . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : उस झगड़े को आप जाने दें और बतायें कि क्या आप इस बिल को वापिस लेते हैं ?

श्री रघुनाथ सिंह : मैं इस बिल को विदड्रा करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य को विधेयक वापस लेने की अनुमति है ?

विधेयक सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक को लेगी। इसके लिये दो घंटे नियत किये गये हैं।

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि दंड प्रक्रिया संहिता १८९८ में आगे संशोधन करने वाले बिल पर विचार किया जाये।"

---

†मूल अंग्रेजी में

उपाध्यक्ष महोदय, आज मुझे यह गौरव प्राप्त हुआ है कि मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष अपने इस विधेयक को प्रस्तुत करूं। इस दफा १४४ को हटाने के बारे में जो बिल मैंने पेश किया है उसकी ओर आज सारे देश का ध्यान है और इस बिल को पेश करने की मेरी मंशा यह है कि भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ को सदा सर्वदा के लिये इस कानूनी पुस्तक से निकाल दिया जाये, इसका इस पुस्तक में से लोप हो जाये।

इसके पहले कि मैं इस धारा के कानूनी पहलू पर अपने विचार प्रकट करूं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दुनिया में जितने भी कानून बनते हैं, जितने भी विधान बनते हैं, उन सबका एक मुख्य उद्देश्य समाज में शान्ति और व्यवस्था कायम रखने और समाज के जो ऐसे तत्व हैं जिन से शान्ति भंग होने का अन्देशा होता है, उनको काबू में रखने के लिये बनते हैं। इन सबका उद्देश्य यह होता है कि ऐसे तत्वों को कानून के अन्तर्गत ला करके उनको सज़ा दिलाई जाये। जितने भी कानून बनते हैं वे इन बुरी प्रवृत्तियों को रोकने के लिये बनते हैं न कि भले आदमियों के खिलाफ उनका उपयोग करने की मंशा होती है। लेकिन आज जो सी० आर० पी० सी० की धारा १४४ है, इसके अगर हम अमली जामे को देखें तो हमें पता चलेगा कि न केवल आज से बल्कि तब से जब से कि देश परतंत्र था इस धारा का विरोध होता आ रहा है। इसके अन्तर्गत जिलाधीशों को, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को तथा एस० डी० ओस० को आपने यह अधिकार दे रखा है कि वे लिखने पर, बैठने पर, उठने पर, सभायें करने पर, चलने पर, फिरने पर, प्रतिबन्ध लगा सकते हैं। मेरी दृष्टि में यह एक ऐसा कानून है जिसका प्रयोग उन व्यक्तियों के विरुद्ध होता रहा है जो कि समाज के हमेशा निर्माता रहे हैं।

आज इस सम्मानित सदन में हमारे बहुत से मित्र बैठे हुये हैं जो तब से जब से देश परतंत्र था, इस किस्म के प्रतिबन्धों को तोड़ते रहे हैं और हमारा जो आज शासक दल है, वह अंग्रेज़ों को बुरा भला कहता रहा है। इस विरोध में जनता हमेशा उनके साथ रही, उसने उनका सम्मान किया, उनकी इज्जत की। हर देश में जो कानून बनते हैं वे खराब आदमियों के लिये बनते हैं, बदमाशों और गुंडों के लिये बनते हैं, चोरों और डाकुओं के लिये बनते हैं और इससे किसी का विरोध भी नहीं हो सकता है। लेकिन यह जो दफा १४४ है इसका अगर आप विश्लेषण करें तो आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि इसके अधीन सदैव भले आदमियों को पकड़ा जाता है तथा उन लोगों को सज़ायें दी जाती हैं और दी जाती रही हैं। जब हम परतंत्र थे तब तो इस धारा का कुछ औचित्य हो सकता था। उस समय दूसरे बाहर वाले हम पर हकूमत करते थे। उस समय उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को यह अधिकार दे रखा था कि वे मनमाने ढंग से इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आज जब हम आज़ाद हैं, जब हमारा अपना राज है, हमारे देश में हमारी अपनी सरकार है, हम समाजवादी समाज की रचना करना चाहते हैं, हम फ्रीडम आफ स्पीच में विश्वास करते थे, हम लोगों पर किसी किस्म की रोक नहीं लगाना चाहते, तो इस धारा की क्या आवश्यकता हैं। आज हमें आजाद हुये दस वर्ष का लम्बा समय हो चुका है लेकिन यह धारा आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है और इसको कानूनी पुस्तक में वही स्थान मिला हुआ है जो पहले मिला हुआ था। यदि यह धारा केवल किताब तक ही सीमित रहती और इसका कोई प्रयोग न किया जाता, तब भी कोई बात नहीं थी और संभव है कि मैं इस सदन के सम्मुख इसको हटाने का अनुरोध करने के लिये न आता। लेकिन आज मैं देखता हूं और सारा देश इस बात को देख रहा है और जितने भी माननीय सदस्य यहां बैठे हुये हैं, वे देख रहे हैं कि बहुत ही व्यापक रूप से इसका प्रयोग किया गया है और किया जा रहा है।

[श्री जगदीश अवस्थी]

अगर आप कानूनी दृष्टि से इसको देखें तो आपको पता चलेगा कि यह धारा बहुत ही छोटी है और इसके अन्तर्गत जो दंड दिया जाता है वह बहुत थोड़ा होता है। लेकिन जहां तक इसके प्रयोग का ताल्लुक है पिछले दस वर्षों में शायद ही कोई ऐसा दिन बचा हो जिस दिन कि किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कहीं न कहीं इस धारा के अन्तर्गत दफा १४४ न लगाई हो। इसके अन्तर्गत जलूस निकालने पर, शान्तिप्रिय जलसा करने पर, डिमांस्ट्रेशन (प्रदर्शन) करने पर, बैठने उठने पर तथा विभिन्न प्रकार की कार्यवाहियों पर प्रतिबन्ध लगायें जाते रहे हैं। अगर सी० आर० पी० सी० की किसी धारा का सबसे अधिक प्रयोग किया गया है तो वह यही धारा है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इस धारा से हमारे देश के अन्दर अच्छा वातावरण तैयार नहीं हो रहा है और इसका बहुत ज्यादा कुप्रभाव पड़ रहा है। इसका सर्वत्र विरोध भी होता है। देखने को यह एक छोटी सी धारा है लेकिन मैं कहूंगा कि इसका प्रयोग फौजी कानून की तरह होता है और यदि मैं यह कहूं कि मार्शल ला को तरह से होता है तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। यह धारा रणचंडी के समान है और इसके अनेकों मुख हैं जिनके कि द्वारा आज तक कितने ही व्यक्तियों की नागरिक स्वतंत्रता का हनन हुआ है, कितने ही लोग बलिदान हो गये और कितने ही घर इस धारा के कारण बर्बाद हो गये और कितने ही शान्तिप्रिय नागरिक सदा के लिये हमसे विदा हो गये। मुझे आज वह दिन याद आता है जब हमारे देश में जलियांवाला कांड हुआ और जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने इस धारा का आश्रय ले कर हज़ारों निहत्थे नौजवानों को अपने दमन का शिकार बनाया और जिसके कि परिणामस्वरूप हज़ारों व्यक्तियों की जान चली गई। पंजाब के शेर लाला लाजपतराय ने इसका विरोध किया और हमेशा इस धारा का विरोध होता आया है। आज जब यह देश स्वतंत्र हो गया है तो हम यह आशा करते थे कि जिन शहीदों के बलिदानों पर यह देश आज़ाद हुआ, हम यह उम्मीद लगाये बैठे थे कि देश आज़ाद होने पर हम इस धारा को तोड़ेंगे और इस धारा को निकाल कर हम फेंक देंगे लेकिन आज हमें ऐसा मालूम होता है कि मानो उन शहीदों का बलिदान व्यर्थ गया। आज इस विधेयक को मैं एक गैर-सरकारी प्रस्ताव के रूप में सदन में पेश कर रहा हूं जब कि होना यह चाहिये था कि वह शासन जिसने जनतंत्र की कसम खाई थी, और देश में समाजवादी समाज की रचना की कसम खाई थी, उसको इस धारा को फौरन अपने कानून की किताब से हटा देना चाहिये था लेकिन उसने इसको नहीं हटाया है।

इस धारा पर अगर आप क़ानूनी दृष्टि से विचार करके देखें तो आपको स्पष्ट नज़र आयेगा कि इस धारा के अन्तर्गत जिलाधीशों को बड़े व्यापक अधिकार इस सरकार ने दे रक्खे हैं कि जब भी वे उचित समझें और अगर दो कम्युनिटीज़ (समुदायों) में, दो वर्गों में या किन्हीं दो व्यक्तियों में कोई झगड़ा होने या शान्ति भंग होने की आशंका हो तब इस धारा के अन्तर्गत वे उन पर रोप लगा सकते हैं और उनको धारा १४४ के अन्दर बांध सकते हैं। आज हमारा देश हालांकि स्वतन्त्र हो गया है लेकिन हम यह देखते हैं कि हमारे शासकदल ने नौकरशाही को बड़ा शक्तिशाली बना दिया है और एक जिले में ज़िलाधीश को सब से अधिक शक्तिशाली केन्द्र बना दिया है। राज्य सरकारों ने जिलाधीशों को बहुत अधिक अधिकार और शक्ति दे रखी है और वे जिलों में बैठ कर उनका मनमाने ढंग से प्रयोग करते हैं। इस कानून के अन्तर्गत जो हमने अधिकार दे रक्खे हैं उनका बड़ा ही भीषण दुरुपयोग हो रहा है। मैं एक नहीं वरन् सैंकड़ों दृष्टांत इस किस्म के दे सकता हूं जिनमें हालांकि जनता में शान्ति और व्यवस्था कायम थी और किसी किस्म की गड़बड़ी की आशंका नहीं थी लेकिन इस धारा के अन्तर्गत उन्होंने आदेश निकाल दिये और कभी कभी तो उनको पढ़ कर हंसी आती है। मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता

कि आज के प्रजातंत्री युग में इस देश की जो नौकरशाही है वह उसके अनुकूल अपने को अभी तक ढाल नहीं सकी है और आज भी मनमाने ढंग से आचरण करती है। इस धारा के अन्तर्गत हमने ज़िलाधीशों को जो अधिकार दे रक्खा है उसका वह उसी प्रकार दुरुपयोग कर रहे हैं जैसा कि एक बन्दर को अगर आभूषण दे दिया जाये तो वह उसका सदुपयोग न करके दुरुपयोग ही करेगा।

अगर आप संविधान की दृष्टि से देखें तो भारतीय संविधान की धारा १९ के अन्तर्गत हमने यह घोषणा कर रक्खी है कि हर एक व्यक्ति को इस देश में लिखने, पढ़ने, चलने-फिरने और बोलने की स्वतंत्रता है लेकिन उसके बाद ही अर्थात् सन् १९५० में यह संविधान लागू हुआ और सन् १९५१ में और फिर उसके बाद सन् १९५४ में इसमें संशोधन किये गये और कुछ ऐसी चीज़ें इसमें जोड़ दी गयी हैं जिनसे कि साफ़ मालूम होता है कि हमने धारा १४४ को क़ायम रखने के लिये इस भारतीय संविधान में जो कि बहुत ही सुन्दर संविधान था उसको संशोधन करके कुछ कुरूप सा बना दिया है और उसका संशोधन करके हमने यह चीज़ साबित नहीं की कि विधि से विधान हमेशा ऊंचा हुआ करता है। हमने इस डर से कि कहीं हाईकोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट आदि इसको चैलेंज न करें हमने अपने संविधान में पहले से ही वंदिश कर दी और उसमें एक संशोधन कर दिया। मैं कोई वकील नहीं हूं लेकिन हमारे संविधान की धारा १९ की जो मूल भावना है उसका जो मूल तत्व है और जो उसकी आत्मा है वह स्पष्ट रूप से कहती है कि यह धारा १४४ जो हमारी कानूनी पुस्तक में है यह बिलकुल गैर मुनासिब है और इसको तुरन्त हटा देना चाहिये।

मैं समझता हूं कि इससे हर कोई परिचित होगा कि इस धारा के अन्तर्गत ज़िलाधीशों द्वारा जो आदेश निकाले जाते हैं वे किस प्रकार से धारा १९ की आत्मा का हनन करते हैं और जब कुछ लोग एक्ज़ीक्यूटिव द्वारा निकाले गये आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालयों और सेशन कोर्ट्स में अपील ले कर जाते हैं और कोर्ट्स ने उनके सम्बन्ध में जो अपने जजमेंट्स दिये हैं उनको अगर आप देखें तो आप पायगे कि उनमें कई स्थानों पर बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों के आदेशों की आलोचना की गई है।

बम्बई उच्च न्यायालय के सन् १९३१ के जजमेंट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के सन् १९३९ के जजमेंट और मद्रास हाई कोर्ट के १९५४ के जजमेंट को यदि आप पढ़े तो आपको मालूम हो जायेगा कि मैं ठीक कह रहा हूं कि नहीं। मैं यह कोई अपनी ओर से बात नहीं कहता हूं बल्कि जो हमारे संविधान और कानून के रक्षक हैं, उन न्यायाधीशों की बात को तो हम ग़लत नहीं कह सकते, उन्होंने इस सम्बन्ध में समय समय पर क्या लिखा है उसको पढ़िये। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या शासक दल उन रूलिंग्स और जजमेंट्स को देखता है? मुझे दुःख के साथ यहां पर यह चीज़ कहनी पड़ती है कि हाईकोर्ट्स आदि द्वारा जो इस सम्बन्ध में आदेश निकलते ह उन पर एक्ज़ीक्यूटिव कभी ध्यान नहीं देती है।

मैं एक बात की तरफ और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस कानून के बनने के बाद सन् १९५४ में क्रिमिनल एमडमेंट ला ऐक्ट में संशोधन किया गया और उसके द्वारा पहले जो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट और सब-डिविज़नल मजिस्ट्रेट को इस धारा के अन्तर्गत आदेश निकालने का अधिकार प्राप्त नहीं था, यह संशोधन करके हमने सब-डिविज़नल मजिस्ट्रेट को भी इसका अधिकार प्रदान कर दिया और वे भी अगर उचित समझें तो इस धारा के अन्तर्गत आदेश दे सकते हैं और लोगों की स्वतंत्रता पर उनके उठने, बैठने और चलने फिरने पर प्रतिबन्ध लगा सकते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यही प्रजातंत्री तरीका है और क्या इसी तरह हमारे

[श्री जगदीश अवस्थी]

देश के अन्दर समाजवादी समाज की रचना की जायेगी ? आज शासक दल द्वारा जो नौकरशाही को और उसके पेट्टी आफ़िशिएल्स (छोटे अधिकारियों) के हाथों को दृढ़ करने के लिये इस तरह की कानूनी बन्दिश की जा रही है और एक्ज़ीक्यूटिव के छोटे छोटे आफ़िसर्स को जो इस तरह के अधिकार दिये जा रहे हैं उनसे मालूम होता है कि आज शासक दल किस ओर चलता जा रहा है..

†**श्री सोनावने** (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : गणपूर्ति नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बजाई जा रही है । अब गणपूर्ति है । माननीय सदस्य भाषण जारी रखें ।

श्री जगदीश अवस्थी: मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार के छोटे छोटे संशोधन करके क्रिमिनल ला के द्वारा छोटे छोटे अधिकारियों को भी प्रतिबन्ध लगाने के आदेश इस धारा के अन्तर्गत दे दिये गये हैं । सब से बड़ी बात जो इस धारा के अन्तर्गत निश्चित रूप से यह लिखी हुई है कि कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कोई सब डिविज़नल मैजिस्ट्रेट दो महीने से अधिक के लिये प्रतिबन्ध नहीं लगा सकता है । लेकिन व्यवहार में क्या हो रहा है ? जहां जहां दफा १४४ लगाई गई है, अगर आप उसका विश्लेषण करके देखें तो पायेंगे कि जो दस वर्ष हमको स्वतंत्रता प्राप्त किये हुये हैं उन में से ९ वर्ष धारा १४४ लगी रही है । साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि सारे भारतवर्ष में अगर कहीं इस धारा का सब से ज्यादा दुरुपयोग और व्यापक प्रयोग हुआ है तो वह उत्तर प्रदेश में हुआ है, और उत्तर प्रदेश में भी अगर कहीं इस धारा का सब से ज्यादा प्रयोग किया गया है तो वह कानपुर नगर में किया गया है । मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि कानपुर नगर में दफा १४४ ने अपना एक घर सा बना रखा है । अगर आप ध्यान से देखें तो जिस समय मैं आपके समक्ष सदन में अपने विचार व्यक्त कर रहा , सदन के बाहर कानपुर नगर में दफा १४४ लगी हुई है । आज भी वहां यह धारा लगी हुई है । आप इस बात को देखिये कि पहले तो दो महीने के लिये आदेश होता है और दो महीने खत्म नहीं होने पाते हैं, जिस दिन वह खत्म होती है ठीक उसी के दस या बारह घंटे के बाद फिर दफा १४४ लगा दी जाती है । इस सम्बन्ध में, अपने कथन की पुष्टि में मैं कुछ चीज़ें पेश करूंगा जिससे यह स्पष्ट हो जायेगा कि आज जिलाधीश लोग किस तरह से इसका दुरुपयोग कर रहे हैं ।

सारे सदन को मालूम होगा कि सोशलिस्ट पार्टी ने, जिसका मैं भी एक अदना सेवक हूं, जो विदेशी मूर्तियां थीं उनको हटाने के लिये १६ मई, १९५७ से सारे उत्तर प्रदेश में एक सत्याग्रह किया । वह जायज या नाजायज दोनों कहा जा सकता है, इस बारे में मतभेद हो सकता है, लेकिन इसके समय में इस धारा का किस प्रकार से दुरुपयोग किया गया, इसको अगर आप देखें तो सदन की आंखें खुल जायेंगी । आज आप देखिये कि वहां के तत्कालीन जिलाधीश और दूसरे लोगों ने कानपुर में उस समय इस धारा का कैसा दुरुपयोग किया । मैं अपना उदाहरण पेश करना चाहता हूं । मुझको ३० मई, १९५७ को दफा १४४ के अन्तर्गत सजा हुई । दफा १८८ में तीन महीने की सजा और ५०० पये जुर्माना और इसी प्रकार से कोई २०० व्यक्तियों को उसमें बन्द किया गया । हम लोगों ने सेशन्स कोर्ट में अपीलें की । आप उस अपील के निर्णय को देखिये । १० जुलाई को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दफा १४४ के अन्तर्गत जो आदेश दिये गये थे उनको अवैध घोषित किया । जज ने लिखा :

> "भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४(३) के अन्तर्गत कानपुर के जिलाधीश द्वारा ९ मई, १९५७ को दिया गया आदेश अनियमित था क्योंकि उक्त धारा

†मूल अंग्रेजी में

के अन्तर्गत साधारण जनता को किसी स्थान विशेष पर जाने से रोका जा सकता है और चूंकि सम्पूर्ण कानपुर जिला का एक स्थान विशेष नहीं है, एतदर्थ जिलाधीश द्वारा जारी की गई आज्ञा अनियमित एवं अवैध थी।"

जब जज ने यह घोषणा की और उसके बाद हम लोग छटने वाले थे तो उसके ठीक १२ घंटे के बाद जिलाधीश महोदय ने—१० जुलाई को निर्णय हुआ सेशन कोर्ट का, ठीक उसके कुछ घंटों के बाद जिलाधीश ने एक विज्ञप्ति में आदेश दिया कि १० जुलाई से एक महीने के लिये धारा १४४ लगाना आवश्यक हो गया है। यह आज्ञा उसी क्षेत्र में लागू होगी जहां सत्याग्रह चल रहा है। विज्ञप्ति में कहा गया कि बिना आज्ञा भाषण करना, सभा करना, ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करना वर्जित है। ठीक दूसरे ही दिन जो दूसरी अपीलें की गई थीं उन पर निर्णय देते हुये अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दफा १४४ की जो कानूनी खामियां थीं उनके बारे में कहा :

"सोशलिस्ट पार्टी के पर्चों में दी गई मांगें सर्वथा दोष रहित हैं। प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में सरकार की आलोचना करने का हर एक व्यक्ति को अधिकार है, वे (सोशलिस्ट सत्याग्रही) अपने राजनीतिक दल के प्रजातांत्रिक आंदोलन में भाग ले रहे थे। केवल उनकी भाषा पर आपत्ति की जा सकती थी जो निस्संदेह उचित नहीं थी। इसलिये मेरी राय में इन नारों से शान्ति भंग होने की कोई संभावना नहीं थी, अधिक से अधिक जनता के एक भाग को यह नारे बुरे लग सकते थे।"

यह है अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कानपुर का निर्णय जो उसने इस सम्बन्ध में दिया। इससे स्पष्ट हो जायेगा, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, कि एक तरफ तो सेशन्स कोर्ट्स ऐसे निर्णय दे रहे हैं, हमारे जनतंत्र की रक्षा की बात करते हैं, और दूसरी तरफ कानपुर के जिलाधीश वहां बैठ कर उसका अपमान करते हैं।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुये]

दूसरी बात मैं और कहना चाहूंगा कि इस धारा का किस तरह वहां पर प्रयोग हो रहा है। सन् १९५३ से ले कर १९५७ तक कानपुर नगर में जितने राजनीतिक विरोधी पत्र थे, शायद ही कोई पत्र छोड़ा गया हो जिस के लोगों को गैर कानूनी दंग से घर से निकाल कर बुरी तरह से तंग न किया गया हो। चाहे उस ने कोई अपराध किया हो या नहीं, सब को जेलों में ठूंसा जाता रहा। कानपुर में ८७ दिन की एक ऐतिहासिक हड़ताल हुई। ऐसा मालूम पड़ता था कि मानो दफा १४४ का प्रयोग मार्शल ला की तरह हो रहा हो। वहां के तत्कालीन जिलाधीश महोदय ने और उस समय जो वहां के सुपरिन्टेंडेंट पुलिस थे, जो शहर कोतवाल थे, उन्होंने एक आदेश दे रखा था कि कुछ व्यक्तियों को पकड़ कर पहले उन की मारपीट की जाय, जेल भेजा जाय और उस के बाद में मुकदमे चलाये जायें। इस आज्ञा के जो लोग शिकार हुए उन में से एक हमारे मित्र श्री बैनर्जी यहां बैठे हुए हैं जो कि वहां से चुन कर आये हैं। उन को बन्द किया गया और मुझ जैसे व्यक्ति का जिस की जनता ने चुन कर के भेजा दो वर्ष आठ महीने पूर्व अपमान किया गया। एक प्रदर्शन जब हो रहा था, हालांकि धारा १४४ लगी हुई थी, लेकिन उस के लिये पर्मिशन दे रक्खी थी, उस समय एक डेपुटेशन के रूप में जब मैं तत्कालीन जिलाधीश से मिलने गया, तो वे नहीं मिले। वहां जो डिपुटी सुपरिन्टेंडेंट पुलिस थे उन्होंने मेरे साथी

[श्री जगदीश अवस्थी]

के लिये अवशब्दों का व्यवहार किया। मैं ने केवल एक बात कह दी थी। "हम राजनैतिक लोग हैं। आप शरीफों का सा व्यवहार करें। किसी को गाली न दें।" केवल एक वाक्य कह देने से ही उन को बुरा लग गया। उस का बदला लेने की भावना से मुझे घर से पकड़ कर बन्द किया गया और आदेश दिये गये कि मुझ को बता दिया जाय कि पुलिस कितनी जेंट्रलमैन होती है। यह एक सकांस्टिक रिमार्क (कटाक्ष) था। खैर, कुछ नहीं हुआ। सब से बड़ी बात जो हुई वह यह कि चुनाव लड़ कर निर्वाचित हो कर यहां आ गया। मैं सदन में जब बोल रहा था तो ठीक उस के दूसरे दिन, हालांकि आठ नौ महीने तक इस बारे में मेरे ऊपर मुकदमा नहीं चला था, लेकिन भाषण के दूसरे दिन आठ या नौ महीने पहले के काम के लिये मुकदमा चलाया गया और सदन को मालूम है, दफा १४४ का अगर कोई सब से ज्यादा शिकार हुआ है तो मैं हुआ हूं जिसके बारे में अध्यक्ष महोदय ने यहां दो बार घोषणा की है, आज उन के खिलाफ अपीलें चल रही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कानपुर नगर में दफा १४४ का जितना दुरुपयोग हुआ है उतना सारे भारत में कहीं नहीं हो रहा है और सब से दुःख की बात तो तब होती है जब राजनीतिक लोगों से बदला लेने के लिये इस का प्रयोग किया जाता है जब कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाय। मेरे एक मित्र थे जो कि असेम्बली का चुनाव लड़ रहे थे, इत्तफाक से हार गये। जिस दिन चुनाव की घोषणा हो रही थी, उसी दिन लाल इमली मिल में एक आत्म हत्या कांड हो गया। उस के सम्बन्ध में हमारे श्री बैनर्जी जो कि कानपुर से यहां एम० पी० हैं, उन को पकड़ा गया और उन जैसे व्यक्ति के साथ जो कि जनता का प्रतिनिधि है, दुर्व्यवहार किया गया। क्या क्या जुल्म वहां होते हैं इसे कहते हुए दुःख होता है। लेकिन उन्हीं जिलाधीश महोदय को जिन के खिलाफ बराबर प्रचार होता रहा, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने अपने यहां सर्वोच्च स्थान दे रक्खा है। जो सुपरिन्टेंडेंट पुलिस थे उन को ए० आई० जी० बना रखा है। जो वहां के शहर कोतवाल हैं, जिन के हाथ में बागडोर है, उन की पीठ ठोकी जा रही है। इस प्रकार से इस धारा का प्रयोग कानून की आड़ ले कर बुरे तरीके से राजनीतिक प्रतिद्वन्दियों के साथ किया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि ब्रिटिश राज्य के समय में, जब कि अंग्रेज यहां थे, हम ने चौगुनी ताकत से इस का विरोध किया। मैं समझने में असमर्थ हूं कि यह शासन सत्ता क्यों उन से सबक नहीं लेती है।

आप इस धारा का प्रयोग करके केवल अपने शान्तिपूर्ण विरोधियों को बन्द करना चाहते हैं। यदि सचमुच आपका कानून न्यायपूर्वक प्रयोग किया जाता तो कानून के विरुद्ध जाने वाले को जनता हरगिज चुन कर न भेजती। मैं इस बात का यह साबूत देता हूं कि कानून जिसको आप बुरा कहते हैं उस व्यक्ति को जनता प्यार करती है। इस प्रकार से इस दफा १४४ का कानपुर नगर में दुरुपयोग हो रहा है।

इतना ही नहीं। अगर इतना ही होता तो कोई बात नहीं थी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस बात की घोषणा की हुई है कि एग्जीक्यूटिव और जूडीशियरी अलग अलग हैं। जिलाधीश आदेश देता है और पुलिस गिरफ्तार करती है और उस व्यक्ति को जूडीशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। मैं कहना चाहूंगा कि ये जूडीशियल मजिस्ट्रेट कहने के लिये एग्जीक्यूटिव से अलग हैं। सरकार ने यह नियम बना दिया है कि जो जूडीशियल मजिस्ट्रेट नियुक्त किये गये हैं उन के बारे में सालाना रिपोर्ट जिलाधीश देगा। इस तरह जो लोग जिलाधीश के अंडर में रहते हैं उन पर जिलाधीश का और पुलिस का काफ़ी प्रभाव रहता है। नतीजा यह है कि कानपुर में तो पुलिस जो चाहती है वह होता है। कोई कितनी ही सफाई दे उसे सजा कर दी जाती है। मैं निवेदन करूं कि जिस समय मेरे ऊपर मुकदमा चल रहा था तो मैं ने प्रासीक्यूटिंग इंस्पेक्टर से कहा कि इस में क्या होने वाला है। तो उस ने कहा कि इस में और क्या होगा आपको सौ रुपया जुरमाना हो जायेगा और मुझे यह देख कर ताज्जुब हुआ कि मुझे सौ रुपया जुरमाना ही हुआ। इस प्रकार से आज

वहां पर मनमानी हो रही है। आज इस कारण कानपुर नगर का राजनीतिक वातावरण विक्षुब्ध हो रहा है। मैं चाहूंगा कि आप इस बात को ध्यान से देखें। अब बहुत समय हो चुका है। इस प्रकार की बातें अब बहुत समय तक बरदाश्त नहीं की जा सकतीं। हम जनतंत्र का नाम लेते हैं और बहुत ज्यादा ऊंची बातें करते हैं। लेकिन अगर वास्तव में देखें तो हम उन बातों से बहुत दूर चले जा रहे हैं।

मैं ने इस विधेयक को पेश करके इस बात को दिखाने की चेष्टा की है कि संविधान की दृष्टि से, कानून की दृष्टि से, और व्यावहारिकता की दृष्टि से आज जो इस दफा १४४ के अन्तर्गत आदेश दिये जाते हैं वे कितने गलत है। इस दफा का खुल कर दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं इस पर ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि और भी माननीय सदस्य इस पर अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। यह दफा इतनी काम में लाई जा रही है कि यह लोकप्रिय हो गई है। देश में दो ही दफायें हैं जिनका जनता को आम रूप से ज्ञान है। एक तो दफा ४२० और दूसरी दफा १४४। आज गांवों तक में लोग इन दफाओं का हवाला दे कर मजाक करते हैं। लेकिन सरकार ने इस धारा का गलत उपयोग होते देख कर भी इससे कोई सबक नहीं लिया है। मैं कहना चाहूंगा कि महात्मा गांधी कहा करते थे कि चाहे स्वदेशी सरकार हो या विदेशी सरकार हो अगर उसका कोई अन्यायपूर्ण कानून है तो उसका डटकर विरोध करना चाहिये चाहे उसमें कितने ही आदमियों को कुरबानी क्यों न देनी पड़े। आज सरकार ने इस कानून के अन्तर्गत जिलाधीशों को इतना अधिकार दिया हुआ है और जिस प्रकार इसका व्यापक दुरुपयोग हो रहा है उसको देखते हुए इसे एक प्रकार का जालिमाना कानून और जुल्म से भरा हुआ कानून कहा जा सकता है। एक तरफ सरकार का जुल्म चलता है और दूसरी तरफ मुझ जैसे लोगों की जबान चलती है। और मैं कहना चाहता हूं इस सदन के सम्मुख कि जब तक यह धारा १४४ भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता से हटा नहीं दी जायेंगी तब तक हम और इस सदन में बैठे और भी बहुत से माननीय सदस्य इसका विरोध करते रहेंगे। महात्मा गांधी कहते थे कि जुल्म के आगे झुको मत चाहे सिर ही क्यों न कट जाये। आज जो लोग शान्तिपूर्ण ढंग से अपनी बात कहना चाहते हैं उनको इस दफा द्वारा प्रतिबन्ध लगा कर रोका जाता है। अगर कोई ऐसी बात हो कि जिससे समाज को खतरा पैदा होता हो तो उसको रोकने के लिये कानून में बहुत सी दफायें मौजूद हैं। उनका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन इस धारा का प्रयोग तो शान्तिपूर्ण लोगों के खिलाफ होता है। यह देख कर दुःख होता है। मैं ज्यादा न कह कर अपना भाषण समाप्त करूंगा। पर मैं सदन से यह कहना चाहता हूं कि वह इस पर गम्भीरता से और संजीदगी के साथ विचार करे और मैं आशा करता हूं कि सदन के माननीय सदस्य अगर इसको निष्पक्ष भाव से देखें, और मैं तो कहूंगा कि मंत्री जी भी अगर निष्पक्षता से देखें तो वे यह चाहेंगे कि इस धारा को इस देश के जाबता फौजदारी से हटा दिया जाये।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सारा सदन एक स्वर से इसका समर्थन करेगा और सदा के लिये यह दफा १४४ निकाल दी जायेगी और तब हम कह सकेंगे कि अब हमारा वास्तव में प्रजातंत्र है, अब हम समाजवादी समाज की दिशा में बढ़ रहे हैं और देश में कल्याणकारी राज्य को स्थापना करना चाहते हैं। वरना हम ऐसा नहीं समझ सकते। मैं आशा करता हूं सरकार इस बिल को स्वीकार करेगी और सारा सदन मेरे इस विधेयक का समर्थन करेगा।

†**सभापति महोदय:** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री स० म० बनर्जी (कानपुर): सभापति महोदय, अभी जो बिल सदन के सम्मुख उपस्थित है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरे दोस्त जगदीश अवस्थी जी ने काफी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स० म० बनर्जी]

तफसील के साथ दफा १४४ का किस तरीके से दुरुपयोग हुआ है उसका एक नक्शा सदन के सदस्यों के सामने रखा। मैं भी इस धारा के अन्तर्गत काफी परेशान हुआ हूं पर मैं अपने मित्र बातों को फिर से दुहराना नहीं चाहता। मैं अपने माननीय मंत्री जी का ध्यान स्टेटमेंट आव आवजेक्ट्स एंड रीजन्स (उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण) की तरफ आकर्षित कराना चाहता हूं जिसे मेरे दोस्त जगदीश अवस्थी जी ने दिया है। उसमें लिखा है :

> "इस उपबंध को महामारियों जैसे संकट के समय सरकार द्वारा उपयोग करने के लिये रखा गया है। किन्तु सरकार इसे राजनैतिक उद्देश्यों के लिये प्रयोग करती है जिससे इसका भीषण दुरुपयोग हुआ है।"

मैं आज राजनीतिक तरीके से रूलिंग पार्टी को अटैक करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं इस दफा के बारे में आपसे एक चीज कहना चाहता हूं। देश को आजादी मिलने के बाद, १५ अगस्त सन् १९४७ के बाद जब कि सारे देश के लोगों में उस दिन खुशी की लहर दौड़ गयी थी तो उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर के नागरिकों में भी वैसी ही खुशी की लहर दौड़ गयी थी और उन्होंने भी खुशी में घी के चिराग जलाये थे। लेकिन सन् १९४७ से लेकर सन् १९५६ दस ग्यारह साल में शायद एक साल का समय ऐसा बचा होगा कि कानपुर में यह दफा १४४ लागू न रही हो। इसका कारण क्या था ? उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई आन्दोलन नहीं हुआ जैसा कि बम्बई में हुआ। तब खास बात क्या थी ? मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि इस से कोई राजनीतिक पार्टी थोड़ी भी गिरती नहीं। इससे कोई हमारा स्तर नीचा नहीं हुआ बल्कि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार इन कारणों से लोगों की नजरों में गिर गयी और इसका नतीजा यह हुआ कि उत्तर प्रदेश की असेम्बली में जहां पहले ४३ या ४४ विरोधी सदस्य चुन कर आये थे वहां इस बार १४४ धारा ने वहां की असेम्बली में विरोधी सदस्यों की संख्या को ४३ से बढ़ाकर १४४ कर दिया। दफा १४४ के नाजायज इस्तेमाल के कारण किसान रुष्ट हुए और मजदूरों की भी आफत आई। जब ८५ दिन की हड़ताल चल रही थी, तब पूरा कानपुर शहर एक कोतवाली बन चुका था और छोटी-छोटी कोतवालियों में सम्मरी ट्रायल होती थी। माननीय मंत्री जी को यह सुन कर आश्चर्य होगा कि आज के प्रजातांत्रिक युग में, जब कि हम प्रजातांत्रिक उसूलों को मानते हैं और समाजवाद की तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं, वहां के जिलाधीश ने, जो कि खुशकिस्मती से इस वक्त कानपुर में नहीं हैं, क्योंकि उनको तरक्की देकर लखनऊ में भेज दिया गया, दफा १४४ के अन्तर्गत, सैक्शन ७, क्रिमिनल ला अमेंडमेंट एक्ट, के मातहत ७३५ आदमियों को सजा दी। मजदूरों के खिलाफ यह चार्ज था कि वे चार सांचों के खिलाफ हड़ताल कर रहे थे। वह हड़ताल जायज थी या नाजायज इस बहस में इस समय मैं नहीं पड़ना चाहता हूं। आज दफा १४४ के मातहत आप लोगों को गिरफ्तार करते हैं और दफा १८८ के अन्तर्गत आप उनको सजा देते हैं, तीन महीने, दो महीने या छः महीने की सजा। जो मुलजिम होते हैं, उनको वकील करने का मौका नहीं मिल सकता। आपको यह सुन कर ताज्जुब होगा कि कानपुर शहर में .....

†**श्री आचार** (मंगलौर): श्रीमान् सभा में गणपूर्त्ति नहीं है।

†**सभापति महोदय :** घण्टी बजाई जा रही है। अब गणपूर्त्ति है। श्री बनर्जी भाषण जारी रखें।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री स० म० बनर्जी : सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि दफा १४४ का किस तरह नाजायज तरीके से इस्तेमाल किया गया। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह चाहूंगा कि वह मुझे इसका जबाव दें। आखिर एप्रिहेंशन आफ ब्रीच आफ पीस (शान्ति को खतरा) क्या है? मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं। कानपुर शहर में एक मस्जिद है मछली मस्जिद। वह एक ऐसी जगह में है, जहां पर हिन्दू और मुसलमान दोनों भाई रहते हैं। जिलाधीश साहब की समझ में ऐसी बात आई कि वहां पर कोई मजहबी ढंग का इश्तेआल फैल रहा है। नतीजा यह हुआ कि दफा १४४ सारे शहर में लगा दी गई और मजदूरों के जलसे और जलूस रद्द कर दिए गए, विद्यार्थियों के जलसे और जलूस रोक दिए तमाम शहर में कोई चल नहीं सकता था, लेकिन धार्मिक जुलूसों की आज्ञा थी। जिसकी वजह से इश्तेआल था, उस रिलिजस प्रोसेसन को एलाउ किया गया, लेकिन सामाजिक जीवन को बिल्कुल ठप कर दिया गया, सामाजिक स्तर को ऊंचा करने के लिए या अपनी मांगों को मनवाने के लिए मजदूरों और दूसरे लोगों के जलूस बैन कर दिए गए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के धारा १४४ के नाजायज प्रयोग से देश का कल्याण नहीं होगा। आज मुझे खुशी है कि हमारे जिलाधीश साहब बदल गए हैं। वहां पर अब सिचुएशन ईजी है, लेकिन आज भी दफा १४४ लगी हुई है। हम लोग चाहते थे कि जलसे जलूस करके, कम से कम जलूस निकाल कर अपनी मांगों का प्रचार करें और पब्लिक ओपीनियन (लोक मत को) मोबिलाइज करें, लेकिन हमको कभी इसका मौका नहीं मिला। आप हाई कोर्ट के जजमेंट को देखिए। आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि दफा १४४ लगाना किसी भी तरह मुनासिब नहीं है।

यदि किसी आन्दोलन को कुचलने के लिए दफा १४४ का पोलीटिकल इस्तेमाल किया जाता है, तो वह गलत है। अगर आपोजीशन के आदमियों की आवाज को दबाने के लिए दफा १४४ का प्रयोग होता है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसी देश में ऐसा नहीं हुआ है। कहा जाता है कि कम्युनिस्ट देशद्रोही हैं, रूसी एजेन्ट हैं, वगैरह। देश की खुश-किस्मती से या बदकिस्मती से—और हमारे ख्याल में तो यह जनता की खुशकिस्मती है —एक सूबे में उन की सरकार बन गई है। हिन्दुस्तान भर में पुलिस के अख्तियारात—कांस्टेबल से लेकर डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट आफ पुलिस तक सब के अख्तियार —बढ़ा दिए गए। आप देखिए कि केरल में उन लोगों ने जिनको हिंसावादी कहा जाता है, पुलिस के अधिकारों को बढ़ाया या घटाया। पहले मिल-मालिकों और मजदूरों के झगड़े के बीच में पुलिस दीवार बन कर खड़ी हो जाती थी, जिस के कारण झगड़ों का सुलझाना मुश्किल हो जाता था और लोगों को तकलीफ होती थी। आप देखिए कि उन्होंने केरल में पुलिस के अधिकार घटाए या नहीं। अगर आप भी उन अधिकारों को नहीं घटाते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हिन्दुस्तान के संविधान के मुताबिक जो भी सहूलियतें और हक्कूक हमको हासिल हैं, वे सब सीमित रह जायेंगे और सारे हिन्दुस्तान के संविधान का निचोड़ एक डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट आफ पुलिस की जेब में होगा। अगर आप यह करना चाहते हैं, तो भले ही कीजिए। अगर आप समझते है कि उसी में प्रजातांत्रिक उसूलों की जयजयकार होगी, तो भले ही कीजिए। मैं तो नहीं समझता कि इस तरीके से होगी।

मैं आपके सामने अदब से यह कहना चाहता हूं कि यह नहीं कि हम क्रोधित हैं—पुलिस की लाठियों ने हमें क्रोधित बना दिया है, ऐसा सवाल नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप उत्तर प्रदेश, बंगाल या बम्बई किसी भी प्रान्त में जाइये और देखिए कि लोग दफा १४४ को किस तरीके से देखते हैं। आपके पास बहुत सी धारायें हैं और डेफिनीशन क्या है? किसको आप ब्रीच आफ पीस कहते हैं? अगर किसी दारोगे को अचानक यह ख्याल आ गया कि ब्रीच आफ पीस है और उसने मैजिस्ट्रेट साहब को वह बात कही और मैजिस्ट्रेट साहब ने फौरन

[श्री स० म० बनर्जी]

दफा १४४ लगा दी। आप देखिए कि वह धारा क्या है उसमें कहा गया है कि इस धारा के अधीन दो मास से अधिक तक आदेश जारी नहीं रह सकता जब तक कि राज्य सरकार को किसी हिंसात्मक उपद्रव या झगड़े का खतरा न हो और वह सरकारी गजट में ऐसा आदेश न दे। जम्हूरियत के जमाने में एक मामूली मजदूर अपनी मांगों के लिए मुजाहिरा कर सकता है। उसके इस अधिकार को आप मानते हैं। आप कहते हैं कि हमारे यहां फ्रीडम ऑफ एक्प्रेशन और फ्रीडम ऑफ दि प्रैस है, इस देश में सबको बोलने, इकट्ठा होने और चलने फिरने की आजादी है। कई दूसरे देशों को आप टोटैलेटेरियन कहते हैं और कहते हैं कि वहां पर रेजिमेन्टेशन है, जब कि हमारे यहां पूरी आजादी है। और वह आजादी क्या है? मरने की आजादी है फुट-पाथ पर मरने की आजादी है, अगर कोई फुट-पाथ पर मर जायगा, तो कोई पूछेगा नहीं कि क्यों मरा है। खैर, जो भी हो, मेरी गुजारिश है कि मेहरबानी कर के आप इस आजादी पर कुठाराघात न कीजिए। अव्वल तो इस दफा को हटा लेना चाहिए और अगर यह मुमकिन नहीं है, तो कम से कम इस दफा इनडिस्क्रिमिनेट एप्लिकेशन को खत्म करना चाहिए। आज हिन्दुस्तान यह दावा करता है कि हम हर एक मामले को शान्तिमय तरीके से हल करना चाहते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप और हम अलग अलग नहीं है। आज देश की समस्यायें हमारे सामने हैं। अगर हम समझते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की कामयाबी में गरीबों की कामयाबी का राज़ छिपा हुआ है, तो फिर यह जरूरी है कि मजदूरों और किसानों को दबा कर उनके हितों की उपेक्षा कर, उनके काम में रुकावट डाल कर द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर कुठाराघात न किया जाय जो एन्टी-सोशल एलिमेंट्स (समाज विरोधी तत्व) हैं, आप उन पर यह दफा १४४ लगाइये। हम नैशनल यूनिटी और नैशनल प्लैटफार्म की बात करते हैं। यह निहायत जरूरी है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना को कामयाब बनाने के लिए हम सब प्रश्नों को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें। अगर आप उसकी कामयाबी चाहते हैं तो दफा १४४ को आपको हटाना होगा। इसको जनता के ऊपर लगा कर उसकी आप कमर तोड़ते हैं। यह बहुत ही कमजोर दफा है। कहीं पर अगर चार के बजाय पांच आदमी एकत्र हो जाते हैं तो यह दफा टूट जाती है। इस दफा को आप कहां तक लगायेंगे? यह तो टूटी हुई, गली हुई, सड़ी हुई दफा है। जितने भी कानून अंग्रेजों ने बनाये थे और जो हमें जंचते नहीं हैं, उनको भी हमें अंग्रेजों के साथ यहां से भेज देना चाहिये था और अगर उनको भेजा नहीं है तो अब भेज देना चाहिये।

मैं बड़े अदब के साथ अर्ज करता हूं कि आज इस धारा के बारे में कम से कम आप विचार करें। इस मामले पर आप इस दृष्टिकोण से न सोचें कि यह चीज विरोधी दल की तरफ से पेश की गई है। आपको चाहिये कि आप इस पर संजीदगी के साथ विचार करें। इसमें यदि आप किसी प्रकार का और संशोधन पेश करना चाहते हैं तो करें लेकिन यह न भूलें कि देश इसको ठीक नहीं समझता है और चाहता है कि इसको इसमें से निकाल दिया जाए। देश को इस दफा का काफी एक्सपीरियेंस (अनुभव) हो चुका है। आज लोग यह कहते हैं कि सन् १९४७ से पहले जो आज रूलिंग पार्टी है जो कांग्रेस है, वह जनता की सेवक थी सन् १९४७ के बाद वह जनता की शासक बनी और आज सन् १९५७ में जनता की शोषक है। इस धारा के कारण आपके जो अच्छे काम हैं उन पर भी पर्दा पड़ जाता है। यह एक काला कानून है। इसके अन्तर्गत लोगों को दबाने की कोशिश की जाती है लेकिन वे दबते नहीं हैं। इस पर आप राजनीतिक दृष्टिकोण से विचार न करें, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से विचार करें, देश की एकता की दृष्टि से विचार करें आप मजदूरों और किसानों की आज जो हालत है, उसको अपने सामने रखें।

मैं चाहता हूं कि इस दफा १४४ का कतई उपयोग न किया जाए और इसको फौरन वापिस ले लिया जाए।

†**श्री वें० प० नायर** (क्विलोन): मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। जब पहले दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधनों पर चर्चा हुई थी तब हमने कहा था कि धारा १४४ में संशोधन करने की सब से बड़ी आवश्यकता है। तब श्री दातार ने जबाव नहीं दिया था। आशा है कि वह अब उत्तर देंगे।

यद्यपि यह धारा तो उसी ही समय से संहिता में है जब से संहिता बनी है किन्तु पहली बार इसका प्रयोग १९२१ में किया गया। १९२१ में कांग्रेस आंदोलन ने जोर पकड़ा और इस धारा का दुरुपयोग होने लगा था।

संभवतया सरकार का तो विचार यह होगा कि अपराधों की रोकथाम करना ही अच्छा है। किन्तु देश के समस्त उच्च-न्यायालय इस बात को कह चुके हैं कि किस प्रकार इस धारा का दुरुपयोग किया गया है। किन्तु आज भी यही धारा प्रयुक्त की जा रही है। इससे राजनैतिक दलों का दमन किया जा रहा है। यह हड़ताल करने वाले श्रमिकों के विरुद्ध प्रयोग की जाती है। कानपुर तथा बंगलौर आदि में ऐसा ही हुआ है।

चुनावों से पहले तथा बाद में इसका प्रयोग तो सामान्यतया किया ही जाता है। पंजाब में यह धारा दो महीने तक लागू रही। क्या ऐसी धारा का रखना आवश्यक है?

केरल के बारे में कहा जाता है कि वहा बड़ी धांधली तथा अराजकता फैली रही। केवल कांग्रेस वालों ने ही ऐसा नहीं कहा बल्कि श्री अशोक मेहता ने भी यह वक्तव्य दिया था। वहां भी यही संहिता लागू है। वहां तो इसका आश्रय नहीं लिया गया। आप भारत के इंटैलीजैंस ब्यूरों की साख्यकी देखें जो कि श्री दातार के अनुसार पूर्णरूप से शुद्ध है। उन्होंने समस्त भारत में हस्तक्षेप अपराधों की सूची दी है जो वह स्वतः तैयार करते हैं।

केरल की आबादी १३५ लाख है किन्तु वहां १९५७ में केवल ७५ हत्यायें हुईं। बम्बई जो कि अत्यन्त सुप्रशासित राज्य है वहां पर ४८९ हत्यायें हुईं। यदि आबादी के आधार पर देखा जाये तो बम्बई में केरल से चौगुनी हत्यायें होनी चाहिये थी। मद्रास जिसकी आबादी केरल से दुगनी है वहां २१८ हत्यायें हुई।

इसी तरह की स्थिति अन्य अपराधों के बारे में दी हैं।

आप जानते हैं कि कुछ निहित स्वार्थ शिक्षा विधेयक का विरोध कर रहे हैं। बहुत से प्रदर्शन भी वहां इसके विरोध में हुए हैं। उससे पहले वहां प्रजा समाजवादी दल के शासन के समय धारा १४४ लगी रहती थी। बाद में भी वहां प्रदर्शन हुआ है किन्तु वहां धारा १४४ का आश्रय नहीं लिया गया।

यही नहीं वहां की सरकार उलटने के प्रयास किये जाते हैं। किन्तु फिर भी वहां पर यह धारा लागू नहीं की जाती। केरल राज्य ने इस सम्बन्ध में आप सब लोगों के सामने एक उदाहरण रख दिया है। किसी और संहिता में भी ऐसी धारा नहीं है।

अब जब कि समय बदल गया है हमें इस धारा का कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिये। हमें भी समय के साथ इसमें यथोचित परिवर्तन कर देने चाहियें।

वास्तव में मुझे तो एक भी ऐसा अवसर याद नहीं आता जब कि इस धारा का ठीक उपयोग किया गया हो।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वे० प० नायर]

यहां हमने क्या देखा। भंगियों ने हड़ताल की थी तब भी धारा १४४ लगी। केरल में इससे भी अधिक उत्तेजक प्रदर्शन हो चके हैं किन्तु कभी भी इसका उपयोग नहीं किया गया। इस धारा को आप किसी भी तरह से न्याय सिद्ध नहीं कर सकते।

पहले भी जब दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक पारित हुआ तब भी हमारे दल के प्रतिनिधियों ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई थी। इस सम्बन्ध में मैं मनु का एक श्लोक उद्धृत करता हूँ। उन्होंने कहा है:

अदंड्यान् दंडयनाजा दंण्डयाश्चेवाम्य दंड्यन्
अयशोमहदाप्नोति नरंके चाधगच्छति।

अर्थात् जो राजा अदंडनीय लोगों को दंड देते हैं वे नरकगामी होते हैं।

†**श्री बि० दास गुप्त** (पुरुलिया): सभापति महोदय पहले कभी समस्त कांग्रेस इस धारा का विरोध किया करती थी। आजादी के बाद हमें आशा थी कि हम इस धारा को समाप्त कर देंगे किन्तु समाप्त नहीं कर सके।

आजादी से पहले हमारे सभी नेता इस धारा का घोर विरोध किया करते थे। किन्तु अब वही लोग अंग्रेज मालिकों की भांति इसका प्रयोग करते हैं।

श्री दातार तो जानते हैं कि हमारे जिले में भाषा आन्दोलन के दमन के लिये इस धारा का कितना दुरुपयोग किया गया है।

†**सभापति महोदय**: माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें।

इसके पश्चात् लोकसभा सोमवार, २४ मार्च, १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, २१ मार्च, १९५८]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर .		२८४३–६७
तारांकित प्रश्न संख्या		
१११९	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्टरी, बंगलौर .	२८४३–४५
११२०	भारत–पाकिस्तान सीमा	२८४५–४७
११२१	अल्प आय वाले वर्ग के लिये आवास योजना . .	२८४७-४८
११२२	बर्मा में लोकमान्य तिलक का स्मारक . .	२८४८-४९
११२३	द्वितीय पंचवर्षीय योजना	२८५०
११२६	भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पाद .	२८५०-५१
११२७	नारियल जटा उद्योग . . .	२८५१–५३
११२९	नागा क्षेत्र के लिये चिकित्सक दल .	२८५३-५४
११३०	लघु उद्योग	२८५४-५५
११३१	अन्य देशों से पत्र व्यवहार . . .	२८५६-५७
११३४	उद्योग सम्बन्धी केन्द्रीय मंत्रणा परिषद् . .	२८५७–५९
११३६	औद्योगिक बस्ती . .	२८५९
११३८	संघो की मान्यता	२८६०–६१
११३९	केरल में भूमि का समुद्र द्वारा कटाव रोकने का कार्य	२८६२–६३
११४०	लौह–अयस्क का निर्यात . . .	२८६३–६५
११४१	उड़ीसा राज्य को केन्द्रीय सहायता . .	२८६५–६६
११४३	भारत में मुसलमानों के पावन स्थान . .	२८६६
प्रश्नों के लिखित उत्तर––		२८६८–९५
तारांकित प्रश्न संख्या		
११२५	सेंट्रल इडिया काटन एसोसियेशन लिमिटेड . .	२८६८
११२८	दिल्ली में निष्काम्य बगीचे .	२८६८
११३२	रबड़ के टायरों के कारखाने .	२८६८-६९
११३३	सिगरेट और तम्बाकू उद्योग	२८६९
११३५	दामोदर जल संभरण योजना . . .	२८६९
११३७	विभाजन सम्बन्धी विवादों का निबटारा . .	२८७०
११४२	बन्दरों का निर्यात . . .	२८७०

प्रश्नों के लिखित उत्तर : (क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
११४४	कोचीन पत्तन में सत्याग्रह	२८७०-७१
११४५	नियोमोकोनियोसिस का आयात	२८७१
११४६	द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सिंचाई योजनायें	२८७१
११४७	मलाया और पाकिस्तान के साथ व्यापार	२८७१-७२
११४८	हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी	२८७२
११४९	बरोजगारी का सर्वेक्षण	२८७२
११५१	काजू का तेल	२८७३
११५२	रेयन कारखानों में श्रमिक	२८७३
११५३	सेवानिवृत्ति वैज्ञानिकों को सहायता	२८७३
११५५	प्लास्टिक उद्योग	२८७४
११५६	रघुपल्ली में बैराइटीज की खानें	२८७४
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१५२८	असबस्टस सीमेंट की चादरें	२८७४
१५२९	तेल का उत्पादन	२८७५
१५३०	साइकिल के टायरों और ट्यूबों का आयात	२८७५
१५३१	मोटर के टायर और ट्यूब	२८७६
१५३२	कागज का उत्पादन	२८७६
१५३३	कर्मचारी राज्य बीमा योजना	२८७६-७७
१५३४	विस्थापित व्यक्तियों के लिये मकान और दुकानें	२८७७
१५३५	सरकारी कार्यालयों का किराया	२८७७-७८
१५३६	बिजली लगाने के लिये विसंवाहक	२८७८
१५३७	गोआ	२८७८
१५३८	सीमावर्ती घटनायें	२८७९
१५३९	पर्वतीय क्षेत्रों के लिये योजना समिति	२८७९
१५४०	फरीदाबाद प्रशासन	२८७९-८०
१५४१	काम दिलाऊ दफ्तरों में पंजीबद्ध अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के स्नातक	२८८०-८१
१५४२	तिब्बत में आयात किया गया दूध	२८८१
१५४३	बम्बई राज्य में अम्बर चरखा कार्यक्रम	२८८१-८२
१५४४	बम्बई राज्य मे हथकरघा उद्योग	२८८२
१५४५	छोटे पैमाने के उद्योग	२८८२-८३
१५४६	उत्तर–पूर्वी सीमान्त अभिकरण में कुष्ठ रोग का आपात	२८८३
१५४७	राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अणुशक्ति विभाग में सम्पर्क	२८८३-८४
१५४८	पंजाब में काम दिलाऊ दफ्तर	२८८४
१५४९	विदशी व्यापार ऋण	२८८४

प्रश्नों के लिखित उत्तर : (क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१५५०	भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड	२८८४-८५
१५५१	भारत का राज्य व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड	२८८५
१५५२	पूर्वी पाकिस्तान से खाद्य पदार्थों का आयात	२८८५
१५५३	नेताजी की मूर्त्ति	२८८५-८६
१५५४	उत्तरी वियतनाम से चावल का आयात	२८८६
१५५५	पाकिस्तानी तथा भारतीय राष्ट्रजनों की क्रमशः भारत तथा पाकिस्तान की यात्रा	२८८६
१५५६	चल चित्र	२८८६
१५५७	चटाइयों का निर्यात	२८८७
१५५८	टेलीफोन के तार में संभरण का ठेका	२८८७
१५५९	भूमि सुधार	२८८८
१५६०	शिशु गृह अनुचरों की परीक्षायें	२८८८
१५६१	उड़ीसा के लिये केन्द्रीय सहायता	२८८८
१५६२	मंत्रियों के निवास–स्थान	२८८९
१५६३	शिशु गृह	२८८९
१५६४	खादी तथा रेशम कीट–पालन की सहकारी समितियां	२८९०
१५६५	हिमाचल प्रदेश में चमड़े की सहकारी समितियां	२८९०-९१
१५६६	लंका में भारतीय	२८९१
१५६७	आन्ध्र प्रदेश अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि	२८९२
१५६८	काली मिर्च का निर्यात	२८९२
१५६९	आसाम में बुनकर सहकारी समितियां	२८९३
१५७०	उत्तर–पूर्वी सीमान्त अभिकरण में विमान द्वारा गिराये गये खाद्य–पदार्थ	२८९३
१५७१	हिमाचल प्रदेश के खनिज क्षेत्रों के सम्बन्ध में चलचित्र	२८९४
१५७२	काम दिलाऊ दफ्तर	२८९४
१५७३	पंजाब में छोटे पैमाने के उद्योग	२८९४
१५७४	पंजाब का खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	२८९४-९५
स्थगन प्रस्ताव		२८९५

उपाध्यक्ष ने २० मार्च, १९५८ को दिल्ली के सदर बाजार में बिजली की तार के कथित खराब होने के परिणाम स्वरूप आग से दूकानों के जलकर नष्ट हो जाने के बारे में एक स्थगन–प्रस्ताव, जिसकी सूचना श्री ब्रजराज सिंह ने दी थी, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।

सभा पटल पर रखा गया पत्र २८९६

जनवरी, १९५८ में शिलांग में हुई बागान, सम्बन्धी उद्योग समिति की बैठक की कार्यवाही के सारांश की एक प्रति सभा पटल पर रखी गयी।

विषय पृष्ठ

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन . . . २८९६

दूसरा प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . २८९६–९७

श्रीमती पार्वती कृष्णन् ने हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट फैक्टरी लिमिटेड, बंगलोर, में तालाबन्दी की स्थिति की ओर प्रतिरक्षामंत्री का ध्यान दिलाया।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) ने उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

मंत्री द्वारा वक्तव्य २८९७

संसद्–कार्य मंत्री ने २४ मार्च, १९५८ से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के लिये आयव्ययक (सामान्य) १९५८–५९ सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान के क्रम के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अनुदानों की मांगें २८९७–२९२८

अनुदानों की मांग संख्या १३ से २१ और १०९ पर, जिसके लिये शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय उत्तरदायी है, चर्चा समाप्त हुई।

२० मार्च, १९५८ को प्रस्तुत किये गये सभी कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए। मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुई।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत २९२८

सत्रहवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरः स्थापित . २९२९–३२

निम्न विधेयक पुरःस्थापित किये गये :—

(१) श्री तंगामणि का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, १९५७ (**धारा ५५-क, ८२ और ११६-क का संशोधन**)

(२) श्री ईश्वर अय्यर का राज्य पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, १९५८ (**धारा ५१ का संशोधन**)

(३) श्री झूलन सिंह का सामाजिक प्रथायें (व्यय में कटौती) विधेयक, १९५८

(४) श्री झूलन सिंह का खाद्य अपमिश्रण रोक (संशोधन) विधेयक, १९५८ (**धारा २० का संशोधन तथा नई धारा २१-क का रखा जाना**)

(५) श्री रघुनाथ सिंह का मिर्जापुर पाषाण महल (संशोधन) विधेयक, १९५८ (**धारा ३ का संशोधन**)

(६) श्री लैसराम अचौ सिंह का संघ राज्य क्षेत्र (विधियां) संशोधन विधेयक, १९५८ (**धारा ३ का संशोधन**)

विषय पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरः स्थापित : (क्रमशः)

(७) श्री मोहन स्वरूप का दहेज रोक विधेयक १९५८

(८) श्रीमती रेणु चक्रवर्ती का दहेज पर रोक विधेयक, १९५८

गैर-सरकारी सदस्यों के वापस लिये गये विधेयक . . . २९३२–४४

(१) श्री रघुनाथ सिंह का भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, १९५७ (नई धारा १२४-ख का रखा जाना) सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया ।

(२) श्री रघुनाथ सिंह के भारतीय दंण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, १९५७ (धारा ४९७ का लोप) पर अग्रेतर चर्चा हुई और श्री रघुनाथ सिंह ने वाद–विवाद का उत्तर दिया। विधेयक सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक––विचाराधीन . . . २९४४–५६

श्री जगदीश अवस्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९५७ (धारा १४४ का लोप) पर विचार करने का प्रस्ताव रखा चर्चा समाप्त नहीं हुई।

सोमवार, २४ मार्च, १९५८ के लिये कार्यावलि

स्वास्थ्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा।